लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th S

LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No. Go.C.(A.)
Date 16/11/2

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 57 बुधवार, 13 मई, 1970/23 वैशाख, 1892 (शक)

No. 57 Wednesday, May 13, 1970/Vaishakha 23, 1892 (Saka)

ता०प्र०सं० S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
1591.	ताइवान के साथ सम्बन्धों के बारे में संसद सदस्यों का प्रधान मंत्री को ज्ञापन	M.Ps. Memorandum to P.M. regarding relations with Taiwan	1
1592.	कोलम्बो में नजरबन्द भारतीय की मृत्यु	Death of an Indian detainee in Colombo	9
1593.	ओसाका (जापान) में इक्सपो ७० में वस्तुओं की बिक्री	Sale of goods at Expo. '70 in Osaka (Japan) . .	12
	अल्प-सूचना प्रश्न SHORT NOTICE QUESTIONS		
33.	कडाना बांध की ऊंचाई	Height of Kadana Dam .	14
	तारांकित प्रश्न संख्या STARRED QUESTIONS		
1594.	विकर टैंकों की सप्लाई के लिये ब्रिटेन के साथ समझौता	Dealth with U.K. for the supply of Vicker Tanks	18
1595.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग सम्मेलन में प्रादेशिक सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme for Regional co-operation at the Economic Commission for Asia and far East	18
1596.	गुजरात में ताप बिजली घर की स्थापना	Establishment of Thermal Power Station in Gujarat .	18
1597.	निर्यात में कमी	Fall in Exports	19
1598.	मास्को में लेनिन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये प्रधान मंत्री को निमंत्रण	Invitation to the Prime Minister to Participate in Lenin Centenary in Moscow	19
1599.	एशियाई व्यापार के विकास तथा उदारीकरण संबंधी करार का प्रारूप	Draft Agreement on Asian Trade Development and Liberalisation . .	20
1600.	खेल का सामान बनाने वालों द्वारा सामान के लदान पूर्व निरीक्षण के विरुद्ध सरकार को दिया गया अभ्यावेदन	Representation made to Government by the Sports Goods Manufacturers against Pre-shipment Inspection of Sports Goods	20
1601.	लुगदी का आयात	Import of Pulp	20

ता०प्र०सं० S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1602.	विएना में रूस और अमरीका के बीच हथियारों पर नियंत्रण करने सम्बन्धी वार्ता	Soviet American Talks on Arms Limitation in Vienna . . .	22
1603.	ब्रिटेन में स्किनहैड्स से भारतीयों को खतरा	Threats to Indians from Skinheads in U.K.	22
1604.	आयुध कारखानों में श्रमिक अशान्ति	Labour unrest in ordnance Factories.	22
1605.	सिंचाई और विद्युत मंत्री का कावेरी नदी के पानी के बारे में केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श	Meeting of Irrigation and Power Minister with Chief Ministers of Kerala and Tamil Nadu on Cauvery Waters.	23
1606.	दानापुर छावनी के चांदमारी क्षेत्र का विस्तार	Extension of Shooting range of Danapur Cantonment	23
1607.	इजरायल के साथ आर्थिक संबंध	Economic relations with Israel .	23
1608.	जापान में रेडियो के पुर्जों की मांग	Demand for Radio Components in Japan	24
1609.	वाशिंगटन से 'वायस आफ इस्लाम' का प्रसारण	"Voice of Islam' Broadcast from Washington	24
1610.	निर्यात/आयात लाइसेंसों के देने अथवा अस्वीकार करने के मामलों पर निर्णय के लिये न्यायाधिकरण स्थापित करना	Setting up of Tribunals for deciding cases of granting or refusing export/ Import licences	25
1611.	संयुक्त बीजलेख (साइफर) ब्यूरो में पदोन्नतियां	Promotions in Joint Cipher Bureau	25
1612.	परिरक्षित आहार का निर्यात	Export of preserved Food . . .	26
1613.	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य सरकारों द्वारा भाग लेना	Participation of State Governments in the International Trade . . .	26
1614.	यमुना नदी में दिल्ली में जल की कम सप्लाई	Short Supply of Water in Yamuna in Delhi	27
1615.	बम्बई में प्रधान मंत्री के साथ भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की भेंट	Prime Minister's meeting with the Representatives of Indian Film Industry at Bombay	27
1616.	भारत के रास्ते से माल का परिवहन करने सम्बन्धी समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का नेपाल का प्रस्ताव	Nepal's move to raise the problem of transit of Goods through India at United Nations	28
1617.	भारतीय वायु सेना के एक विमान का 18 अप्रैल, 1970 को दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of an IAF Plane on April, 18, 1970	28
1618.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट और नासिक के मिग उद्योग समूह का अलग निगम बनाया जाना	Formation of MIG complex of HAL comprising Koraput and Nasik into a separate Corporation . .	28
1619.	इजरायली प्रतिनिधि द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप	Interference in the Internal Affairs of India by Israeli Representative .	29

ता०प्र०सं० S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PANES
1620.	एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये राजदूतों को निदेश	Directive to Envoys to explore areas of economic and cultural collaboration in Asian and African countries.	29
अतारांकित प्रश्न संख्या			
UNSTARRED QUESTION NOS.			
9439.	राज्यों के आर्थिक विकास की दर	Rate of Economic Growth of States .	29
9440.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	30
9441.	सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को वहां की नागरिकता दिलाना	Citizenship of Singapore for Indians living there	30
9442.	बन्द डिब्बों में आमों का निर्यात	Export of tinned mangoes . .	30
9443.	फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों का ज्ञापन	Memorandum from the employees of Farakka Barrage Project . .	31
9444.	नाइलोन के धागे का उत्पादन तथा बिक्री	Production and Sale of Nylon yarn .	31
9445.	एक्सपो 1970 जापान	Expo '70 Japan.	32
9446.	भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ट्राम्बे के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत ज्ञापन	Memorandum of grievances presented by employees of Bhabha Atomic Research Centre, Trombay . .	32
9447.	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनकी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र सेवा में लगाना	Absorption of released Emergency Commissioned officers keeping in view their skills and experience .	33
9448.	हथकरघा उद्योग में संकट	Crisis in Handloom Industry . .	33
9449.	हथकरघा वित्त निगम	Handloom Finance Corporation . .	33
9450.	पुलीवेन्दला (आन्ध्र प्रदेश) परियोजना प्रतिवेदन	Pulivendala (Andhra Pradesh) Project report	34
9451.	विदेश जाने पर बीजा सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त करना	Abolition of Visa restrictions with foreign countries	34
9452.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में दिये गये वचनों को पूरा किया जाना	Fulfilment of the commitments made at UNCTAD conference. . .	34
9453.	करांजिनन सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र के लिये नियतन	Allocation for Karanjinan Irrigation Projrect, Maharashtra . . .	35
9454.	गुजरात में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial projects in Gujarat .	36
9455.	गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं और उनकी लागत	Irrigation projects of Gujarat and cost thereof	37
9456.	सिंचाई योजनाओं के लिये गुजरात को सहायता	Grant to Gujarat for Irrigation Schemes	
9457.	गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation projects of Gujarat	37

अ०ता०प्र०सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9458.	गुजरात में कपड़ा मिलों का कार्यभार सम्भालना	Taking over of the textile mills in Gujarat	37
9459.	मृग कस्तूरी का निर्यात	Export of Deer Musk . .	38
9460.	महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Textile Mills in Maharashtra	38
9461.	राज्यों के बिजली बोर्डों द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Bank loan by the State Electricity Boards . .	39
9462.	बन्दरों का निर्यात	Export of Monkeys . . .	40
9463.	पिलानी में टैलीफोन सेटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets at Pilani .	40
9464.	बाढ़ नियन्त्रण जल निकासी और पानी जमा हो जाने के सम्बन्ध में राज्यों में किया गया खर्च	Amount spent on Flood Control, Drainage and water logging in States	40
9465.	डा० विक्रम साराभाई का इलैक्ट्रानिक समिति से अलग हो जाना	Dissociation of Dr. Vikram Sarabha from Elecrtonics Committee .	41
9466.	विदेशियों द्वारा खरीदी गई चाय के पोत लदान में त्रुटि	Default in Shipments of Tea bought by Foreigners . . .	42
9467.	मैसर्स लिक्स मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध मशीनरी आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें	Complaints against M/s Lynx Machinery Ltd., Calcutta for misuse of machinery import against licences .	42
9468.	गोरखपुर तथा वाराणसी कमिश्नरियों को एक निगम के रूप में परिवर्तित करना	Conversion of Gorakhpur and Varanasi Commissioneries into a Corporation	43
9469.	समाज कल्याण विभाग के लिये पृथक मंत्रालय	Separate Ministry for the Department of Social Welfare . . .	43
9470.	योजना कार्यक्रमों में केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्ध	Centre-State Financial Relations in Planning Programmes . .	44
9471.	राजस्थान में ऊन पर आधारित उद्योग	Wool-based Industries in Rajasthan	44
9472.	भारतीय वायुसेना की गुम हुई फाइल ढूंढना	Tracing of a missing IAF File .	44
9473.	वायुसेना दिवस (1-4-70) के अवसर पर प्रकाशित विवरणिका	Brochure brought out on the Eve of Air Force Day (1-4-70) . .	45
9474.	प्रतिरक्षा मंत्रालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी	Scheduled Castes/Scheduled Tribes Employees working in the Office of the Chief Administrative Officer, Ministry of Defence . .	45
9475.	बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में फेरबदल	Modification of Fourth Plan in view of Aggravating unemlployment problem	46
9476.	तिलहन, मूंगफली तथा खाद्य तेलों का ब्रिटेन अमरीका और रूस को निर्यात	Export of Oilseeds Groundnuts and Edible oil to U.K., USA and USSR.	46

अ०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9478.	मई, 1970 में अफ्रीका को संसद् सदस्यों का सद्भावना प्रतिनिधिमंडल	Goodwill Mission of MPs to Africa in May, 1970	47
9479.	भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें दूर करने के सम्बन्ध में जनरल करिअप्पा का वक्तव्य	Statement made by Gen. Cariappa for redressal of grievances of Ex-servicemen	48
9480.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एमर्जेंसी कमीशन वाले सेवायुक्त अधिकारियों को रिहायश के लिये अलाट की गई भूमि	Relased E.C.Os. Allotted land in Andaman and Nicobar Islands for residential purposes	48
9481.	दार्जिलिंग के कालिंगपोंग सब् डिवीज़न में एक सीमा सड़क बनाने में विस्फोट के कारण लोगों की मृत्यु	Death of persons due to an explosion while contructing a border road in Kalimpong Sub-Division of Darjeeling	48
9482.	भारत जर्मन वाणिज्य मंडल का बम्बई में सम्मेलन	Meeting of Indo-German Chamber of Commerce in Bombay . . .	49
9483.	दिल्ली में शुष्क पत्तन	Dry part in Delhi . . .	49
9484.	औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों से किये जाने वाले आयात पर प्रशुल्क की समाप्ति	Abolition of tariffs on the imports by the industrialised Nations from Developing nations	50
9485.	भारत की सलाहकार तथा तकनीकी सेवाओं से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति	Foreign exchange earned by consultancy and technical services of India	50
9486.	धातुओं का निर्यात और आयात	Import and Export of Metals	50
9487.	सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile industry	52
9488.	वर्स्टिड यार्न वूलन मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of worsted yarn Woollen Mills	52
9489.	सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध हाथ में लेना	Taking over of Textile Mills .	53
9490.	नाइलन के धागे का वितरण	Distribution of Nylon Yarn .	53
9491.	राज्य व्यापार निगम द्वारा नायलोन का आयात	Import of Nylon yarn through STC .	54
9492.	रूसी रेशम विशेषज्ञों की श्रीनगर यात्रा	Visit of Russian silk experts to Srinagar	55
9493.	इटली को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to Italy .	55
9494.	हरियाना को भारत इलेक्ट्रोनिक्स के एक एकक नियत करने की मांग	Demand for Allocation of a unit of Bharat Electronics to Haryana .	55
9495.	विस्कोस फिलेमेंट यार्न के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Report of Tariff Commission on pricing of viscose filament yarn . .	56
9496.	अमृतसर में कम दक्षता पर काम कर रहे आर्ट रेशम के विद्युत चालित करघे	Art Silk power looms in Amritsar working at low capacity . .	56

अ०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9497.	पुरानी वर्दियां वापस लौटाने के बाद जवानों को नई वर्दियों की सप्लाई	Supply of new uniforms to Jawans after the surrender of old ones . .	56
9498.	अल्वाई विरल मृद (रेयर अर्थ) फैक्टरी में ट्री सोडियम फास्फेट का उत्पादन	Production of Tri sodium phosphate in Alwaye Rare Earth Factory . .	57
9499.	एल्युमिना का निर्यात	Export of Alumina	57
9500.	विदेशों में भारतीय सहयोग	Indian Collaboration in Foreign Countries	57
9502.	भारत चीन संघर्ष के प्रति रूस की प्रतिक्रिया	Soviet reaction to Indo-China Conflict	58
9503.	भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों पर चीन द्वारा विशेष ध्यान देना	Chinese paying particular attention for Gorkha Ex-soldier of Indian Army.	58
9504.	ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय समन्वय समिति	Central Coordination committee for evaluation of progress of programmes	59
9505.	राज्यों में योजना बोर्डों की स्थापना	Setting up of planning boards in States	61
9506.	एरण्डी के तेल का निर्यात	Export of caster oil	61
9507.	पाकिस्तान की तुलना में पटसन के निर्यात में कमी	Fall in the export of jute as compared to that of Pakistan	62
9508.	बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम	Flood protection programme . .	62
9509.	विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में काम कर रही विदेशी महिला राष्ट्रिक	Foreign female nationals working in Indian embassies abroad . .	63
9510.	परमाणु संयंत्रों में फ्रांस का सहयोग	French cooperation in Atomic plants .	63
9511.	सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को कावेरी परियोजना के लिये केंद्रीय तकनीक निर्वाधिता के लिये मैसूर के प्रतिनिधिमण्डल द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Submission of representation by delegation of Mysore to the Ministry of Irrigation and Power for Central Technical Clearance of Cauvery project	64
9512.	पाकिस्तानी पुलिस द्वारा वैसाखी यात्रियों पर निगाह रखना	Baisakhi pilgrims shadowed by Pakistan police	64
9513.	रूस को काजू का निर्यात	Export of cashew nuts to USSR .	64
9514.	भारत युगोस्लाविया वीजा करार .	Indo Yugoslavia visa agreement . .	65
9515.	कांडला अवाध व्यापार क्षेत्र को लोक प्रिय बनाना	Popularisation of Kandla Free Trade Zone	65
9516.	विदेशों में बनाये गये शो रुम	Show Rooms set up in Foreign Countries	66
9517.	हंगरी के व्यापार शिष्टमंडल द्वारा भारत का दौरा	Hungarian Trade Delegation to India	66
9518.	प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा राजस्थान के सीमा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण	Aerial survey of forward areas of Rajasthan by the Defence Minister .	67

अ०प्र०सं० U.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9519.	पुस्तकों का निर्यात	Export of Books	67
9520.	बिहार से लीची के निर्यात का प्रस्ताव	Proposal for Export of Lichi from Bihar	69
9521.	भूतपूर्व सैनिकों के लिये पेंशन की नई दरें	New pension rates for ex-soldiers	69
9522.	पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त सैनिक उपकरणों का गिलगिट में संग्रह	Stock piling of Military Equipment required by Pakistan from China in Gilgit	70
9523.	पाकिस्तान स्थित अपनी सम्पत्तियों के परस्पर विनियम के बारे में उद्योग गृहों से प्राप्त ज्ञापन	Industrial Houses Memorandum *re:* change of their assets in Pakistan .	71
9524.	पाकिस्तान द्वारा चकमा लोगों का दमन	Pak repression of Chakmas.	71
9525.	राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय फर्मों के लिये यूरोप को इंजीनियरी पुर्जों की सप्लाई के लिये उप-ठेके प्राप्त करना	STC to secure sub-contracts for Indian Firms for supplying Engineering Components to Europe . . .	72
9526.	पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की छावनियों में मकानों का अधिग्रहण करना तथा उनके लिये मुआवजा देना	Resumption of Houses and Compensation paid in Punjab and U.P. Cantonments	72
9527.	ऐच्छिक आधार पर बिहार के ग्रामों को बिजली देना	Supply of Electricity to Villages of Bihar on voluntary Basis . .	72
9528.	सेवा मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपयुक्त रोजगार न देना	Released emergency commissioned officers not provided with suitable jobs	73
9529.	तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	Third International Trade Fair .	74
9530.	हांगकांग से व्यापार शिष्ट मंडल	Trade delegation from Hong Kong .	74
9531.	स्विटरजरलैंड के साथ व्यापार	Trade with Switzerland . .	75
9532.	उत्तर प्रदेश में नहरों के लिये पर्याप्त पानी	Release of adequate water to canals in U.P.	75
9533.	लीची का निर्यात	Export of Lichi	76
9534.	कृषि कार्यों के लिये बिजली देने में रियायत	Concessions for supply of power for agricultural purposes . . .	76
9535.	चीन द्वारा पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सड़कों का निर्माण पूरा करना	Completion of Highways by China along Eastern and Western Border	77
9536.	रावी नदी का फालतू पानी	Surplus water of Ravi river . . .	77
9537.	राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Settlement of ex-soldiers on Rajasthan Pakistan Border	78
9538.	कम्पीटीशन शूटिंग के लिये कारतूसों का निर्माण	Manufacture of Ammunition for Competition shooting . .	78

अ०प्र०सं० U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9539.	काली सूची में नाम आ जाने के बाद भी मैसर्स दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज द्वारा सीमा सड़क संगठन को उपकरणों की सप्लाई	Supply of equipment to Border roads Organisation by M/s Delhi Small scale Industries after being Black-listed	79
9540.	प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जांच	Enquiry regarding corruption cases in the department of defence production	79
9541.	जे० सी० बी० में अनुभागों के अधिकारियों की पदोन्नति में भेदभाव किया जाना	Discrimination in promotions of officers of sections in JCB . . .	80
9542.	जे० सी० बी० के भर्ती नियमों में परिवर्तन	Change in Recruitment Rules of JCB .	80
9543.	व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात	Export of footwear by State Trading Corporation	81
9544.	बिहार सरकार द्वारा सिचाई की दरों में वृद्धि के कारण योजना आयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना	Rejection of proposal of Planning Commission by Bihar Government for increase in rates of irrigation . .	81
9545.	केन्द्रीय मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा	Central Minister's visit to Saudi Arabia	82
9546.	व्यास बांध को पूरा किया जाना	Completion of Beas Dam . . .	83
9547.	पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर में प्रतिरक्षा कालोनियां स्थापित करना	Setting up of Defence Colonies in Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir . . .	84
9548.	संसद् द्वारा चौथी योजना के अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन	Approval of final Draft Fourth Plan by Parliament	84
9549.	प्रधान मंत्री के सचिवालय और इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी न बनाये गये अस्थायी पद	Temporary posts not converted into permanent posts in Prime Minister's Secretariat, its attached and Subordinate offices . . .	84
9550.	मध्य प्रदेश की बिजली पैदा करने की क्षमता	Capacity of Madhya Pradesh for generating electricity . . .	85
9551.	मध्य प्रदेश की सिचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Irrigation project of Madhya Pradesh	85
9552.	विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में टावा परियोजना के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Tawa Projects M.P. by the World Bank . .	86
9554.	आयात लाइसेंस प्राप्त फर्मों द्वारा कम राशि के तथा अधिक राशि के बीजक बनाया जाना	Under Invoicing and over invoicing by firms granted import licences . .	86
9555.	अपने उत्पादन के एक भाग का निर्यात करने के लिये फर्मों को आयात लाइसेंस मंजूर करना	Grants of Import licencce to firms for exporting a part of their production	87

ता०प्र०सं० S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9556.	अल्प संख्यक अधिकार वर्ग (ग्रुप) लन्दन द्वारा भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को उकसाया जाना	Minority rights group, London instigation minority community in India	87
9557.	विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना	Plan to set up Aircraft Production	87
9558.	मलयेशिया में भारतीयों को अवसरवादी बताया जाना	Indians described as 'Fence Sitters' in Malaysia	88
9559.	पाकिस्तान द्वारा गंगा बांध का निर्माण	Construction of Ganga Barrage by Pakistan	88
9560.	निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अल्पकालीन नीतियां	Short term policies for achieving export target	88
9561.	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा भारत के सरकारी क्षेत्र का सर्वेक्षण	Survey of ECAFE regarding India's Public Sector	89
9562.	भारत की देशी विमान निर्माण क्षमता का विस्तार	Expansion of Indigenous Aircraft Manufacturing Capacity of India .	89
9563.	पटसन की वस्तुओं को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये किये गये उपाय	Measures adopted to popularies jute goods in foreign countries . .	89
9564.	गैर सरकारी विद्युत उत्पादन पूर्ति कम्पनियां	Private Electricity generating supplying companies	90
9565.	लापता रूसी कर्मचारी का पता लगाना	Detection of missing Soviet Employees	90
9566.	हथकरघों के लिये कुछ मदों का आरक्षण	Reservation of certain items for Handlooms	90
9567.	हज यात्री तथा उनको सुख सुविधाएं देने वाली ऐजेंसियां	Haj pilgrims and the agencies to Look after their welfare	91
9568.	वैदेशिक व्यापार मंत्रालय की प्रशासन शाखाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of scheduled castes in Administrative Branches of Ministry of Foreign Trade	91
9569.	काठमांडू त्रिशूली मार्ग के निर्माण के लिये नियत धनराशि	Amount earmarked for construction of Kathmandu Trishuli Road . .	91
9570.	विभिन्न राज्यों में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in various States	92
9571.	बाढ़ नियंत्रण के लिये नियत धन राशि	Amount allocated for Flood Control .	93
9572.	असैनिक पेंशन भोगियों के पेंशन सम्बन्धी दावों का निबटारा	Settlement of pension claims Civilian Pensioners	93
9573.	राडार और सूक्ष्म तरंग (माइक्रो वेव) वाले उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Radars and Microwave Equipment	93
9574.	पाकिस्तान विमानों द्वारा वर्ष 1970 में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Air violations by Pakistan aircraft during 1970	94

ता॰ प्र॰सं॰ S Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9575.	चाय बोर्ड में सुधार	Reforms in Tea Board	94
9576.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय में वैदेशिक कार्य सचिवों को बदलना	Change of Foreign Secretaries in Ministry of External Affairs	94
9577.	आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षण	Reservation for S.C./S.T. Employees in Ordnance Factories . . .	95
9578.	कम्बोडिया में वियतनामियों का नर संहार रोकने के लिये हनोई द्वारा भारत से सहायता देने का अनुरोध	Hanoi request to India for help to stop massacre of Vietnamese in Cambodia	95
9579.	स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के वर्कशाप कर्मचारियों, ग्रुप एक के असैनिक तकनिशयनों के लिये दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वेतनमान	Pay scales as recommended by the Second Pay Commission for workshop staff of the Army, Navy and Air Force for Group I Civilian Technicians	92
9580.	वायुसेना के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Air Force Employees	96
9581.	सरकारी गुप्त भेदों को प्रकट करने पर गिरफ्तार किये गये अधिकारी तथा कर्मचारी	Officers and Employees arrested for divulging official Secrets . .	97
9582.	ए॰ एम॰ आई॰ ई॰ परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आयुध कारखानों के अराजपत्रित अधिकारियों को वार्षिक वृद्धियां न देना	Non-payment of increments for passing A.M.I.E. Exams, by Non-Gazetted Officers of Ordnance Factories .	97
9583.	सुपरवाजार 'ए' ग्रेड की चार्जमेन के रूप में पदोन्नति	Promotion of Supervisors 'A' Grade to chargemen	97
9584.	केरल में यूरेनियम का पाया जाना	Uranium found in Kerala . .	98
9585.	योजना का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन	Publishing of Yojana in regional languages	98
9586.	विध्वंसक कार्यवाहियों के लिये सैनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी	Army Officials arrested for Subversive Activities	98
9587.	मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना	Irrigation scheme in Madhya Pradesh	99
9588.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एक कारखाने के फालतू कर्मचारियों का सेवाओं का अन्य यह कारखानों की सेवाओं का लाभ न उठाने देना	Non-utilisation o f the services of surplus personnel of one H.A.L. Unit in the sister unit . .	99
9589.	कोरापुट (उड़ीसा) में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विमान इंजिन कारखाने की स्थापना	Setting up of an aero engines factory of H.A.L. at Koraput (Orissa) . .	100

ता०प्र०सं० S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9590.	हथकरघा उद्योग के लिये अत्यावश्यक रंग सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of dystuff essential for Handloom industry . . .	100
9591.	कच्चे माल तथा सूत की पूर्ति	Supply of Raw Materials and Yarn .	101
9592.	निकल का आयात	Import of Nickel	101
9593.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये सिचाई की सुविधाओं की व्यवस्था	Irrigation facilities to the farmers of eastern Uttar Pradesh . . .	102
9594.	उत्तर प्रदेश में मार्टिन बर्न इलेक्ट्रिक कम्पनी	Martin Burn Electric Company in U.P.	102
9595.	मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ऊंची दरों पर बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity on Higher Rates in Mirzapur, U.P.	103
9596.	सुनाबेदा, कोरापुट स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में इंजीनियरों और तकनीशनों का इन्टर्व्यू के लिये चुनाव	Selection of Engineers and Technicians called for interview in H.A.L. at Sunabeda, Koraput . . .	103
9597.	दामोदर नदी घाटी निगम के अधिकारियों द्वारा झूठे दावों के आधार पर यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता लेना	Drawing of Travelling Allowance and Dearness Allowance by Officers of Damodar Valley Corporation on False Claims	104
9598.	रबड़ के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of price of Rubber .	104
9599.	नारियल जटा का निर्यात शुल्क हटाना	Abolition of export duty on coir .	105
9600.	दक्षिण कोरिया को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of wagons to South Korea	105
9601.	पाकिस्तान और ईरान की वायु सेना द्वारा संयुक्त वैमानिक अभ्यास	Joint air exercises by Pakistani and Irani Air Force	105
9602.	मानव बालों के निर्यात में कमी	Fall in Export of human hair . .	106
9603.	तमिल नाडु द्वारा कुन्डा पनबिजली भंडार के जल का उपयोग	Utilisation of water of Kundha Hydel Storage by Tamil Nadu . . .	106
9604.	चौथी योजना के अन्त में राज्यवार अनुमानित प्रति व्यक्ति आय	Anticipated State wise per capita income at the end of Fourth Plan . .	106
9605.	सेना आयुध कोर में क्लर्कों के लिये पदोन्नति के अवसर न होना	No avenues for promotion for clerks in the Army Ordnance Corps . .	107
9606.	राज्य व्यापार निगम द्वारा छोटे उपभोक्ताओं के लिये आयातित नायलोन धागे का नियतन	Allocation of Nylon yarn imported by S.T.C. to small consumers . .	107
	सभा के कार्य के बारे में	*Re*: Business of the House . .	108
	'नारदर्न इण्डिया पत्रिका' इलाहाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against '*Northern India Patrika*' Allahabad . .	110
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	110

ता०प्र०सं० S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . .	111
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तरेसठवां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bill and Resolutions Sixty-third Report	111
	मुस्लिम वैयक्तिक विधि में सुधार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1413 के उत्तर में शुद्धि	Correction of answer to SQ No. 1413 re. Reform in Muslim Personal Law	112
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1968	University Grants Commisision (Amendment) Bill, 1968 .	113
	विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, और	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha and	
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Reports of University Grants Commission	
	डा० म० संतोषम	Dr. M. Santosham	114
	श्री राजदेव सिंह	Shri Raj Deo Singh	115
	श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan .	116
	श्री रा० दो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare . .	117
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . .	118
	श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal .	119
	श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	120
	श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua .	122
	श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki .	123
	श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair .	124
	श्रीमती इला पाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhury	125
	श्री शिकरे	Shri Shinkre . .	126
	श्री छ० म० केदारिया	Shri C. M. Kedaria	127
	श्री श्रद्धाकर सूपकार	Shri Sradhakar Supakar .	127
	श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar .	128
	डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	128
	बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar	132
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	132
	श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha .	133
	श्री राम अवतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	134
	श्री रविराय	Shri Ravi Ray	134
	श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	134

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 13 मई 1970/23 वैशाख, 1892 (शक)

Wednesday, May 13, 1970/*Vaishaka* 23, 1892 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ताइवान के साथ संबंधों के बारे में संसद् सदस्यों का प्रधान मंत्री को ज्ञापन

1591. श्री अ० दीपा : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने भारत सरकार द्वारा ताइवान के राष्ट्रिकों को शत्रु तथा अमित्र देशों के नागरिकों के बराबर रखने के अविवेकपूर्ण निर्णय का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार कर रही है और उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ताईवान के यात्रियों के बारे में प्रधान मंत्री को कुछ संसद-सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) ताईवान के चीनियों को बिना सोचे समझे शत्रु अथवा अमित्र देशों के राष्ट्रिकों के साथ रखने का प्रश्न ही नहीं है। सरकार ताईवान को अलग राज्य ही स्वीकार नहीं करती और न उसके पासपोर्ट को ही मान्यता देती है। लेकिन, ताईवान से जो पर्यटक भारत आना चाहते हैं, उन्हें वीज़ा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री अ० दीपा : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम को वीसा सम्बन्धी सुविधाएं देती हैं जबकि इन दोनों देशों ने भारत के प्रति हमेशा वैर-भाव रखा है ? यदि हां, तो सरकार फारमोसा के प्रति अपना वैर-भाव रखने को कैसे औचित्य सिद्ध करती है जिसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है और उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया की तुलना में हमारे प्रति विरोधी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मेरे विचार सुनने से पहले यह प्रश्न लिख लिया होगा।

श्री पीलु मोदी : मंत्री महोदय ने भी यहां आने से पूर्व अपना उत्तर लिख लिया होगा.....

(व्यवधान)

श्री नन्द कुमार सोमानी : मंत्री महोदय को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री सु० हु० तापड़िया: आप उनकी उत्तर पुस्तिका को जब्त कर लीजिए। हम देखेंगे कि वे कैसे उत्तर देते हैं।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य अपने स्कूल के दिनों की याद कर रहे हैं जबकि किताबों को जब्त कर लिया जाता था। सारी बात यह है कि ऐसा कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता है।

श्री अ० दीपा: मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तरी कोरिया के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी और काश्मीर पर पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन किया था और कई संसद् सदस्यों ने इस संबंध में विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था? उत्तरी वियतनाम ने भी इसी तरह का वक्तव्य दिया था। भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और फारमोसा की तुलना में उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम के मामले में वीसा संबंधी नियमों में ढील देने के क्या कारण हैं?

श्री दिनेश सिंह : यहां हम ताइवान से आने वाले चीनियों को वीसा देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं न कि पाकिस्तान में वियतनाम के लोकतन्त्रात्मक गणराज्य और उत्तरी कोरिया के बारे में दिये गये वक्तव्य, जिसका उत्तर हमने पहले ही संसद् में दे दिया है, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ताइवान से आने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है।

Shri Meetha Lal Meena : Twenty years have passed since China was divided in two parts namely Formosa or Taiwan which wants friendship with us and secondly China, which is our enemy. Three-fourth countries of the world have recognised China but still our Government do *not* regard them a separate country although Formosa has extended hands of friendship. I want to know the number of persons who had applied for visa last year and how many of them have been granted visas.

Shri Dinesh Singh : The Hon. Member has stated that China was divided in two parts. We are not aware of it. Neither Chinese regard that its country has been divided in two parts nor the people of Taiwan regard the same. The Hon. Member and other members were using some words for themselves. It is the creation of their minds. China has not been divided in two parts.

श्री पीलु मोदी: यह प्रश्न का आशय न था। प्रश्न का आशय यह था कि कितने वीसा के लिए अनुरोध किया गया था और कितने वीसा दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बीच में आने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य, जो अभी बोले थे, ने मूल प्रश्न को नहीं सुना। माननीय सदस्य द्वारा चीन के विभाजन वाली बात के बीच में यह प्रश्न किया गया था कि ताइवान जाने के लिए कितने पार-पत्रों के लिए आवेदन किया गया था।

Shri Meetha Lal Meena : May I know the number of persons who applied for visas and how many of them were granted.

Shri Dinesh Singh : We do not grant visas for going to Taiwan.

श्री प्र० के० देव : भारत और ताइवान दोनों "इकैफे" और एशियाई विकास बैंक के सदस्य हैं। इन दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं और हाल में ढाई करोड़ रुपये मूल्य के रेलवे डिब्बों का निर्यात हुआ था तथा एयर इंडिया और ताइवान एयरलाइन्स के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है, दूसरे ताइवान के ताईचुन धान ने हमारे देश में कृषि क्रांति का सूत्रपात किया है। इस बढ़ते हुए आर्थिक संबंधों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि ताइवान को पुर्त्तगाल, पाकिस्तान, रोडेशिया, साम्यवादी चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ क्यों रखा जा रहा है जबकि उनके साथ हमारे नितांत व्यापार संबंध नहीं हैं

और जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमसे वैरभाव रखते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि उनको क्यों एक घेरे में रखा जा रहा है? ताइवान के पर्यटकों को पार-पत्र देने के मामले में उनके साथ पुर्त्तगाल, पाकिस्तान, रोडेशिया अथवा दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के समान व्यवहार क्यों किया जा रहा है?

श्री दिनेश सिंह : इस बात में कठिनाई उठती है क्योंकि माननीय सदस्य ने 'ताइवान' शब्द का प्रयोग ऐसे देश के लिए किया है जिसका विश्व में कोई अस्तित्व नहीं है, सारी बात तो यह है कि ताइवान में अधिकारियों का कहना है कि वे चीन की सरकार है। हम ताइवान में चीन की सरकार को मान्यता नहीं देते हैं। हम पेकिंग में चीन की सरकार को मान्यता देते हैं। अतएव हम ताइवान में चीन सरकार द्वारा जारी पार-पत्रों और वीसा को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि ताइवान से आने वाले व्यक्ति अपने साथ हलफ़नामा लाते हैं तो उन्हें यहां उतरने का परमिट दिया जाता है।

श्री क० लकप्पा : जब हमने शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में सुदूर पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की थी, तो हमने पाया कि हमारे देश की सक्रिय नीति ने उन देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ करने तथा बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है। ताइवान एक कृषि प्रधान देश है और हम ताइवान से शिष्टमंडलों का स्वागत कर रहे हैं और ताइवान में भी हम शिष्टमंडलों को भेज रहे हैं। हमने ताइवान से तकनीकी जानकारी और कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी प्राप्त की है जिसकी जानकारी हम अन्य पिछड़े देशों को दे रहे हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संबंध में सक्रिय विदेश नीति अपनाने और हमारी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए क्या भारत सरकार ताइवान को मान्यता देने जा रही है? साम्यवादियों के डर से वे मौन बैठे हैं।

श्री दिनेश सिंह : किसी देश की मान्यता का प्रश्न तब आता है जब वह अस्तित्व में आ जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि ताइवान नाम का कोई देश नहीं है।

श्री चेंगलराया नायडू: भारत ने पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी है। यद्यपि पूर्वी जर्मनी के साथ हमारे राजनयिक संबंध नहीं है, वहां वाणिज्य दूत नियुक्त किये गए हैं तथा उनके साथ हमारा व्यापार संबंध है। हमने केवल दक्षिण कोरिया को मान्यता दी है और उत्तरी कोरिया को नहीं दी है। हमने केवल दक्षिणी वियतनाम को मान्यता दी है और उत्तरी वियतनाम को नहीं दी है। फिर भी हमारे उत्तरी कोरिया और उत्तरी वियतनाम के साथ संबंध हैं। हम उत्तरी वियतनाम में राजदूत तक रखना चाहते थे, यद्यपि ताइवान एक राज्य नहीं है परन्तु राष्ट्रवादी चीन वास्तविक चीन है, एक विद्रोही चीन है जिसका हमारे प्रति आक्रमक रवैया है। क्या आपकी यह नीति है कि उनके साथ मित्रता रखी जाये जो देश हमारे शत्रु हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाये जो हमारे मित्र हैं? सरकार की इस नीति के कारण हमारे सभी जगह शत्रु हैं और कोई मित्र नहीं है जबकि पाकिस्तानियों के हर स्थान पर मित्र हैं। क्या यह सरकार कम से कम ताइवान, राष्ट्रवादी चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने पर विचार करेगी?

श्री दिनेश सिंह: यदि मैं उस बात को दुबारा कहूं, जो मैंने पहले कही थी, तो वह यह है कि कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि माननीय सदस्यों ने ताइवान के बारे में बोलना आरम्भ कर दिया है जैसे कि मानो वह स्वतंत्र देश है। यह तथ्य नहीं है। ताइवान चीन होने का दावा करता है। ताइवान में सरकार चीन की सरकार होने का दावा करती है। हम चीन की सरकार को मान्यता देते हैं जो कि चीन में है न कि उस सरकार को जो कि इस द्वीप में है। यह सारी कठिनाई इसी कारण उत्पन्न हुई है। ताइवान चीन से अलग नहीं हुआ है। उनका दावा है कि वे समूचे चीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभा जानती होगी कि इसी पर हम गत 20 वर्षों से वाद-विवाद कर रहे हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम चीन की सरकार को मान्यता देते हैं। हम ताइवान में सरकार को मान्यता नहीं देते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government of Taiwan is a member of Security Council as well as of United Nations Organisation. Many countries have recognised Taiwan. Our Government had inadvertently assumed that Government as hostile at the time when slogans like Chini-Hindi Bhai-Bhai were raised. Now since the Government of Red China is hostile to our country, then whether the Government will take action to set the record straight and taken into consideration the fact that Taiwan Government is a member of Security Council. Will she revise its decision in the interest of the country?

Secondly, we want good relations to be established with Taiwan Government even it may be upto diplomatic relations. But whether the Government would take further steps to maintain good relations which is in our interest because we can have technical know-how from Taiwan and Taiwan has maintained a considerable number of army of Red China?

Shri Dinesh Singh : I am facing this difficulty since morning about which I cannot understand how the Hon. Members are going back while the world is going ahead. The world is going ahead and one by one they are recognising the Government of China which is in Peking and the Hon. Member says that we should go reverse to it and start doing such work which may undo whatever right steps we had taken earlier. Our Government do not agree with this. We respect the viewpoints of Hon. Members. But his views have become twenty years old.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether you are doing something in order to have close relations with them. Mr. Speaker I want your protection. I had said that there may not be diplomatic relations but whether he is doing something to have close relations.

Mr. Speaker : I do not allow this question now.

श्री वी० कृष्णामूर्त्ति : जब हमारे देश की मित्रता चीन के साथ थी, मेरा तात्पर्य लाल चीन से है, तो हम कहा करते थे––"हिन्दी-चीनी भाई-भाई", परिस्थिति अब बदल गई है। भारत और चीन के बीच वैरभाव के बाद काफी परिवर्तन आ गया है। हमारी सरकार को इस देश की व्यावहारिक आवश्यकताओं को जानना चाहिए। मंत्री महोदय कह रहे थे कि जहां तक भारत सरकार की नीति का संबंध है, ताइवान और लाल चीन के बीच कोई भेद नहीं है, परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि ताइवान सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है। जबकि ताइवान सुरक्षा परिषद् का स्थाई सदस्य है, सरकार बार-बार संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन को लाने के मामले को उठा रही है। इससे यह पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार की नीति के अनुसार दो चीन हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को ताइवान को चीन की मुख्यभूमि से एक अलग देश का अस्तित्व सही अर्थों में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस देश के हित में भारत सरकार ताइवान को एक अलग देश की मान्यता देकर हमारे राजनयिक संबंध उनसे क्यों नहीं रखती है जबकि उन्होंने वियतनाम, उत्तरी कोरिया और अन्य देशों को मान्यता दी है?

श्री दिनेश सिंह: यदि माननीय सदस्य संयुक्त राष्ट्र का लेखा देखें तो वे पायेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में ताइवान नाम का कोई सदस्य नहीं है।

श्री बलराज मधोक: मंत्री महोदय इस सभा के साथ गंभीरता से पेश नहीं आ रहे हैं। क्या वे कह सकते हैं कि ताइवान जैसा कोई देश नहीं है? उनका कहना है कि ताइवान जैसे देश का अस्तित्व नहीं है, सभा के साथ पेश आने का यह कोई तरीका नहीं है। हम इसे सहन नहीं करेंगे, वे कह सकते हैं कि "हम ताइवान को मान्यता नहीं देंगे।" मैं इसको समझ सकता हूं, पर ऐसा कहना कि ताइवान जैसा कोई देश नहीं है––यह समझ में नहीं आता है। सभा के साथ पेश आने का यह कोई तरीका नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister is evading to answer the question since morning. He does not want to reply. This is not the correct way. We want your protection. We request you to get our reply from the Hon. Minister.

श्री बलराज मधोक : वे यह कहें कि हम ताइवान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। मैं उसे समझ सकता हूं। आज दो कोरिया हैं, दो जर्मनी हैं, दो वियतनाम हैं और दो चीन हैं। आज दो चीन हैं, वे यह कहें कि "हम एक चीन को स्वीकार करते हैं और हम दूसरे चीन को स्वीकार नहीं करते हैं।" वे ऐसा क्यो नहीं कहते हैं? वे प्रश्नों का उत्तर क्यों टालते हैं? (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : मेरी कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य मेरे से यह कहलवाना चाहते हैं जो कि इस विश्व में नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे माननीय सदस्य जो कहलवाना चाहते हैं उससे संरक्षण दें। वे कहते हैं कि दो चीन हैं। ऐसे कोई दो चीन नहीं है। न ताइवान सरकार, जिसके बारे में

वे बात कर रहे हैं और जिसका अस्तित्व नहीं है, और न पेकिंग में सरकार यह कहती है कि दो चीन हैं। मेरे विरोधी माननीय सदस्य को छोड़कर कोई नहीं कहता है कि दो चीन हैं। क्या ताइवान में सरकार ने ऐसा कभी कहा कि यह एक अलग, स्वतंत्र सरकार है और यह एक अलग सरकार है? हम उस सरकार को मान्यता कैसे दे सकते हैं जो इस विश्व में नहीं है? मुझे ऐसे प्रश्न पर आश्चर्य होता है जो यह कहते हैं कि ताइवान सरकार है। ताइवान की कोई सरकार नहीं है (**व्यवधान**) यह ताइवान सरकार को मान्यता देने का प्रश्न नहीं है अपितु चीन की सरकार की मान्यता बदलने का प्रश्न है। हमने पहले ही कह दिया है कि हमारा विचार ऐसा करने का नहीं है।

Shri Randhir Singh: When the policy of China is not to recognise Kashmir as part of India, to help Pakistan, to talk of revolution in Bengal and Assam through Naxalites then to show sympathy with China means to appease the enemy. I want to know from the Hon. Minister when China harass us then why not adopt a soft policy towards Taiwan which is now not a part of China and a separate country so as to teach a lesson to China? If we sympathetically consider to recognise that country then what is the harm to the Government ?

Shri Dinesh Singh : It is not a matter of gain or loss to the Government. I have repeatedly said that the question of recognition arises for that country which regards herself as an independent country. Taiwan does not regard herself as a separate country. She calls herself China. How can we regard them China. (*Interruptions*) The Government of China is in Peking. Perhaps to-day we are not in good terms with them but to-morrow we may have good relations with them. It is not understandable that we should not recognise China because we do not have good relations with China as the Government of whole China is in Peking.

Shri Ram Sevak Yadav : Just now the Hon. Minister in reply to some questions has stated that there are no two-China. I am surprised at this reply. Can it be possible that he may say that India and Pakistan are not two countries. After the second World War some such countries came into existence to whom other countries have givan recognisation and have established diplomatic relations with them. One such countries is East Germany and West Germany and the second is Israel and the third is Formosa. I want to know whether the Government keep in mind the political thinking of that country to whom it gives recognition or do not give recognition under the pressure and compulsion of those persons with whom they have relation at international level? I want to know what is the basis of giving recognition and establishing diplomatic relations? Instead of taking into consideration the friendship which one country keeps with other, whether the Government would establish diplomatic relations with all those countries who came into existence after the second World War by keeping in mind the defence interest of their country?

Shri Dinesh Singh : The same thing has been repeated. He mentioned Formosa instead of Taiwan. The point is there where it is. The Hon. Member has said that many countries have given recognition to Formosa. He may write to me which countries have been recognised and which have not.

श्री वीर भद्र सिंह : विश्व में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनको हमने मान्यता नहीं दी है। फिर भी उनके साथ हमारे व्यापार और वाणिज्य दूत स्तर के संबंध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ताइवान के साथ व्यापार वाणिज्य स्तर पर संबंध रखना चाहती है।

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं।

Shri Ramavatar Shastri : It is good that the Government of India recognise the Peking Government as Chinese Government and do not recognise the Government of Taiwan. The Government of Taiwan, as a matter of fact, is a broker Government of America.

Mr. Speaker, you know that Pandit Jawaharlal Nehru had been saying repeatedly that Taiwan is a part of China and it is also the policy of our Government that it is the part of China. In this content I want to know what action the Government propose to do in the United Nations so that China get Taiwan and it may be merged with China which is her real position? I want to know the policy of the Government in this respect?

Secondly, we have come to know that the Government of Taiwan—which is a stooge Government of America have conferred with the degree of *doctorate* to some people in India. We have also heard that some one, who is also a Member of Parliament, is to go there to receive this degree. I want to know the name of that person to whom Taiwan has conferred with the Degree of Doctorate.

Shri Dinesh Singh : It cannot be denied that Taiwan is a part of China. The Government, present in Taiwan and the Government in Peking both regard Taiwan as part of China. There is no point of controversy on this. Taiwan is a part of China and it is to the people of China to decide who will control it. As regards to the question of the Hon. Member that who has come with doctorate from Taiwan.....

Shri Ramavatar Shastri : I also asked what action you are going to take to see that Taiwan should go to China.....(*interruptions*).

Shri Kanwar Lal Gupta : You cannot record the part of your country and you are talking of giving it.

Shri Dinesh Singh : This question does not arise that Taiwan may go to China because it is a part of China.

Shri Ramavatar Shastri : My second question has not been replied to..(*interruptions*)

श्री पीलु मोडी : क्या यह सच है कि इस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश कराने का प्रस्ताव रखा था और क्या इन मंत्री महोदय का कहना है कि केवल एक चीन है और वे केवल चीन की एक सरकार को मान्यता देते हैं तो क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश कराने के प्रयत्न करते समय साथ ही साथ यह कहा था कि ताइवान में चीन की सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग कर दिया जाये ? उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह कहना सही नहीं है कि सरकार केवल एक चीन को मान्यता देती है। इससे भी अधिक बहुत से देशों ने ताइवान सरकार को मान्यता प्रदान की है और उनका सम्बन्ध प्रधान भू-भाग (मेन लैंड) चीन से भी है। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने दोनों सरकारों को मान्यता दी हुई है । मंत्री महोदय के इस तर्क में कौन-सी बड़ी बात है कि वे केवल एक ही सरकार को मान्यता दे सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने सदा की भांति प्रश्न किया और अपनी ही सुविधानुसार उसका उत्तर दे दिया। अब वे कहते हैं कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का प्रस्ताव किया है और हमने उस स्थान को जिस पर पुरानी सरकार है खाली करने के लिए नहीं कहा है। यह सही नहीं है। हम ने यह कहा है कि तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार का स्थान चीन जनतंत्रवादी गणराज्य की सरकार को दिया जाना चाहिए।

श्री पीलु मोडी : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री दिनेश सिंह : दो सरकार को मान्यता देने का कोई प्रश्न नहीं है। एक को स्थान खाली करना पड़ेगा और यह स्थान उचित सरकार को देना पड़ेगा जो कि चीन जनतंत्रवादी गणराज्य है। माननीय सदस्य ने सभा को जो यह सूचना दी है कि ऐसे भी देश हैं जिन्होंने दोनों चीन को मान्यता दी है तो मेरा कहना है कि यह सच नहीं है। जहां तक उस स्थिति का संबंध है, एक देश या तो चीन जनतन्त्रवादी गणराज्य को मान्यता देता है या राष्ट्रवादी चीन को। निश्चय ही कोई भी फारमोसा की प्रभावी

सरकार से संबंध रख सकता है। यह एक अलग मामला है। परन्तु किसी भी देश को एक ही चीन की सरकार को मान्यता देनी होगी और हम चीन जनतंत्रवादी गणराज्य को मान्यता देते हैं और हमारा इसमें कोई भी परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

श्री बलराज मधोक: क्या आप उनके साथ संबंध रखने को तैयार है?

श्री पीलु मोडी : क्या आप लद्दाख में चीन की सरकार को मान्यता दे रहे हैं?

Shri Madhu Limaye : Sir, the hon. Minister know well what is meant by the policy of two-China because Peking Radio has constantly abusing the Governments of India and Russia for exercising the policy of two-China. The meaning of two-China policy is quite clear. Major part of Chinese territory is governed by the one Government while Taiwan is governed by the other Government. Both of the Governments claim that their's is the real Government of China. The meaning of the Peking's statement pertaining to the policy of two-China is the recognition to both the Governments. The hon. Minister has stated that no government in the world are prepared to recognise both the Governments separately. But is it necessary for India to follow the policies of the other countries? So many new ideals have been introduced by us. Who admits the policy of neutrality before? In this context may I know whether the Government would take initiative to recognise both the Peking Government as the Government of the major part of the Chinese territory and the Taiwan Government?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has mentioned that the Government of India are propogating the idea of two-China.....(*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : We want that you should adopt this policy but you are not doing so.

Shri Dinesh Singh : My submission is that perhaps the Government of Peking are referring to the feelings of the hon. Member. (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : If you begin to feel alike the country will be benefited to a great extent.

Shri Dinesh Singh : What I am saying is for the betterment of the country.

The hon. Member wants that the Government should make efforts to recognise the Peking Government as the Government of China and to recognise the other Government as the Government of Taiwan. Since we recognise Taiwan as an integrated part of China it is not our policy to recognise it as a separate antity.

Shri Jageshwar Yadav : Sir, it is our good-luck that after a long period of dependance our country has got liberation. But after achieving independence we observe that the Members of Parliament fight with each for the cause of other countries. It is a matter of concern that countries like America and others who believe in expansionism are engaged in splitting up the integration and unity of our country. In this context I want to know from the hon. Minister whether they will maintain the balance of their minds in this situation when the Governments of the emperor-minded countries want to divide us and as a result of which certain Members of Parliament fight with each other, some of them for a particular country and some of them against that country. (*Interruptions*) May I know whether they will keep minds balanced in order to maintain the liberation of the country? I want to know the steps proposed to be taken enthusiastically in this matter ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा माननीय सदस्यों से एक निवेदन है। इस प्रश्न पर 40 मिनट पहले ही व्यतीत हो चुके हैं। कल भी अल्प सूचना प्रश्न पर इतना अधिक समय लग गया था।

मैं सभा की प्रक्रिया में संशोधन करने की बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं। स्वयं माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि प्रश्नोत्तरकाल में बहुत से विवादास्पद प्रश्न खड़े हो जाते हैं जिन पर सभा में वाद-विवाद आरम्भ हो जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप बहुत समय बरबाद हो जाता है...

श्री पीलु मोडी : आप चाहें तो प्रक्रिया को उल्टा कर सकते हैं। मंत्री महोदय पहले उत्तर दें और हम उसके पश्चात् प्रश्न पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें समितियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये। सभा की कार्यवाही को समय सूची के अनुसार चलाना बहुत कठिन हो गया है। हमें या तो अधिक समितियां बनानी होंगी अथवा सलाहकार समिति को संसदीय समिति में बदलना होगा।

श्री रवि राय : यह बहुत उत्तम विचार है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों को ऐसे मामलों पर सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरकाल को बरबाद करने की अपेक्षा वहां विचार-विमर्श करना होगा। सलाहकार समिति में ऐसे विषयों पर जितनी देर तक चाहें विचार-विमर्श किया जा सकता है। कल के पर्यटन जैसे तथा आज के तेवान जैसे विवादास्पद विषयों पर कितनी भी देर तक वहां विचार-विमर्श किया जा सकता है तथा उससे सभा का समय बरबाद होने से बच जायेगा।

Shri Madhu Limaye : First itshould be discussed first separately.

Shri Rabi Ray : It would be the best thing if the standing committees are formed under your leadership.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस बात पर सहमत हो जायें कि किसी भी मामले पर चाहे वह महत्वपूर्ण हो अथवा नहीं तीन या चार प्रश्नों से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। तथा माननीय सदस्यों से यह निवेदन भी है कि जब मैं उनसे बैठने के लिये कहूं तो वे बैठ जायें।

Shri Kamal Nayan Bajaj : Sir, we want to co-operate with you. The causes of arising out such problems should be clarified first. One of the reasons for which the time of the House is wasted is that the hon. Ministers do not furnish appropriate information. If the hon. Ministers reply accordingly the hon. Members will not be forced to put so many questions. Therefore, I request that you should also ask the hon. Ministers to reply to the questions correctly. Much time can be saved in this manner.

Mr. Speaker : It does not look nice that controversial matters like that are raised in the House in such a way. These matters should be discussed in the committees.

Shri Rabi Ray : It would be better if such committee is appointed.

श्री हेम बरुआ : आपका सुझाव सराहनीय है।

श्री एस० पडघन : क्या आप अपने सुझाव के बारे में सरकार से पत्र-व्यवहार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं। मेंने इस बारे में अभी निश्चय नहीं किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम आपका समर्थन करेंगे।

Shri Dinesh Singh : In reply to the question of the hon. Member regarding the balance of the mind I want to submit that the ideas of the Government over this matter are quite balanced. If the hon. Member also keep their ideas balanced it would be easier for us to deal with the matter.

कोलम्बो में भारतीय नजरबन्द की मृत्यु

1592. श्री जे० मुहम्मद इमाम :

श्री एस० पी० रामामूर्ति :

श्री नंजा गौडर :

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1970 के "हिन्दू" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कोलम्बो के आप्रवासी शिविर में नजरबन्द एक भारतीय की 27 मार्च, 1970 को मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या इससे इस शिविर के अनगिनत लोगों में जिन्हें श्रीलंका में अवैध प्रवेश के आरोप में वहां नजरबन्द रखा गया है, काफी चिन्ता एवं भय पैदा हो गया है; और

(ग) क्या सरकार को हमारे उच्च आयुक्त से इन घटनाओं के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समय, बन्दी शिविर के बन्दियों ने भूख-हड़ताल कर दी थी। लेकिन अन्य कारण भी थे, जैसे उनकी नजरबन्दी की अवधि और परिस्थितियां।

(ग) 26 मार्च, 1970 को श्रीलंका आप्रवास विभाग ने कोलम्बो स्थित हमारे हाई कमीशन को यह सूचना दी कि एस० एम० इस्माइल नाम के एक बन्दी की छाती में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और उसे उसी दिन अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हाई कमीशन के अधिकारी तुरंत बन्दी शिविर गए। अस्पताल में लगभग 10.50 बजे इस्माइल की मृत्यु हो गई और इसकी सूचना भी आने वाले अधिकारी और हाई कमीशन को तुरंत दी गई। दूसरे दिन अस्पताल में जब उसकी शव परीक्षा की गई तो डाक्टरों की राय यह थी कि उसकी मृत्यु, "कारोनरी रोध के कारण हृतपेशी संक्रमण" से हुई। नगर कोरनर का कथन यह था कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : श्री इस्माइल को उनकी मृत्यु से आठ महीने पूर्व गिरफ्तार किया गया था। यह कहा गया है कि उन्हें तथा अन्य नज़रबन्द व्यक्तियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था तथा यह भी कहा गया है कि श्री इस्माइल को निर्दयता पूर्वक पीटा गया था जिससे उसकी छाती में दर्द होने लगा। उन्हें समुचित चिकित्सा सहायता भी नहीं दी गई थी और जब एक डाक्टर ने उन्हें अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहा तो अधिकारियों ने इससे इंकार कर दिया तथा वे उन्हें अपनी गाड़ी में ले गये। उसके थोड़े ही समय पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई।

क्या श्रीलंका सरकार उन भारतीय नागरिकों को मुकदमा चलाया बिना 8 महीने से अधिक समय तक नजरबन्द रख सकती है ? इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के क्या नियम और परम्पराएं हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब श्रीलंका सरकार किसी भारत मलक नागरिक को नजरबन्द करती है तो

क्या वह भारत सरकार को इस बात की सूचना देती है कि कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। आखिरकार वे भारतीय नागरिक हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार की आशा की जानी चाहिये क्योंकि वे कोई अपराधी तो नहीं हैं। सम्भव है वे वहां गलती से पहुंच गये हों। नजरबन्द किये गये भारतीयों के साथ नजरबन्दी के समय किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिये।

नजरबन्द करने से सम्बन्धित यह अकेला मामला ही नहीं है। कहा गया है कि इसी प्रकार सौ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है। सरकार उन व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिये तथा उन्हें घर भिजवाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्रीलंका में नियुक्त उच्चायुक्त ने क्या रिपोर्ट दी है? जिन भारतीयों को वहां वैधरूप से या अवैध रूप से नजरबंद किये जाने के बारे में वे क्या सतर्कता बरतते हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : श्रीलंका सरकार द्वारा श्रीलंका आप्रवासन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत दो शिविर बनाये गये हैं तथा उन सभी व्यक्तियों को जो अवैध रूप से श्रीलंका में प्रवेश करते हैं उन्हें कभी कभी इन शिविरों में नजरबन्द कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में जांच की जाती है कि वे कहां से आये हैं और क्या उन्हें श्रीलंका में रखा जाना चाहिये अथवा उन्हें वहां से निकाल देना चाहिये। कभी कभी इस जांच में देरी भी हो जाती है। यह भी सच है कि कभी कभी इस बात में आठ या नौ महीने तक की देरी हो जाती है। जांच की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि उसमें देरी हो ही जाती है।

फिर भी जहां तक भारतीय उच्चायुक्त का सम्बन्ध है वह श्रीलंका सरकार से सम्बन्ध बनाये रखता है। उच्चायुक्त अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच कर तथ्यों का पता लगाते हैं। इन मामलों का शीघ्रता से निर्णय किया जाता है।

जहां तक श्री इस्माइल खां को पीटे जाने और घायल आदि किये जाने का सम्बन्ध है, हमें मिली जानकारी के अनुसार उनके साथ शिविर में दुर्व्यवहार या उन्हें वहां पीटा नहीं गया था। जब हमारे उच्च आयुक्त अधिकारी वहां गये तथा उन्होंने नजरबन्द व्यक्तियों से यह पूछताछ की कि उनके साथ क्या हुआ तो किसी भी व्यक्ति ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया अथवा उन्हें पीटा गया जिससे उन्हें चोटें लगी हैं। हमें यह सूचना मिली है कि श्री इस्माइल खां हृदय रोग से पीड़ित थे अतः अचानक उनकी छाती में दर्द होने लगा तथा उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा जहां रोग के कारण उनकी शीघ्र मृत्यु हो गई।

श्री मुहम्मद इमाम : अन्य सौ नजरबन्द व्यक्तियों के बारे में क्या हुआ जिन पर अभी मुकदमा चलाया जाना है। उनके बारे में किसी को चिंता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इन दो शिविरों में लगभग 217 व्यक्ति नजरबन्द हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है हमारे उच्चायुक्त अधिकारी श्रीलंका सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये हैं। वे वहां जाते हैं तथा यह जानने का प्रयास ज्ञात करते हैं कि उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है कि भारतीय नागरिकों से सम्बन्धित मामले यथाशीघ्र ही निर्णीत हो जायें।

श्री एस० कण्डप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय नागरिकों तथा श्रीलंका के लोगों में पारस्परिक सम्बन्ध दिन दिन बिगड़ते जा रहे हैं तथा समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित हुई हैं। मेरे विचार से भारत सरकार को श्रीलंका सरकार से फिर भारतीयों के फिर से लौटने के प्रश्न पर बातचीत करनी होगी क्योंकि इस सम्बन्ध में आवेदन पत्रों की तिथि 30 अप्रैल को या इसके आस-पास समाप्त हो चुकी है। श्रीलंका में यह विचारधारा पनप गई है कि जब भी हमारे व्यक्ति समुद्र के किनारे से भटक जाते हैं, यहां तक कि कुछ मछुए मौसम की खराबी के कारण भटक कर वहां पहुंच जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाये। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तथा उच्चायुक्त इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ अधिक गम्भीरता से उठायेंगे जिससे जो व्यक्ति भटक कर वहां पहुंच जाते हैं उन्हें परेशान न किया जाये।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं जो भोले-भाले व्यक्ति वहां भटकर पहुंच जाते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये तथा हमारा उच्चायुक्त भी ऐसे अवसरों पर इन मामलों को उठाता है। हमने इस बात का श्रीलंका सरकार से बार बार उल्लेख किया है किन्तु जब अवैध रूप से लोग वहां जाते हैं तो दूसरे देश को भी यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तियों के साथ नियमों के अनुसार कार्यवाही करे। मेरे विचार से जनता के प्रतिनिधियों को तथा वरिष्ट सदस्यों को जनता को यह समझाना चाहिये कि उनका देश भारत है तथा उनको किसी अन्य देश में बसने के लिये नहीं जाना चाहिये क्योंकि इससे भारत की बदनामी होगी और उनका यह विश्वास हो जायेगा कि भारतवासी किसी भी देश में जाकर बसने के लिये उत्सुक हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करें तथा जनता को यह महसूस करा दें कि भारत ही उनका देश है तथा उन्हें जो भी चाहिये वह यहीं से प्राप्त करने का प्रयत्न करें तथा अन्य देशों में जाकर बसने का प्रयत्न न करें।

श्री एस० कण्डप्पन : क्या माननीय मंत्री का आशय यह है कि हम लोगों को विदेश भेजने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : खेद है कि माननीय सदस्य मेरे उद्‌गारों का समर्थन नहीं कर पाये कि मैं उनका सहयोग चाहता हूं। सम्भवतः उन्हें सहयोग देने की आदत नहीं है।

श्री एस० कण्डप्पन : यह बात नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री के उद्‌गारों की सराहना करता हूं।

श्री रंगा : यदि मैं माननीय मंत्री से इस बात पर गम्भीरता से बात करू तो मुझे मंत्रियों से भी कहना पड़ेगा कि वे भी विदेशों में किसी कार्य से न जायें। क्या माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन दिलायेंगे कि उच्चायुक्त इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि नजरबन्द रखने की अवधि घटाई जा सकेगी? क्या उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह अवधि दो वर्ष से या एक वर्ष से घटकर आठ महीने हो गई है। समझ में नहीं आता कि उस सरकार को इतना पता लगाने के लिये कि एक व्यक्ति वैध रूप से आया है अथवा अवैध रूप से आया है आठ महीने की अवधि क्यों चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो व्यक्ति अवैध या गर कानूनी तरीके से प्रवेश करते ह उनके पास कागजात नहीं होते जिनसे यह तुरंत पता लग जाये। वर्ष 1949 में पारित कानून के अन्तर्गत श्रीलंका सरकार ने अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार करने की शक्ति अपने हाथों में ली थी। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्थिति बतानी होगी। यदि वह श्रीलंका की राष्ट्रीयता सिद्ध कर देता है तो उसे वहां रहने की अनुमति मिल जाती है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उन्हें उसकी राष्ट्रीयता का पता लगाना पड़ता है।

श्री एस० कण्डप्पन : ऐसी स्थिति में हमारे उच्चायोग को अपना कार्य करना होता है। जब तक श्रीलंका स्थित उच्चायोग उस व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा उसके लिये अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करना असम्भव है।

श्री दिनेश सिंह : मैं भी वास्तव में यही कहनेवाला था। जब श्रीलंका के अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि वह व्यक्ति वास्तव में श्रीलंका का राष्ट्रिक है तभी वे भारतीय उच्चायोग से मिलते हैं यदि वे यह समझते हैं कि यह व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक है तथा उनसे उसे वापस भारत भेजने के लिये यात्रा-पत्र देने के लिये कहते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चायोग को भी यह देखना पड़ता है कि क्या वह वास्तव में भारतीय नागरिक है अथवा किसी अन्य देश से ही तो नहीं आया। अतः श्रीलंका सरकार तथा हमारे उच्चायोग में पारस्परिक सहयोग है। चूंकि यह मामला दूसरी सरकार के कार्यों से सम्बन्धित है अतः हमें इसमें सावधान भी रहना पड़ता है। इसी कारण मैंने माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी कि यदि हमारे देशवासी वहां नहीं जायें तो यह समस्या काफी घट सकती है। माननीय आचार्य ने मंत्रियों के

विदेश जाने की बात का उल्लेख किया है। मेरे विचार से मैंने अधिक गम्भीरता से निवेदन किया था। मंत्रियों और संसद्-सदस्यों या माननीय आचार्य जी के किसी सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिये विदेश जाने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

टोकियो (जापान) में 'ऐक्सप्रो 70' में वस्तुओं की बिक्री

1953. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **विदेशी व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एक्सपो 70' में भारतीय दुकानों की प्रति दिन एक लाख रुपये की बिक्री हुई थी;

(ख) यदि हां, तो 'एक्सपो 70' में भारतीय मंडप द्वारा कितनी राशि अर्जित की गई है;

(ग) 'एक्सपो 70' में किन-किन वस्तुओं की अच्छी बिक्री हुई है;

(घ) क्या सरकार को बिक्री हेतु भारतीय मंडप के लिये उन वस्तुओं को भेजना पड़ा था जो कम पड़ गई थी; और

(ङ) क्या भारतीय वस्तुओं ने कुछ विदेशी मंडियों में अपना प्रभुत्व जमा लिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : बिक्रियां स्टाल होल्डरों के माध्यम से की जाती हैं न कि सरकार द्वारा। 7 मई तक कुल बिक्री 43.36 लाख रु० की हुई। जिन मुख्य वस्तुओं की मांग है वे ये हैं : हस्तशिल्प की वस्तुएं, हथकरघा की वस्तुएं, आभूषण तथा भारतीय पकवान। स्टाक का समय समय पर उनके द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्भरण किया जाता है। सरकार भारतीय मंडप के भीतर केवल रेस्टो-रेन्ट तथा बिक्री दुकान के सम्बन्ध में ही कुल बिक्री पर एक प्रतिशत वसूल कर रही है।

(ङ) अनेक भारतीय उत्पादों के सम्बन्ध में व्यापारिक पूछतातें की गई हैं जिन पर सम्बद्ध पक्षों द्वारा बातचीत की जा रही है।

श्री चेंगलराया नायडू : "एक्सपो 70" में भारतीय वस्तुओं की भारी बिक्री को देखते हुए क्या सरकार हाथकरघा और हस्तकला मंडल को वहां अधिक से अधिक माल भेजने का परामर्श देगी ताकि और अधिक वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इससे केवल वस्तुओं की बिक्री ही नहीं होगी बल्कि उनका विज्ञापन भी होगा। क्या इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और क्या सरकार ग़ैर-सरकारी व्यापारियों को जापान में वस्तुओं को प्रदर्शित करने और बेचने की अनुमति देगी।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया है कि वे अपनी आवश्यकताएं नये माल को भेज कर पूरी कर रहे हैं। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं मिली हुई हैं, वस्तुओं की अधिक बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए और भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यह सच है कि उनका विचार था कि उनका स्टाक काफी समय तक चलेगा लेकिन उनका स्टाक उनके द्वारा अनुमानित समय से पहले ही बिक गया था।

श्री रंगा : बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : भारत को हस्तशिल्प और हाथकरघा के लिये 5 दुकानें देना ही अपने आप में एक विशेष सुविधा है। जहां तक ग़ैर-सरकारी व्यापारियों को अधिक बिक्री के लिए प्रोत्साहन तथा सुविधा देने का प्रश्न है, मैं यह बताना चाहता हूं कि उन्हें सब सुविधाएं मिली हुई हैं और वह पहले से ही अपना माल वहां बेच रहे हैं। 'एक्स्पो 70' कोई वाणिज्यिक मेला नहीं है इसका उद्देश्य मानव जीवन के भविष्य तथा उसकी संस्कृति को समुन्नत करना है। प्राद्योगिकी तथा विज्ञान का प्रयोग मानव जीवन

को मंगलमय तथा विश्व में शांति एवं सामंजस्यता स्थापित करने के लिए होना चाहिए यही इसका चरम लक्ष्य है। यही कारण है कि वहां थोड़ी से दुकानें हैं। क्योंकि विश्व के सभी भागों से आने वाले लोग तथा हजारों की संख्या में जाने वाले जापानी स्वभावतया वहां जाकर कुछ न कुछ खरीदना चाहते हैं। अतः यह सुविधा प्रदान की गई है।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच है कि हमारी सरकार ने जब वहां भारतीय राष्ट्रीय दिवस मनाया था तो क्या वहां पर 'फैशन शो' का आयोजन किया गया था। क्या भारतीय वेशभूषा के प्रदर्शन करने के फलस्वरूप भारतीय साड़ियों तथा अन्य भारतीय वेश-भूषा की मांग हो गई थी। मुझे यह भी बताया गया है कि वहां हमारे स्टाल में जापानी लोग अपनी इच्छा पूर्ति हेतु एक बक्स में सिक्के डालते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ऐसी क्या इच्छा है और इस प्रकार प्रति दिन कितनी मुद्रा एकत्रित हो जाती है। मंत्री महोदय हाल ही में जापान से लौटे हैं अतः उन्हें इन सब बातों का पता होगा। क्या मैं इस बारे में पूरा ब्यौरा जान सकता हूं ?

श्री ब० रा० भगत : महोदय, 'फैशन शो' का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्यतः भारतीय सूती कपड़े और सिल्क का प्रदर्शन किया गया था। हिंदुस्तान हस्तकला निर्यात निगम ने वहां की प्रमुख डिजायनर मैडन मग्रोरी का भी इस बारे में सहयोग प्राप्त किया है। मैं उस समय वहां उपस्थित था (**व्यवधान**) यह एक महान सफलता थी और बैठने के स्थान बहुत पहले ही बुक करा लिए गये थे तथा हाल पूरी तरह भरा था। मुझे बताया गया कि प्रदर्शित की गई सभी वस्तुओं की बिक्री पहले से ही हो गई थी भारतीय सूती कपड़ों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए एक और ऐसा ही 'फैशन शो' आयोजित करने की मांग की गई है।

श्री चेंगलराय नायडू : जापानियों द्वारा बक्स में सिक्के डाले जाने के समम्बन्ध में आपके क्या विचार है? वह किस इच्छावश यह सिक्के डालते हैं कृपया इसके विषय में भी बताएं।

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह भी वहां जाकर सिक्का डालें और उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी।

श्री चंगलराया नायडू : मैं उनकी इच्छा के बारे में जानना चाहता हूं... (**व्यवधान**)। मैंने सुना है कि वह भारतीय लड़कियों से मित्रता करने हेतु बक्स में सिक्के डालते हैं। आप साफ क्यों नहीं कहते आपको किसका भय है (**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या बुराई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मयाबन।

श्री मयाबन : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां भारतीय संस्कृति और साहित्य की पुस्तकें भी बेची जा रही हैं और क्या उनमें 'थिरूकुकूरल' के अंग्रेजी अनुवाद की प्रतियां भी उपलब्ध हैं? दूसरे, क्या हमारे मंडप में भारत नाट्यों तथा कथकली नृत्यों के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न के प्रथम भाग को नहीं सुन सका। जहां तक भारत नाट्यम का सम्बन्ध है, वहां सब प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों के आयोजन की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महीडा!

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : पहली बार एशिया में ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। हमारे स्टाल वहां काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि औद्योगिक विकास में भारत का स्थान एशिया में दूसरा है क्या सरकार अगले 10 वर्षों में ऐसी किसी प्रदर्शनी का आयोजन भारत में भी करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य का सुझाव ध्यान में रखूंगा। इस पर निर्णय लेने से पूर्व हमें इस पर विचार करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय मण्डप वहां काफी लोकप्रिय हुआ है और प्रदर्शनी देखने वालों में से लगभग 20% यात्री प्रतिदिन भारतीय मंडप में अवश्य जाते हैं।

Shri Molahu Prasad : Sir, I want to raise a point of order. Many an important Short Notice Questions are not admitted. I request that arrangement should be made for written answers to such questions which cannot be answered in the House.

Mr. Speaker : In that case it will become unstarred.

Shri Molahu Prasad : In case Short Notice Questions are not answered their written answers should be given.

Mr. Speaker : This is automatically done.

Shri Molahu Prasad : Sir, but this is not the case, written answers should be given to such short notice questions as are not admitted.

Shri Rabi Ray : At least written answers should be given.

Mr. Speaker : When such questions are not admitted how can they be answered.

Shri Molahu Prasad : Sir, I wish that written answers should be given.....

Mr. Speaker : If the questions have to be answered then why not on the floor of the house.

HEIGHT OF KADANA DAM

*33. **Shri Onkar Lal Bohra** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the reasons for resentment in the Adivasi areas of Rajasthan in regard to the height of the proposed Kadana dam;

(b) whether Government have received letters of complaints in this regard;

(c) whether Government have made negotiations with the Government of Gujarat regarding keeping the height of Kadana dam on lower level;

(d) if so, the result thereof ; and

(e) whether Government propose to take some steps to keep the height of the Kadana dam on lower level ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheswar Prased) : (a) to (e) The full reservior level of the Kadana Reservoir was initially envisaged at RL 476 by the erstwhile Government of Bombay. After detailed examination of the submergence problem by the engineers of Rajasthan and Gujarat the project was finally approved by the two State Governments in 1966 for FRL 419.

There have been requests that the full reservoir level of 419 should be further lowered. This is being discussed with the State Governments of Gujarat and Rajasthan.

Shri Onkar Lal Bohra : Kadana dam is being constructed on Madi river. Madi river runs through Dungarpur and Banswara districts of Rajasthan which has been declared a tribal area is 1950. The river takes it course from Madhya Pradesh and running through Dungarpur and Banswara districts of Rajasthan,it falls in to the Bay of Khambat. The matter has become sensational because in 1958-59 there was a plan to build Bajaj Sagar dam on it. Its foundation stone was laid by the then Finance Minister on 6th May 1960. At that

time Planning Commission did not sanction it but thereafter sanction was given for Rs. 17 crores for building Kadana dam which is in Gujarat and effort is being made to utilise 35 lakh dollars from International Monetry Fund also. The proposed height of the dam was 250 feet but its height is being increased to 419 feet. By increasing the height 30 thousand irrigated land, 150 villages and important holy place like Galiyakot will be submerged. It has also been heard that for Hydro-electric project a 470 feet high dam is being built. I want to know Whether it is a fact that in 1966 the Ministers of Rajasthan and Gujarat have given their acceptance to it, if so, this acceptance must have been obtained clandestinely and by red tapism. Dungarpur and Banswara districts in Rajasthan would have got water if the Narmada dam had been built, but that has become a subject of dispute. Will the hon. Minister persuade the Gujarat State Government to maintain the proposed height of 250 feet. I also wish to know why the Bajaj sagar dam plan of Madi river of which the foundation stone was laid by the then Finance Minister, is kept in cold storage. And why another project is taken in hand.

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : कडाना परियोजना कोई नई योजना नही है। 1966 के प्रारम्भ में ही इसे योजना आयोग द्वारा पूर्णतया स्वीकृति दे दी गई थी। किन्तु विचारणीय बात यह है जिन लोगों के घरबार पानी में डूब जाएगें उनका क्या होगा। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस बांध के निर्माण से दुर्गा, गलियाकोट और माताजी का मन्दिर आदि सब पानी में डूब जाएंगे। अतः वह चाहते हैं कि बांध की ऊंचाई कम रखी जाए। हम इस बात की जांच कर रहे हैं यदि बांध की ऊंचाई 419 फुट रखी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रस्तावित ऊंचाई में कमी हो सकती है। माननीय सदस्य का कहना है कि इसकी ऊंचाई को कम करके 250 फुट रखा जाए जोकि नदी तल का स्तर है। प्रश्न 250 फुट या 419 फुट का नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या स्वीकृत परियोजना की ऊंचाई में कमी करके जलाशय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और लोगों पर क्या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रकार की परियोजनाओं के निर्माण से कई लोग बेघर हो जाते हैं किन्तु इनसे प्राप्त होने वाले लाभ मात्रा में कहीं अधिक हैं।

Shri Onkar Lal Bohra : Sir, as hon. Minister has just stated that they are trying to get it surveyed once again. When survey on Kadana dam was being done the officials of Gujarat stayed in Dungarpur and Banswara district of Rajasthan for a period extending over six months. They did not face any hardship. But it pains me to say when survey party of Rajasthan went to Gujarat they were insulted and were not allowed to carry on survey. Accordingly the matter of fresh survey has no basis and the fresh survey has not been undertaken. Gujarat Government is not cooperating. This river dispute has become inter-state dispute. Gujarat and Rajasthan Governments had always cordial relations. They want to live like good neighbours. But it is not fair that the entire water facilities should be allocated to Gujarat. A Dhorie dam is under Construction. A dam has already been constructed on the Banakhori river of Gujarat and the work in connection with Pong dam is in hand. But the dam, the foundation stone of which was laid by the our *ex*-Finance Minister, Shri Morarji Desai remains where it was. The Gujarat Government has not given any guarantee like the one given by Rajasthan Government in case of Pong dam to those who are likely to be ousted what has the hon. Minister to say about this that Rajasthan Government is securing land for Pong dam. But will the Government of Gujarat give land to the Adivasis in exchange for the land taken over by it. Has the Government of Gujarat agreed to give compensation to the oustees from the areas taken over for the dam for their rehabilitation. I want a sepcific answere in this regard.

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य का कथन सही नहीं है। बणकनोरी बांध तो बहुत पहले से पूरा हो चुका है। और कडाना बांध का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है ताकि इस परियोजना का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके। किसी भी जलाशय के निर्माण से कुछ न कुछ क्षेत्र का पानी के अन्तर्गत आना स्वभाविक ही है, किन्तु कडाना बांध से उत्पन्न होने वाली समस्यायें अन्य बांधों की अपेक्षा कहीं अधिक कम है। पोंग बांध के निर्माण से हजारों परिवारों को बेघर होना पड़ेगा। अतः इन जलाशयों के संबंध में किसी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करके

परियोजना के निर्माण में बाधा न डालें। बांध की ऊंचाई के संबंध में अवश्य निर्णय किया जायेगा। हम यह प्रयत्न करेंग कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो। बेघरबार हुए लोगों को दूसरे क्षेत्रों में बसाया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान और गुजरात की सरकारें बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। दोनों के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं नहीं। परियोजना के निर्माण में दोनों सरकारें सहयोग दे रही हैं।

Shri Meetha Lal Meena : Sir, Government says that it has been doing a lot for scheduled castes and scheduled tribes but in Rajasthan and out side they are being treated unjustly. On account of Kadana dam, lakhs of people will become homeless, their land will be submerged even a holy place like 'Mataji-ka-Mandir' will also come under water after the Construction of 419 feet high reservoir. Thousands of acres of land will be wasted. They were not given any land when the first dam was built and in Rajasthan also Adivasis lands were submerged and they were also not given any land ther efore I want to put a straight question. Will you reduce the level of the dam to 412 feet in place of 419 feet? I do not want that it should be reduced to 250 feet. Will the Government announce to keep the level at 412 feet?

डा० कु० ल० राव : मुझे हर्ष है कि माननीय सदस्य के विचार निर्माणात्मक है। हम भी यही कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और माननीय सदस्य द्वारा सुझाए गए स्तर को रखने का यत्न किया जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कडाना बांध के यह योजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला कैरा से सम्बन्धित है। नहरों की खुदाई बम्बई राज्य के शासन काल मेंकी गयी थी जब गुजरात और महाराष्ट्र एक राज्य के पिछले 17–18 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहरें खोदी जाती हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन से पानीं प्राप्त नहीं होता। मुझे माननीय सदस्य के वक्तव्य पर आश्चर्य होता हैं कि गुजरात में सर्वेक्षण के लिये गए उनके राज्य के दल के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गुजरात की जनता कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। यदि वह पुनः इसका सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात तथा विभिन्न राज्यों में होने वाले ये झगड़े राजनीति से प्रेरित हैं। क्योंकि जनजातियां मात्र राजस्थान में ही नहीं अपितु गुजरात तथा इस क्षेत्र में और भी अधिक हैं। क्या मंत्री महोदय इस पर बेकार समय खराब करने तथा लोगों की भ्रान्ति दूर करने के बजाय इस समस्या को सुलझाने हेतु गुजरात तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक सभा बुलाएगें ताकि हम विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का लाभ उठा सकें।

डा० कु० ल० राव : यहीं सब कुछ करने का प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। गुजरात के मंत्री तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री की इस मामले पर बातचीत हुई थी। गुजरात के मुख्य मंत्री किसी कारणवश उस दिन बैठक में उपस्थित न हो सके। हमने इसका समाधान खोज निकाला है और इस पर कोई मतभेद नहीं है दोनों राज्य इस में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वस्तुतः कडाना बांध एक महत्वपूर्ण बांध है और आशा है इस परियोजना के पूरे होने पर अकेले राजस्थान में 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह बांध केवल उन राज्यों के लिए है जो इससे लाभान्वित होंगे इसकी क्षमता बहुत है और कडाना परियोजना देश के विकास में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अतः मेरे विचार में इस संबंध में किसी भावुकता की आवश्यकता नहीं। माताजी के मन्दिर तथा गलियाकोट में उत्पन्न होने वाली विशेष कठिनाइयों का हमें भी ज्ञान है। हम इनकी सुरक्षा हेतु बांध बनाना चाहते थे किन्तु एक अभ्यावेदन दिया गया है कि इस बांध से पानी रिसेगा इसलिए हम इस समस्या को अच्छे ढंग से सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इसमें सहयोग देने को तैयार है। हम दूसरा बांध बांसवारा में बना रहे हैं तथा प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां अधिक पानी इक्ट्ठा किया जा सके जिससे कि पानी के स्तर को नीचा करने से हुई पानी की कमी को पूरा किया जा सके। हम कई प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं तथा इस परियोजना के संबंध में चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तम परिणामों के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : जब कभी नदी जल पर विवाद होता है गुजरात को सबसे ज्यादा हानि होती है। चाहे यह विवाद नर्मदा के संबंध में हो या माडी या कडाना नदी के संबंध में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि नदियां गुजरात राज्य में से होकर गजरती हैं हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। प्रति वर्ष बाढ के कारण कई गांव नष्ट हो जाते हैं।

हैं। पिछले तथा उससे पिछले वर्ष नर्मदा के कारण हुए विनाश को हम भूले नहीं हैं। पिछले 100 वर्षों से हमें इस प्रकार क्षति होती चली जा रही है किन्तु कभी किसी ने गुजरात को मुआवजा देने का नहीं सोचा। हमें कोई आपत्ति नहीं यदि उन नदियों का रुख विपरीत दिशा में अन्य राज्यों की ओर परिवर्तित कर दिया जाए बल्कि हम इसका स्वागत ही करेंगे। किन्तु यदि प्राकृतिक रूप से ये नदियां इन राज्यों से होकर बहती हैं तो बाढ़ नियंत्रण की इन योजनाओं से संबद्ध राज्यों को अधिकतम लाभ दिया जाना चाहिए। हम यह नहीं चाहते कि केवल गुजरात ही इससे लाभान्वित हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को उससे अधिकतम लाभ दिया जाना चाहिये। ये नदियां सम्पूर्ण राष्ट्र की हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे योग्य माननीय मित्र श्री ओंकार लाल बोहरा द्वारा समस्याओं के संबंध में दिये गये सुझावों के अनुसार समस्या की जांच न कर इस समस्या को तकनीकी आधार पर हल किया जायेगा और राजनीतिक या अन्य आधारों पर नहीं।

डा० कु० ल० राव : इसमें राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया हम इस मामले पर इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि विस्थापितों को कम से कम परेशानी हो और साथ ही साथ इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों पर कोई असर न पड़े।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : Land from other states is acquired whenever there is a project for building high level dams land in Gujrat will also come under water. Will you make some such arrangement that in case of a dam in one state the land belonging to the other state is not effected.

डा० कु० ल० राव : बांध का निर्माण स्थान की उपयुक्तता पर आश्रित होगा। उदाहरण के लिए माडी नदी पर हम जहां बांध बना रहे हैं वह सबसे उपयुक्त स्थान है उस स्थान से नीचे की ओर बांध का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए अन्य कोई उपयुक्त स्थान नहीं है।

Shri Tulshidas Jadhav : Where ever dam is built land and houses are submerged under water. May I know whether the Government will adopt a policy to the effect that those people whose houses and properties are submerged due to the dam, would be provided alternative land which can be irrigated through the water of this dam. Maharashtra has done so. Are you going to adopt this policy or not ?

Mr. Speaker : But that is the trouble.

डा० कु० ल० राव : सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है उन लोगों को मकानों के लिए निःशुल्क जमीन दी जाती है और अब भी हम यही कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक कृषि-भूमि देने का प्रश्न है विस्थापितों को उतनी भूमि दे पाना जो उनके पास पहले थी संभव नहीं है और न ही हम इसके लिए वचन दे सकते हैं। किन्तु जहां कहीं भी खाली जमीन होगी हम वहां विस्थापित व्यक्तियों को जमीन देने का प्रयत्न सामान्य नियम के अन्तर्गत करते हैं। किन्तु उन्हें उतनी ज़मीन देना संभव नहीं जितनी पानी के नीचे आ गई है। उन्हें पूरा-पूरा मुआवजा दिय जाता है। राजस्थान में बहुत-सा रेतीला क्षेत्र खाली पड़ा है हमने विस्थापितों को वहां बसाने का निर्णय किया है। जहां तक अन्य स्थानों का संबंध है विस्थापितों के बसाने का हर संभव यत्न किया जाएगा। किन्तु हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उन्हें पानी में डूबी भूमि के स्थान पर नई ज़मीनें दी जा सकेगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में मैं अल्प सूचना प्रश्न के लिए 15 मिनट से अधिक समय की अनुमति नहीं दूंगा।

विकर टैंकों की सप्लाई के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता

1594. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकर टैंक सप्लाई करने के लिये ब्रिटेन सरकार के साथ अन्तिम रूप से कोई सौदा किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटे तौर पर रूपरेखा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग सम्मेलन में प्रादेशिक सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम

1595. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग पर, जिसका हाल में बैंकाक में वार्षिक सम्मेलन हुआ था प्रादेशिक सहयोग के संबंध में समय-निर्धारित कार्यक्रम के लिये जोर डाला था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख)। विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) अप्रैल 1970 में बैंकाक में हुए एशिया तथा सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग के 26वें सम्मेलन में भारत ने क्षेत्रीय व्यापार विकास और भुगतान को आयोग के 13वें सम्मेलन में व्यापार-समिति द्वारा स्वीकृत समय-सारिणी अनुसार पूरा करने पर बल दिया था आयोग ने इस ओर हुई प्रगति पर संतोष प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि आयोग सचिवालय व्यापार समिति द्वारा स्वीकृत समय-सारिणी अनुसार शेष कार्य को पूर्ण कर लेगा।

(ख) मार्च 1970 में ब्रुसेल्स में हुए अ-क्षेत्रीय विशेषज्ञों से उच्चस्तरीय वार्ता के फलस्वरूप क्षेत्रीय व्यापार विकास एवं छूट एवं भुगतान से सम्बद्ध उदार नियमों के लिए तथा नई योजनाओं को लागू करने के लिये आयोग एवं समिति द्वारा स्वीकृत समय-सारिणी के अनुसार वैकल्पिक योजनाओं को बनाने हेतु सचिवालय की सहायता के लिये विभिन्न सदस्य देशों के विशेषज्ञों के एक दल का बनाना निश्चित हुआ है। इन योजनाओं को क्षेत्रों से सम्बद्ध देशों के नीति-निर्धारक अधिकारियों में वार्ता का आधार बनाने के लिए भेजा जाएगा। इन वार्ताओं के आधार पर सचिवालय, मसौदा सुझावों को अन्तिम रूप देगा और उन्हें सरकार तथा सैंट्रल बैंक के अधिकारियों में वर्ष के अंत से पूर्व होने वाली बैठक में अग्रिम रूप से प्रेषित करेगा। इस मध्य, राष्ट्रीय एककों की तीसरी बैठक इन वार्ताओं और बैठकों की तैयारियों के विषय में जून में किसी समय होगी ।

गुजरात में ताप बिजलीघर की स्थापना

1596. **श्री रा० की० अधीन** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिये गुजरात राज्य से केन्द्रीय सरकार को कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों में उत्तर गुजरात में ताप बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि बिजलीघर को इस योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये आन्दोलन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) :(क)चौथी योजना के दौरान दक्षिण गुजरात में उकई में एक तापीय विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ)। राज्य अधिकारियों ने सूचित किया है कि उत्तर गुजरात में एक तापीय केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम को तैयार करने के लिये वे आवश्यक सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। गुजरात सरकार में स्कीम रिपोर्ट के प्राप्त होते ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

निर्यात में कमी

*1597. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री सीताराम केसरी : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का निर्यात द्रुत निर्यात कार्यक्रम आरम्भ होने के पहले मास में 145 करोड़ रुपये था जो उक्त कार्यक्रम के दूसरे मास अर्थात् फरवरी, 1970 में घटकर केवल 96.76 करोड़ रुपये रह गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) फरवरी, में 1970 में 96.78 करोड़ रु० के निर्यात हुए जबकि जनवरी, 1970 में 145.04 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(ख) फरवरी में सामान्यत: कम निर्यात होते हैं, इसके अलावा इस वर्ष हुई तीव्र गिरावट का कारण यह है कि पटसन के माल के निर्यातों में भारी गिरावट हुई और काजू गिरी, समुद्री उत्पादों तथा निर्यात की कतिपय अन्य परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भी गिरावट हुई।

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा लोक सभा में 6 मई, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8707 के भाग (घ) के उत्तर में दिया गया है।

मास्को में लेनिन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये प्रधान मंत्री को निमंत्रण

*1598. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने मास्को में लेनिन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया था।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) क्या मास्को में लेनिन शताब्दी समारोह के अवसर पर भारत सरकार का औपचारिक रूप से किसी व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया था; और

(घ) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम और पद क्या था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री बिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई व्यापार के विकास तथा उदारीकरण सम्बन्धी करार का प्रारूप

*1599. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई व्यापार के विकास तथा उदारीकरण संबंधी करार के प्रारूप को ब्रुसेल्स सम्मेलन में अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किये गये इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) एशियाई व्यापार के विकास तथा उदारीकरण संबंधी करार के प्रारूप पर ब्रुसेल्स वार्ताओं में विचार-विमर्श किया गया था ।

(ख) तथा (ग) । ब्रुसेल्स वार्ताओं का प्रतिवेदन अभी इकाफे सचिवालय से प्राप्त नहीं हुआ है ।

खेल का सामान बनाने वालों द्वारा सामान के लदान-पूर्व निरीक्षण के विरुद्ध सरकार को दिया गया अभ्यावेदन

*1600. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर के खेल के सामान का निर्माण करने वालों द्वारा सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया है कि उस योजना को समाप्त कर दिया जाय जिसके अन्तर्गत निर्यात से पहले खेल के सामान का लदान-पूर्व निरीक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे खेल के सामान के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या 'खेल-सामान निर्यातकर्ता संघ' ने भी इस बारे में सरकार को ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस बीच उद्योग की मांग की जांच कर ली है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) । जी हां । मई, 1967 में खेल का सामान उद्योग संघ, जालन्धर ने सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया था कि निर्यात के लिए खेल के सामान का जहाज जालन्धर से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण लागू करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, विशेषत: चूंकि इस उद्योग के विभिन्न लघु एकक हैं जो विदेशों में खरीददारों की आवश्यकताओं के अनुसार माल बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगा कि इन सामानों, के लिए संगठित चैम्पियनशिप खेलों के सामान को छोड़कर अधिकतम विदेशी खरीददारों ने स्कूल के बच्चों के लिए सामान की मांग की है जिनके लिए सस्तापन की मुख्य आवश्यकता थी। अत: योजना को समाप्त कर दिया गया ।

लुगदी का आयात

1601. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज का उत्पादन करने के लिए कितनी लुगदी का आयात किया जाता है;

(ख) क्या भारत लुगदी का आयात रुपये में भुगतान करने के आधार पर कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लुगदी के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त किये जाने तक रुपये में भुगतान के आधार पर लुगदी के आयात में वृद्धि करने की क्या संभावना है ?

वैदेशिक कार्य व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्ष 1967–68 से 1969–70 (दिसम्बर, 1969 तक) के दौरान मैकेनिकल सल्फेट तथा लकड़ी की सल्फाइट लुगदी का कुल आयात दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। कागज बनाने के लिए अपेक्षित लकड़ी की लुगदी के आयातों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) । सोवियत रूस से आयात, जैसा कि विवरण में दिया गया है, रुपये में भुगतान के आधार पर हैं। 1970 के लिये सोवियत रूस से व्यापार योजना में लकड़ी की लुगदी के आयात के लिए अधिक व्यवस्था की गई है ।

विवरण

1967–68 से 1969–70 (दिसम्बर, 1969) के दौरान रुपये में भुगतान करने वाले देशों तथा अन्य से मैकेनिकल सल्फेट तथा लकड़ी की सल्फाइट लुगदी का आयात ।

मात्रा मे० टन में

(मूल्य हजार रुपये में)

क्रमांक	विवरण	1967–68		1968–69		1969–70 (दिसम्बर, 1969 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	मैकेनिकल, सल्फेट तथा सल्फाइट लकड़ी की लुगदी						
	(क) रु० में भुगतान करने वाले देश ।						
	सोवियत संघ	3252	3662	6671	6818	3995	4282
	(ख) अन्य देश						
	कनाडा	1152	1896	2251	3581	969	1624
	सं० रा० अमेरिका	48146	79127	38532	60299	37495	57982
	नीदरलैंड	..	..	..	..	41	45
	स्वीडन	23	28	1592	2390	101	136
	जर्मन संघीय गण राज्य	95	140	1	3		..
	अन्य	51	81	1	1	नगण्य	1
	योग (ख)	49467	81281	42377	66274	38308	59788
	योग (क तथा ख);	52719	84943	49048	73092	42601	64070

विएना में रूस और अमेरिका के बीच हथियारों पर नियंत्रण करने सम्बन्धी वार्ता

1602. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथियारों पर नियंत्रण करने के बारे में विएना में हुई रूसी-अमेरिकी वार्ता में दूसरे दौर में किन विशि ट प्रस्तावों पर विचार किया गया;

(ख) ये दो शक्तियां अन्ततः किन बातों पर सहमत नहीं हुई थीं;

(ग) दोनों शक्तियों के बीच यदि कोई मतभेद थे तो उनको किस प्रकार हल किया गया; और

(घ) दोनों शक्तियों के बीच स्वीकार की गई बातों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क), (ख) और (घ)। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच जो सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता हुई थी वह गोपनीय है। इसलिए, सरकार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसमें क्या प्रस्ताव रखे गए अथवा इस बातचीत में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के बीच किन-किन बातों पर सहमति अथवा असहमति रही।

ब्रिटेन में 'स्किनहैड्स' से भारतीयों को खतरा

1603. **श्री जय सिंह :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लंदन में 'स्किनहैड्स' नामक लूटमार करने वाले युवकों के गिरोहों से एशियाई देशों के लोगों को उत्पन्न खतरे की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि स्किनहैड्स के ऐसे भ्रमणकारी गिरोहों की संख्या में हाल के सप्ताहों में काफी वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने वहां पर रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ब्रिटन सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख)। सरकार को युवकों के उस गिरोह की जानकारी है जो अपने आपको 'स्किनहैड्स' से संबंधित करते हैं और लंदन के कुछ भागों में जिनका कार्य-कलाप है। वे वहां रहने वाले एशियाई लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनके कार्य-कलापों ने हाल में लोगों को बहुत आकर्षित किया है।

(ग) और (घ)। भारत का लंदन स्थित हाई कमीशन यूनाइटेड किंगडम के उन प्राधिकारियों से संबंध बनाए हुए है, जिनकी जिम्मेदारी भारतीयों के बचाव और सुरक्षा का सुनिश्चय करना है।

आयुध कारखानों में श्रमिक अशान्ति

1604. **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में किन-किन आयुध कारखानों में श्रमिक अशान्ति अथवा श्रमिक गड़बड़ी हुई है;

(ख) क्या काशीपुर स्थित आयुध कारखाने में 1968 में श्रमिक अशान्ति हुई थी;

(ग) उक्त कारखानों में तथा अन्य सभी कारखानों में श्रमिक अशान्ति के कारण कुल कितने जन-घंटों की हानि हुई; और

(घ) 1968 में उक्त कारखानों में कितने मूल्य का उत्पादन कम हुआ है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :(क) से (घ)। सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रखदी जाएगी।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री का कावेरी नदी के पानी के बारे में केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श

1605. **श्री रवि राय :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी नदी के पानी के वितरण के संबंध में उन्होंने केरल, तमिलनाडु और मैसूर के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री कु० ला० राव) : (क) जी, हां। 17 अप्रैल, 1970 को।

(ख) कावेरी के पानी के संबंध में विभिन्न मतभेदों पर केरल, तमिलनाडु और मैसूर के मुख्य मंत्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श हुआ था। इस बातचीत को 16 मई, 1970 को होने वाली बैठक में जारी रखा गया जाएगा।

EXTENSION OF SHOOTING RANGE OF DANAPUR CANTONMENT

*1606. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to acquire land of the farmers residing nearby with a view to extending the shooting range of the Danapur military Cantonment ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the action taken so far in this regard ; and

(d) whether Government have presecribed some criteria for giving compensation to these farmers, and if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra) : (a) to (d). It has been ascertained that the local Army authorities had convened a Board to determine the additional area required for the shooting range, Danapur. The Board has assessed that acquisition of an additional area of 369 acres falling within the danger zone of the range would be required. No proposal has, however, been received so far by Government. It will be examined as and when received.

2. In case the acquisition of land is sanctioned, the payment of compensation will be made on the basis of the market value of the land on the date of acquisition.

इजरायल के साथ आर्थिक संबंध

*1607. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इजरायल ने हाल ही में भारत के साथ घनिष्ट आर्थिक संबंध रखने के कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जापान में रेडियो के पुर्जों की मांग

*1608. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में रेडियो के पुर्जे की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो जापानी मार्केट में इन पुर्जों को भेजकर उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार रेडियो के पुर्जों के निर्यातकों को वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जापान विश्व में इलैक्ट्रानिक संघटकों के सब से बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। जापान के इलैक्ट्रानिक उद्योग की प्रोद्योगिकीय उन्नति के फलस्वरुप भारतीय माल के लिए जापानी बाजार में पैठना फिलहाल कठिन ही है ।

(ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधिमंडल ने, जो हाल ही में जापान गया था, अन्य वस्तुओं के साथ-साथ इलैक्ट्रानिक उपकरणों के संघटकों और सहसाधनों की निर्यात संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इलैक्ट्रानिक मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए पंजीयित निर्यातकों को निर्यात-योग्य माल के लिए अपेक्षित आयातित कच्चा माल और उत्पादकों को प्रतियोगी बनाने के लिए नकद मुआवजा सहायता दी जाती है।

वाशिंगटन से "वायस आफ इस्लाम" का प्रसारण

1609. **श्री बाबूराव पटेल** :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन में पाकिस्तान का दूतावास वाशिंगटन की उस इस्लामिक सोसाइटी को धन दे रहा है जो इस के एवज में वाशिंगटन से "वायस आफ इस्लाम" नामक रेडियो के एक नये कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिये जिम्मेवार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को "वायस आफ इस्लाम" से निरंतर हो रहे भारत विरोधी प्रचार का पता है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विरोध-पत्र भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये कब भेजे गये थे, ये किस प्रकार के थे और उनका क्या परिणाम निकला है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

निर्यात/आयात लाइसेंसों के देने अथवा अस्वीकार करने के मामलों पर निर्णय के लिये न्यायाधिकरण स्थापित करना

***1610 श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से मांग की गई है कि आयकर तथा बिक्रीकर न्यायाधिकरणों की भान्ति एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाये जो अधिकारियों द्वारा आयात/निर्यात लाइसेंस देने अथवा न देने के निर्णयों के विरुद्ध उन लोगों की शिकायतों का समाधान करें जो तत्संबंधी मामले उच्चतर प्राधिकारियों के पास ले जाने के इच्छुक हों;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए कोई संतोषजनक अथवा स्वतन्त्र व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है। परन्तु प्रशासकीय सुधार आयोग ने यह सिफारिश की है कि परमिटों और लाइसेंसों, जिनमें दण्ड-आदेश शामिल हैं, से संबंधित समीक्षा के लिये दिये आवेदन-पत्रों को निपटाने से पूर्व सरकार को सलाह देने के लिए एक निर्देशी-मंडल का गठन किया जाना चाहिये । सरकार ने यह सिफारिश मंजूर नहीं की है। अपीलों और समीक्षा आवेदन-पत्रों को निपटाने हेतु विद्यमान प्रशासन-तंत्र और क्रियाविधि पर्याप्त है ।

संयुक्त बीजलेख (साइफर) ब्यूरो में पदोन्नतियां

1611. श्री सूरज भान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भरे गये श्रेणी दो के चार पदों में से किसी पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के किसी तकनीकी सहायक को नहीं रखा गया है और कि श्रेणी दो के दो और पद बहुत ही थोड़े समय में भरे जा रहे हैं और इस प्रकार 1970 में भरे जाने वाले श्रेणी दो के इन छः राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के किसी भी तकनीकी सहायक को पदोन्नति नहीं दी जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि इस के बावजूद कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के तकनीकी सहायकों का प्रतिनिधित्व कम है, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो में श्रेणी दो के राजपत्रित पदों के लिये वर्तमान तालिका का पुनरीक्षण केवल इसलिये नहीं किया जा रहा है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के तकनीकी सहायकों को उनकी उचित पदोन्नति से वंचित रखा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त तालिका का पुनरीक्षण करने का विचार है जिस के बारे में कोई रोक नहीं है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और श्रेणी दो के राजपत्रित वेतनक्रम में इन लोगों की कमी किन उपायों से दूर करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह सच है कि चालू वर्ष में जायंट साईफर ब्यूरो में 4 द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्थान तकनीकी सहायकों की पदोन्नति द्वारा पुर किये गए हैं, कि इन में एक भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों का न था, और कि 2 द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्थान खाली है। इन दोनों स्थानों को तदर्थ आधार पर पुर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं । जैसा कि 22-4-70 को प्रश्न संख्या 7114 के उत्तर में कहा गया है, पदोन्नति द्वारा पुर किए जाने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के लिए कोटा सुरक्षण के लिए सरकारी आदेश उपबंध नहीं करते। इसलिये पेनल के पुनरीक्षण या द्वितीय श्रेणी राजपत्रित स्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के कर्मचारियों की कमी पूरा करने के लिए विशेष उपाय करने का प्रश्न नहीं उठता ।

परिरक्षित आहार का निर्यात

*1612. **श्री ब० कु० दासचौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिरक्षित आहार का विदेशों में निर्यात करने की संभावना के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) परिरक्षित/साधित खाद्यों का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 1969–70 में अनुमानतः 9 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात हुए थे।

(ख) साधित/परिरक्षित खाद्यों के निर्यात के लिये अस्थायी तौर पर 20 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे वर्ष 1973–74 तक पूरा करना है और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मदों के संबंध में सविस्तार निर्यात लक्ष्य निम्नलिखित है :–

वस्तु	1973–74 तक पूरे किये जाने वाले लक्ष्य
(1) डिब्बा बंद तथा बोतल बंद फल और सब्जियां तथा रस	300 लाख रुपये
(2) अचार तथा चटनियां	150 लाख रुपये
(3) बिस्कुट	80 लाख रुपये
(4) मिठाइयां	12 लाख रुपये
(5) पेय आधार तथा सांद्रण	75 लाख रुपये
(6) विविध खाद्य-उत्पाद	300 लाख रुपये

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य सरकारों द्वारा भाग लेना

*1613. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आयात-निर्यात व्यापार में राज्य सरकारों द्वारा भाग लेने के दावों को न मानने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने आयात-निर्यात व्यापार के प्रस्तावित राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में अपने दावे प्रस्तुत किये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस संबंध में केरल सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

यमुना नदी में दिल्ली में जल की कम सप्लाई

1614. **श्री बलराज मधोक :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नदी में जल की कम सप्लाई होने के कारण दिल्ली में पेय जल की बहुत कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंधु जल-संधि की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारत में प्रयोग के लिये और अधिक जल उपलब्ध है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार उपलब्ध जल का कुछ भाग इस ओर जोड़ने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ला० राव) : (क) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शुष्क महीनों में यमुना नदी का प्राकृतिक प्रवाह अपर्याप्त है। जनवरी 1955 में यह निर्णय किया गया था कि भूतपूर्व पंजाब रावी-व्यास के फालतू पानी में 72 लाख एकड़ फुट के अपने हिस्से में से 1.19 लाख एकड़ फुट रावी-व्यास का पानी दिल्ली की जल सप्लाई के लिए पृथक रक्षित रखेगा। इस वायदे के प्रति वर्ष के शुष्क महीनों के दौरान दिल्ली को भाखड़ा जलाशय में 325 क्यूसेक पानी मुनक स्केप के जरिए पहले ही मिल रहा है। यह पानी सिंधु प्रणाली से लिए गए 0.6 लाख एकड़ फुट पानी के बराबर है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) दिल्ली की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंधु प्रणाली में और अधिक पानी देने की संभाव्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

बम्बई में प्रधान मंत्री के साथ भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की भेंट

*1615. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 दिसम्बर, 1969 को राज भवन, बम्बई, में भारतीय फिल्म उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और उनसे उन्हें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में फिल्म उद्योग ने किस प्रकार की अपनी मांगें रखी थीं और ज्ञापन में कौन-कौन सी मांगें थी;

(ग) इन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष ने उनसे अनुरोध किया था कि फिल्म उद्योग की उन मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो उस प्रार्थना पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख), (ग), (घ) (ङ). और भारतीय फिल्म उद्योग का एक प्रतिनिधिमंडल 26 दिसम्बर 1969 को प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष ने भी इसके बारे में प्रधान मंत्री को लिखा है। इस ज्ञापन में ये मांगें की गई थीं : फिल्म उद्योग को प्राथमिक उद्योग मानना, बैंक ऋण सुलभ कराना, आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त आयात का प्रबंध करना, सामान्य मुद्रा क्षेत्र से मंगाई गई रंगीन कच्ची फिल्म को निःशुल्क मुक्त करना, भारत में रंगीन कच्ची फिल्म बनाना, थियेटरों की वृद्धि के लिए पक्के कदम उठाना, विभिन्न करों में ढील देना, निर्यात नीति का फिर से निर्धारण करना आदि। इन मांगों का संबंध सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों से है और उन्हें फिल्म उद्योग द्वारा उठाए गए मामलों की जानकारी है।

भारत के रास्ते से माल का परिवहन करने सम्बन्धी समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का नेपाल का प्रस्ताव

1616. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के इस कथित इरादे की ओर दिलाया गया है कि वह माल का भारत के रास्ते से परिवहन करने संबंधी अपनी समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वदेशिक-काय मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अखबारों में इस आशय की जो खबरें छपी हैं, उनके बारे में सरकार को ज्ञात है। इस बारे में नेपाल सरकार के अधिकारिक रुख का कोई संकेत नहीं मिलता है।

(ख) नेपाल से आने-जाने की सुविधायें 1960 की व्यापार एवं संक्रमण संधि के अनुसार दी जा रही हैं जिसका इस वर्ष अक्तूबर में नवीकरण होना है। इससे दोनों सरकारों को इस पर पुनर्विचार का अवसर मिलेगा।

भारतीय वायु सेना के एक विमान का 18 अप्रैल, 1970 को दुर्घटनाग्रस्त होना

*1617. **श्री न० रां० देवघरे :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना का वह विमान किन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके 18 अप्रैल, 1970 से लापता होने का समाचार था;

(ख) इस संबंध में आगे की क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या मृतकों के संबंधियों को कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रोशनी में जो भी आवश्यक हुए प्रतिकारी पग उठाए जाएंगे।

(ग) तथा (घ) 2 अफसर और 9 वैमानिक दुर्घटना में मारे गये थे। एक अफसर की विधवा को 1000 रुपये की एक राशि और तीन वैमानिकों विधवाओं में से प्रत्येक को 800 रुपये आई० ए० एफ० कल्याण निधि से अदा किए गए हैं। अन्यों के संबंधियों को मुआवजा देने का प्रश्न विचाराधीन है। उनके कुटुम्बों/निकट कुटुम्बियों की हालत में मुआवजे की अधिकारिता दर्शाने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1617/70]**

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट और नासिक के मिग उद्योग समूह का अलग निगम बनाया जाना

*1618. **श्री नन्द कुमार साल्दे :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड के कोरापुट और नासिक स्थित मिग उद्योग समूह का अधिक अच्छे समन्वय और कार्य कुशलता की दृष्टि से एक अलग निगम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या प्राक्कलन समिति ने अपने एक प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश की थी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

इजरायली प्रतिनिधि द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप

1619. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ :**

क्या **वदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार एक वाणिज्य दौत्य के सामान्य कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या इजरायली वाणिज्य दूत अपने कत्तव्यों का निर्वहन करने में उन विनियमों का पालन कर रहा है; और

(ग) क्या यह सच है कि वह हमारे देश के आन्तरिक राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और अपने प्रकाशनों, भाषणों तथा प्रेस सम्मेलनों के द्वारा कुछ अन्य देशों के साथ हमारे देश के अच्छे संबंधों को बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) कोंसली संबंधों पर वियना अभिसमय के अनुसार कोंसल के सामान्य कार्य-कलाप संलग्न विवरण में विस्तार से बताए गए हैं। **[स्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3485/70]**

(ख) और (ग) बम्बई-स्थित इजरायली कोंसल ने प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं और ऐसी तकरीरें दी हैं जिनमें हमारी नीतियों की आलोचना की गई है और उन देशों की सरकारों की भी आलोचना की गई है जिनके साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध हैं। उनसे कह दिया गया है कि ऐसे मामलों में ज्यादा सावधानी बरता करें और एक कोंसिल के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कार्य-कलापों की सीमा से बाहर न जाया करें।

एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राजदूतों को निदेश

1620. **श्री रा० बरूआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों में भारतीय राजदूतों को निदेश दिये हैं कि वे वहां पर आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की सद्भावनाओं का पता लगायें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्देश किस विशिष्ट उद्देष्य से दिया गया है ; और

(ग) क्या उन देशों में इस निदेश पर अमल करने के लिए भारतीय दूतावासों में कुछ विशेष अधिकारी लगाये जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) विदेशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के संबंध बढ़ाने के लिए भारतीय राजदूतावासों, हाई कमीशनों, कोंसलावासों आदि को समय-समय पर निदश भेजे गए हैं।

(ख) आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हमेशा से ही विदेशों के साथ हमारे संबंधों का एक अंग रहे हैं लेकिन एशियाई देशों में जो विकास हो रहा है उससे निकट आर्थिक सहयोग की बहुत सम्भावनाएं हैं।

(ग) भारतीय राजदूतावासों के सभी कर्मचारियों को, विशेषकर प्रत्येक केन्द्र और मिशन प्रमुखों को तथा इन विषयों पर उनके विशेषज्ञ अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें।

राज्यों के आर्थिक विकास की दर

9439. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास की दर क्या है ;

(ख) चौथी योजना में समूचे देश में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) देश में आर्थिक विकास की कितनी अनुमानित दर प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) राज्यों व संघीय क्षेत्रों के घरेलू उत्पादन के अनुमान तुलनात्मक आधार पर वृद्धि दर निकालने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। पूरे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि सीधे शब्दों में—1967-68 में 8.9 प्रतिशत और 1968-69 में 1.8 प्रतिशत थी।

(ख) प्रस्तावित कार्यवाही का संकेत चौथी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिया गया है जिसे पूरा होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा ;

(ग) चौथी योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 5.5 प्रतिशत रखी गई है :

राजस्थान नहर

9440. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 मार्च 1970 को राजस्थान विधान सभा में बताया गया है कि विश्व बैंक ने राजस्थान नहर के निर्माण में रुकावटें डालने के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) उस दबाव का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

CITIZENSHIP OF SINGAPORE FOR INDIANS LIVING THERE

9441. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of External Affairs be pleased to state ;

(a) whether Government have taken any steps to help the people of the Indian origin, who have been residing in Singapore, in getting citizenship of Singapore ;

(b) if so, the details of the replies received from the Government of Singapore;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the number of people of Indian origin, who have been residing in Singapore without having citizenship of any country?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a), (b) & (c) The grant of citizenship is a matter for the country concerned to consider.

(d) There are approximately 5,000 stateless persons of Indian origin resident in Singapore.

बन्द डिब्बों में आमों का निर्यात

9442. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में पश्चिम एशिया तथा यूरोपीय बाजार में बन्द डिब्बों में आमों का निर्यात करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन से विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) चालू वर्ष में भारत के अन्य कौन-कौन से परिष्कृत खाद्य पदार्थों को विदेशों में बेचा जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) शर्बत में आम की फाकों तथा आम्र फल के अन्य उत्पादों का निर्यात पहले से ही पश्चिम एशिया तथा यूरोपीय बाजारों को किया जा रहा है।

(ख) जी; हां ।

(ग) डिब्बाबन्द तथा बोतलबन्द फलों तथा सब्जियों, अचारों तथा चटनियों, डिब्बाबन्द तथा जमे मांस तथा कुक्कुट उत्पादों, मिठाई, बिस्कुट, दुग्ध उत्पादों, कोको से बने उत्पादों तथा विविध साधित खाद्यों जैसे कि पापड़, तुरत चाय तथा काफी आदि का नियमित रूप से निर्यात किया जा रहा है और चालू वर्ष में भी इनका निर्यात किया जायेगा ।

फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों का ज्ञापन

9443. **श्री लखनलाल कपूर :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने परियोजना की पूर्ति के बाद छंटनी के मामले में सेवा सुरक्षा की मांग रखी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) फरक्का बराज परियोजना के कर्मचारियों की यह मांग रही है कि फरक्का बराज परियोजना के फालतू कर्मचारियों को परियोजना के पूरा होने पर दूसरी जगह नौकरी दी जाए ।

(ग) फरक्का बराज परियोजना कि उन विभागीय कर्मचारियों के लिये जो परियोजना के पूरा होने पर फालतू हो जायेंगे, नौकरी के संभव मार्ग ढूंढने हेतु प्रयास जारी हैं ।

एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है । वह रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन स्थापित किए गए विशेष कक्ष का कार्य-प्रभारी है और फालतू हो जाने वाले कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के मामलों का निपटारा करेगा ।

नाइलोन के धागे का उत्पादन तथा बिक्री

9444. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **वदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाइलोन के धागे के देशी उत्पादन को व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि माल को मान्यता प्राप्त संघों के माध्यम से करघों के आधार पर समान रूप से बांटा जाये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) नाइलोन धागे के देशी उत्पादन के कुछ भाग को व्यापारियों के माध्यम से बेचा जाता है और शेष को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। तथापि, निर्माताओं के अनुसार, व्यापारियों के माध्यम से की गई बिक्री भी वास्तविक उपभोक्ताओं को की गई बिक्री ही होती है।

(ख) यह पता लगाने के लिये कि क्या वितरण की वर्तमान पद्धति में किसी भी संशोधन की आवश्यकता है, सरकार नाइलोन धागे के उत्पादकों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं से परामर्श कर रही है।

एक्सपो 1970–जापान

9445. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पंडाल में कार्य करने के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या कितनी है, उनके नाम, अर्हताएं तथा रोजगार की शर्तें क्या हैं और प्रत्येक महिला को प्रतिमास कुल कितना वेतन मिलेगा ;

(ख) एक्सपो-70 के संबंध में जापान में भेजे गये सरकारी अधिकारियों तथा मंत्रियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग कितना खर्च हुआ ; और

(ग) इन दौरों पर सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा और इनसे देश को सही-सही क्या लाभ पहुंचा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारतीय मंडप में गाइडों के रूप में कार्य करने हेतु भारत से 26 महिलाओं का चयन किया गया था। अपेक्षित सूचना अनुलग्नक दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3486/70]**

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना अनुलग्नक–2 में दी जाती है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सख्या एल. टी.** 3486/70] जापानी सरकार के आमंत्रण पर विदेशी व्यापार मंत्री ने एक्सपो में 4 मई को भारत के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उचित संगठन तथा हमारे मंडप का संचालन करने के लिये, जिससे कि भारत के निर्यात उत्पादों तथा भारत के लिये पर्याप्त प्रचार होने की आशा है, सरकारी अधिकारियों को भेजना आवश्यक था। एक्सपो के लिये 195 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है परन्तु इस विषय में हुए कुल व्यय का अनुमान एक्सपो के समाप्त होने पर तथा संबंधित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने पर ही लगाया जा सकेगा ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत

9446. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे के परमाणु शक्ति कर्मचारी संघ ने दिसम्बर 1969 में एक शिकायत ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के 2000 श्रमिकों को "नैमेतिक श्रमिक" कहा जाता है यद्यपि वे इस संस्था में तीन वर्षों तक कार्य कर चुके हैं और उनके अधिकारी उनको प्रति दिन धमकी देते हैं, गाली देते हैं और अपमान करते हैं ;

(घ) निम्न दर्जे के कर्मचारियों का वर्तमान वेतनमान क्या है ; और

(ड) उनकी शिकायतें कब तक दूर की जायेंगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां। ज्ञापन की मुख्य बातें सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण (एक) में दी गई हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 3487/70]

(ग) जी, नहीं। 30 अप्रैल, 1970 को नैमेत्तिक कर्मचारियों की संख्या कुल 278 थी, जिनमें से 106 कर्मचारी तीन वर्ष से ज्यादा काम कर चुके थे।

(घ) अपेक्षित सूचना सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण (दो) में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखए संख्या एल० टी०** 3487/70]]

(ङ) कर्मचारियों की जायज़ दिक्कतों की तरफ केन्द्र ध्यान देता रहा है, तथा ऐसी दिक्कतों पर लगातार ध्यान देकर, उन्हें जहां तक सम्भव हो दूर किया जाता है ।

आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को उनकी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र सेवा में लगाना ।

9447. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की योग्यता तथा अनुभव संबंधी विवरण तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे उन्हें उपयुक्त स्थानों में नियुक्त किया जा सके ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मुख्य निदेशालय, पुनरावास, पुनरावास सहायता चाहने वाले विमुक्त आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के आंकड़े रख रहे हैं, जिन में अन्य बातों समेत शामिल हैं उनको शिक्षा तथा तकनीकी योग्यताएं, भुज और सेवा कि जिस से वह संबंधित थे, अनुभव इत्यादि । निदेशालय द्वारा उनकी योग्यताओं और अनुभव को ध्यान में रखते ई०सी०ओज० के नाम प्रत्याशित रोज़गार प्रदान करने वालों को नामित किए जाते हैं ।

हथकरघा उद्योग में संकट

9448. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि धागे, रंग और रसायनों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि होने के कारण और हथकरघा वस्तुओं की बिक्री कम होने के कारण लाखों हथकरघा बुनकरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है, उन्हें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है और हथकरघा की स्थिति बिगड़ती जा रही है ;

(ख) क्या इस उद्योग की गम्भीर स्थिति का अध्ययन करने के लिये और इस प्राचीन कुटीर उद्योग को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार का कोई अपना अथवा राज्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) धागे तथा रंजक और रसायन सामग्री के मूल्यों में असामान्य वृद्धि तथा हथकरघा बुनकरों के पास माल जमा हो जाने के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) तथा (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक करोड़ रु० के ऋण के लिये अनुरोध किया है ताकि राज्य सरकार सहकारी समितियों और सिद्धहस्त बुनकरों से माल खरीदने के लिये शीर्ष समितियों के अभिकरणों और फैब्रिक्स सोसाइटी, बम्बई का उपयोग कर सकें। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार स्थिति की कड़ी निगरानी कर रही है और समय समय पर उपचारात्मक उपाय भी कर रही है। रूई तथा स्टेपल रेशे के आयातों की व्यवस्था की गई है और धागे के मूल्यों को कम करने के लिये ऋण तथा रूई के भंडार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हाइड्रोसल्फाइट आफ सोडा के काफी परिमाण के आयात की व्यवस्था की गई है और प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर भी इसका आयात करने दिया जाता है। इन उपायो से स्थिति में सुधार हुआ है।

हथकरघा वित्त निगम

9449. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से हथकरघा वित्त निगम बनाने का अनुरोध किया था और उन्होंने कब अनुरोध किया था ;

(ख) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) तमिलनाडु तथा केरल सरकारों को छोड़कर, जिन्होंने पहिले ही हथकरघा वित्त निगम स्थापित कर दिये हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में एक ऐसे निगम की स्थापना करने के लिये 50 लाख रु० की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा था। चूंकि सहायता के विद्यमान स्वरूप में इस प्रकार की योजना की व्यवस्था नहीं है अतः उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह अपेक्षित वित्त की व्यवस्था स्वयं अपने संसाधनों से करे ।

पुली वेन्दला (आंध्र प्रदेश) परियोजना प्रतिवेदन

9450. **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पुली वेन्दला चैनल, आंध्र प्रदेश संबंधी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) पुली वेन्दला नहर स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत 2.98 करोड़ रुपये है और जिससे 60,000 एकड़ को लाभ पहुंचेगा, प्राप्त हुई है। इस स्कीम की सलाहकारी समिति द्वारा सिफारिश की गई है। अब योजना आयोग इस परियोजना को आंध्र प्रदेश की योजना में सम्मिलित करने की संभाव्यता पर, इसके कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध हो सकने वाले संसाधनों को ध्यान में रखकर, विचार करेगा ।

विदेश जाने पर वीजा संबंधी प्रतिबन्ध समाप्त करना

9451. **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों में जाने के लिए वीजा संबंधी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं वहां जाने के लिए अब बीजा की आवश्यकता नहीं हैं; और

(ग) बीजा संबंधी आवश्यकताओं को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, जर्मन संघीय गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रिकों को भारत में 90 दिन तक के अधिकतम निवास के लिए बीजा लेने की जरूरत नहीं होती, यह प्रबन्ध पारस्परिकता के आधार पर है ।

(ग) इसका उद्देश्य पर्यटन और मैत्री संबंधों को प्रोत्साहन देना है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में दिये गये वचनों का पूरा किया जाना

9452. **श्री न० रा० देवघरे :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में विकसित देशों ने विकासशील देशों को कम से कम सहायता देने के अपने वचनों को पूरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत को कितना लाभ हुआ ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) तथा (ग) नई दिल्ली में हुए दूसरे सत्र में अंकटाड द्वारा किए गए निर्णय में यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक आर्थिक दृष्टि से विकसित देश को प्रत्येक वर्ष विकासशील देशों के लिए वास्तविक भुगतान के रूप में बाजार मूल्यों पर अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक प्रतिशत की न्यूनतम निवल राशि के वित्तीय साधन प्रति वर्ष प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, पर उस सिफारिश में सहायता का परिमाण प्राप्त करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति की कोई तारीख नहीं रखी गई थी। उसमें केवल इस बात का उल्लेख था कि विकासशील देशों तथा कतिपय प्रदाता देशों के संदर्भ में यह लक्ष्य 1972 तक पूरा हो जाना चाहिए, कतिपय अन्य प्रदाता देशों ने कहा कि वे इस लक्ष्य को उस तारीख तक तथा अथवा अधिक से अधिक 1975 तक पूरा करने के लिए तैयार है, अन्य सभी प्रदाता देश कोई निश्चित तारीख स्वीकार करने में समर्थ नहीं थे।

ऐसा समझा जाता है कि 1968 में केवल पांच देश, अर्थात्, स्विटजरलैंड, फ्रांस, प० जर्मनी, बेल्जियम तथा नीदरलैंड, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक प्रतिशत के लक्ष्य से आगे बढ़ गये हैं।

(ख) चूंकि अंकटाड के द्वितीय सत्र के निर्णय में केवल यह व्यवस्था थी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक प्रतिशत की कुल न्यूनतम राशि के संसाधनों का अन्तरण प्रत्येक विकसित देश से सभी विकासशील देशों को होना चाहिए, अतः इस निर्णय के परिणामस्वरूप किसी पृथक विकासशील देश को होने वाले लाभों का अनुमान लगाने का प्रश्न नहीं उठेगा ।

करांजिनन सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र के लिय नियतन

9453. **श्री ज० मं० काहनडोल :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नासिक जिले में करांजिनन सिंचाई परियोजना के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ;

(ख) परियोजना की क्रियान्विति इस समय किस अवस्था में है ;

(ग) उक्त परियोजना के कारण कितने व्यक्ति बेघरबार हो जायेंगे ;

(घ) उनको बसाने के लिये सरकार की क्या योजना है ;

(ङ) उक्त परियोजना से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ; और

(च) उसमें से कितनी एकड़ भूमि डिन्डोरी ताल्लुका, जहां बांध स्थापित किया जायेगा, के अन्तर्गत आयेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) करंजवेन परियोजना की अनुमानित लागत 1420.16 लाख रुपये है ।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत करंजवन, बघाड, पालखेड, और श्रीजेर की चार जलसंचय हैं। पालखेड की बायां तट नहर के साथ-साथ करंजवन और पालखेड पर कार्य आरम्भ हो चुका है और प्रगति पर है।

(ग) 5,000 लोग ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने सूचना दी है कि विस्थापित लोगों को पुनःस्थापित करने का कार्य यथा समय किया जायगा। गांवों को वैकल्पिक ग्राम स्थल दिये जाएंगे तथा कुओं, सड़कों, स्कूलों आदि की सुविधाएं जमीन के मुआवजे के अतिरिक्त होंगी ।

(ङ) 1,09,400 एकड़ ।

(च) 5,848 एकड़ ।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक परियोजनाएं

9454. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्रीय सरकार की ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका विस्तार करने की अनुमति योजना आयोग ने दी है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद क्या क्या लाभ पहुंचेंगे ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात राज्य के लिए निम्न औद्योगिक कार्यक्रमों की कल्पना की गई है :

1. गुजरात एरोनेटिक परियोजना
2. गुजरात नेफ़ाथा विस्फोटक संयंत्र
3. कोयाली में तेल शोधक कारखाने का विस्तार
4. गुजरात एलुमिना प्लांट*

(ख) अब तक इन परियोजनाओं पर होने वाले खर्च का विस्तृत ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) कोयाली तेल शोधक कारखाने की स्थापना से उसके गौण उत्पादों पर आधारित अनेक रासायनिक एवं संबद्ध उद्योगों के विकास की संभावनाएं बन गई हैं। ऐरोनेटिक संयंत्र और नेफ़था विस्फोटक परियोजना के क्रियान्वयन से संश्लिष्ट रेशे और संश्लिष्ट रबड़ के लिए आवश्यक बुनियादी अन्तरवर्ती उपलब्ध हो सकेंगे। इन संभावनाओं से आयात प्रतिस्थापना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं और उनकी लागत

9455. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात के लिये कितनी सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है ;

(ख) उन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गुजरात में कितनी भूमि की सिंचाई होगी; और

(ग) उस राज्य में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की परियोजनाओं द्वारा इस समय वास्तव में कितनी भूमि की सिंचाई की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों से गुजरात में कोई बहुत और मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर नहीं की गई थीं। पहले से मंजूर बहुत सी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। चल रही सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर गुजरात में बहुत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 34.7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसमें 13.4 लाख एकड़ की शक्यता 1969-70 के अन्त तक उत्पन्न की गई थी।

*इसको केन्द्र एवं राज्य सहयोग से संयुक्त क्षेत्र परियोजना के रूप में कल्पना की गई है।

सिंचाई योजनाओं के लिये गुजरात को सहायता

9456. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक सिंचाई योजना के लिए गुजरात राज्य को कितनी सहायता दी ;

(ख) प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई और कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त क्षेत्र पर सिंचाई की जायेगी और गुजरात राज्य में उपर्युक्त क्षेत्र को मिला कर कुल कितना सिंचाई क्षेत्र है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसे किसी खास स्कीम अथवा विकास शीर्ष में नहीं जोड़ा जाता । योजना आयोग द्वारा 1969-70 के लिए गुजरात की वार्षिक योजना के लिये 75 करोड़ रुपये निश्चित किए थे, जिसमें 28.2 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता है ।

(ख) वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार का प्रत्याशित परिव्यय संलग्न विवरण में दिया जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3488/70]

(ग) अनुमान है कि 1.78 लाख एकड़ की अतिरिक्त शक्यता बढ़ गई है जिससे गुजरात की वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में कुल 13.4 लाख एकड़ की शक्यता हो गई है ।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं

9457. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में सिंचाई के लिये कितनी राशि तथा परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है :

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के लिये सिंचाई की प्रस्तावित योजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) अन्य राज्यों की तुलना में यह राशि कितनी प्रतिशत है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों में गुजरात में सिंचाई के लिये किसी भी मुख्य अथवा मध्यम स्तर की परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है ।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1969-70 में अनुमानतः 18.65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं योजनावार ब्यौरा संलग्न वक्तव्य में दिया गया है ।

(घ) गुजरात में खर्च की गई 18.65 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1969-70 में देश में सिंचाई पर खर्च हुई राशि का 11% है ।

गुजरात में कपड़ा मिलों का कार्यभार सम्भालना

9458. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में कितनी कपड़ा मिलें बन्द हुई हैं ;

(ख) 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1969 तक की अवधि में फिर से चालू हुई कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनको फिर से चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 18 ।

(ख) अप्रैल, 1967 तथा मार्च, 1969 की अवधि में इनमें से आठ मिलों को फिर से चालू किया गया था, परन्तु अप्रैल, 1969 तथा मार्च, 1970 के दौरान पांच और मिलें भी फिर से चालू कर दी गई ।

(ग) शेष पांच मिलों में से चार के मामलों की जांच उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत की जा चुकी है और जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोटों पर विचार किया जा रहा है । शेष एक मिल का मामला परिसमापन इत्यादि के लिये गुजरात उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

मृग-कस्तूरी का निर्यात

9459. **श्री शशि भूषण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मृग-कस्तूरी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय के पश्चात् सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि होगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप हमारे विदेशी व्यापार नेपाल जैसे पड़ौसी देशों से होने लगेगा ;

(घ) निर्यात किये जाने वाली कस्तूरी में कितनी मात्रा में नकली सुगन्धी मिलाई जाती है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि भारत से कस्तूरी का निर्यात व्यापार 100 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था और निर्यात पर अचानक प्रतिबन्ध लगाने के कारण निर्यातकों को भारी कठिनाई हो रही है; और

(च) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और मृग-कस्तूरी का पहले की भांति निर्यात करने की अनुमति देगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर विलुप्त हो रही मृगों की नस्लों के परिरक्षण के लिये मृग-कस्तूरी के निर्यात पर पूर्ण रोक लगा दी गई है । विगत तीन वर्षों में कस्तूरी के निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा की वार्षिक औसत आय लगभग 38 लाख रु० थी और रोक लगा दी जाने से यह आय समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

(घ) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी हां ।

(च) फिलहाल इस विनिश्चय पर पुनर्विचार करने का कोई इरादा नहीं है ।

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेना

9460. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी कमजोर कपड़ा मिलों को सरकार ने अपने नियन्त्रण में लिया है और गत वर्ष उनके कार्यकरण से कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 29 अप्रैल, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार महाराष्ट्र में एक कपड़ा मिल को दो करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ग) इस मिल से घाटे की राशि वसूल करने की क्या सम्भावनाएं हैं और कितने वर्षों के बाद यह राशि वसूल होगी; और

(घ) इस प्रकार की हानि से सामान्य करदाताओं पर बोझ डाले जाने के क्या कारण हैं और जब वर्तमान क्षमता अलाभप्रद है तो कपड़ा मिलों में क्षमता बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ए के अधीन अब तक 21 सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है । वर्ष 1969 के लिये इन मिलों के लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) सम्भवतः समाचार का संकेत इण्डिया यूनाइटेड मिल्स की ओर है । 1969 के लिये इस मिल के अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं लेकिन मासिक प्रगति रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि मिल को उस वर्ष में लगभग 2 करोड़ रु० की हानि हुई होगी ।

(ग) इण्डिया यूनाइटेड मिल्स का भविष्य विचाराधीन है । मिल को होने वाली हानि पूरी हो सकती है अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि सूती कपड़ा संभवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनः स्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अधीन मिल का परिसमापन किया जाता है अथवा पुनः स्थापन ।

(घ) मिल को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और जनहित में प्राधिकृत नियन्त्रकों के अधीन चलाया जा रहा है । मामूली सीमा तक विस्तार को छोड़कर, सूती कपड़ा मिल उद्योग में इस समय किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती है ।

राज्यों में बिजली बोर्डों द्वारा बक से प्राप्त ऋण का उपयोग न किया जाना ।

9461. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राज्यों के बिजली बोर्डों ने बिजली प्रजनन यंत्रों (जनेरटरों) और अन्य बिजली उपकरणों की कमी के कारण बैंकों से प्राप्त ऋणों का उपयोग नहीं किया है, क्या यह कमी इस कारण है कि इन मदों के उत्पादन की क्षमता नहीं है ;

(ख) यदि कमी के साथ साथ कारखानों में अप्रयुक्त क्षमता है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मदों का उत्पादन देश में नहीं होता, यदि नहीं, तो इनका आयात न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग विकास संबंध मशीनरी की आवश्यकता से है और यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में जहां एक ओर मशीनरी की कमी है और दूसरी ओर कारखानों में अप्रयुक्त निर्माण क्षमता पड़ी हुई है उपर्युक्त बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) 27 और 28 अप्रैल, 1970 को हुए राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन के संबंध में 29 अप्रैल, 1970 को टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित रिपोर्टों में यह बताया गया था कि जनित्रों, ट्रांस्फार्मरों और अन्य बिजली उपकरणों के उपलब्ध न होने के कारण बैंकों से दिए गए ऋण का राज्य बिजली-बोर्डों द्वारा टीक उपयोग नहीं किया गया । सारे देश में कच्चे माल, जैसे ई० सी० ग्रेज अल्युमीनियम, जस्ता, तांबा और ट्रांस्फार्मरों, कन्डक्टरों, लाइन सपोर्टस, इत्यादि के निर्माण के लिए आवश्यक विशेष इस्पात, जिनके लिए देशी निर्माण क्षमता विद्यमान है, की कमी है । कच्चे माल की सप्लाई में सुधार करने के लिए भारत सरकार के संबद्ध विभागों ने पहले से ही उपाय कर दिए हैं । राज्य बिजली बोर्डों की आवश्यकताओं के आधार पर कमियों का मूल्यांकन किया गया है और देशी सप्लाई का आवंटन करके तथा आयात द्वारा आवश्यकताओं को पूरा करने के से लिए कदम उठाए गए हैं ।

बन्दरों का निर्यात

9462. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने बन्दरों का निर्यात किया जा रहा है और उनका निर्यात औसतन किस मूल्य पर किया जा रहा है;

(ख) क्या निर्यात के परिणामस्वरूप बन्दरों की संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार ने विचार किया है; और

(ग) जब तक ऐसा किया जाये तब तक बन्दरों का निर्यात बन्द न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1969-70 के दौरान (जनवरी 1970 तक) 43,896 बन्दरों का निर्यात औसतन 67 रुपये मूल्य पर किया गया ।

(ख) और (ग) जी हां 1968 के निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अनुसार सामान्य लंगूरों और लघु-पुच्छ बन्दरों के अतिरिक्त सभी प्रकार के बन्दरों/लंगूरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है सामान्य लघु-पुच्छ बन्दरों के निर्यात की संख्या सीमित है एवं प्रमाणित अनुसंधान प्रयोग शालाओं शैक्षिक संस्थानों तथा विदेशी चिड़ियाघरों से परस्पर विनियम के लिए ही अनुमति है ।

MANUFACTURE OF T. V. SETS AT PILANI

9463. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether Government are considering the question of manufacturing television sets at Pilani; and

(b) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L.N. Mishra): (a) and (b) Government has not received any application for issue of an industrial licence for the manufacture of TV sets at Pilani. However, Central Electronics Engineering Research Institute (CEERI), Pilani, a National Laboratory under Council of Scientific and Indisustrial Research is manufacturing 1000 TV sets under a Pilot plant scheme.

बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी और पानी जमा हो जाने के सम्बन्ध में राज्यों में किया गया खर्च

9464. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी और पानी जमा हो जाने के सम्बन्ध में राज्यवार तथा मदवार अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या जिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया था, वे अब बाढ़ से सुरक्षित हो गये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बाढ़ नियंत्रण पर धन खर्च करने के बाद उन राज्यों में बाढ़ के कारण कोई क्षति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पहली योजना से लेकर मार्च 1969 तक किए गए व्यय का विवरण संलग्न हैं ।

(ख) और (ग) तकनीकी और आर्थिक रूप से, सी भी स्थानों पर हर किसी समय बाढ़ से सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण कर पाना, सम्भव नहीं ऐसे प्रयास बाढ़ से हुई हानि को कम करने के लिए किए जाते हैं । इस सीमा को दृष्टि में रखते हुए 160 लाख में से जिसकी आर्थिक रूप से सुरक्षा संभव है 59 लाख क्षेत्र की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है और जिन क्षेत्रों में ये कदम उठाए गए हैं उन्हें लाभ पहुंचा है ।

विवरण :

क्रम सं०	राज्य	मार्च 1970 तक किया गया व्यय (लाखों में)	विशेष
1.	आंध्र प्रदेश	451.30	
2.	आसाम	2722.10	
3.	बिहार	4398.90	
4.	गुजरात	117.10	
5.	हरयाणा	1268.30	
6.	जम्मू व कश्मीर	1154.50	
7.	केरल	168.10	
8.	मध्य प्रदेश	19.70	
9.	महाराष्ट्र	14.80	
10.	मैसूर	9.00	
11.	उड़ीसा	607.90	
12.	पंजाब	3057.00	
13.	राजस्थान	659.10	
14.	तमिल नाडु	—	
15.	उत्तर प्रदेश	2006.20	
16	पश्चिम बंगाल	1102.10	
	योग	17756.10	
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	694.80*	*इस में संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रथम तथा द्वितीय योजना पर किया गया व्यय भी सम्मिलित है।
2.	हिमाचल प्रदेश	9.40	
3.	मनिपुर	24. 80	
4.	पांडेचिरी	11.50	
5.	त्रिपुरा	49.10	
	योग	789.60	
	पूर्ण योग	18545.70	

मदवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं ।

डा० विक्रम साराभाई का इलैक्ट्रानिक समिति से अलग हो जाना

9465. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० विक्रम सराभाई, जो 20 बड़े औद्योगिक गृहों में से एक के साथ संबंधित हैं, इलैक्ट्रानिक्स समिति के अध्यक्ष हैं;

(ख) क्या इस औद्योगिक गृह ने "टेलीराड मेक" को, जो रेडियो तथा टेलीवीजन सेट बना रहे हैं, पूर्ण रूप से खरीद लिया है;

(ग) क्या पहले ही दो अन्य इलैक्ट्रानिक फर्में इस औद्योगिक गृह के अधीन हैं; और

(घ) क्या इस लिये सरकार डा० विक्रम साराभाई को इलैक्ट्रानिक समिति से अलग करने पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) डा० विक्रम ए० साराभाई अणुशक्ति आयोग विभाग के सचिव हैं और इलैक्ट्रानिकी कमेटी के साराभाई कम्पनियों के दल के अनेक हिस्सेदारों में से एक के तौर पर के अतिरिक्त डा० साराभाई की कोई रुचि नहीं है, कि जो दत्त कमेटी द्वारा 20 बड़े औद्योगिक कम्पनियों में गिनी जाती हैं। 1966 में अणुशक्ति आयोग की अध्यक्षता संभालते समय उन्होंने कम्पनियों के इस दल के सभी निर्देशक पदों और लाभ के पदों से त्यागपत्र दे दिया था।

(ख) साराभाई दल ने हाल ही में सर्वश्री टेलिराड वम्बई का वित्तीय हित और नियन्त्रण प्राप्त किया है।

(ग) साराभाई दल के नियंत्रण में दो अन्य इलैक्ट्रानिकी फैक्ट्रिएं भी हैं अर्थात सर्वश्री सिस्ट्रानिक्स और सर्वश्री कर्मचन्द प्रेमचन्द प्राइवेट लि०।

(घ) उपरोक्त (क) के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

विदेशियों द्वारा खरीदी गई चाय के पोत-लदान में त्रुटि

9466. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी क्रेताओं, विशेषकर ब्रिटेन द्वारा खरीदी गई चाय के पोत-लदान में अनेक पोत-वणिकों ने गलतियां की हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे विदेशी क्रेता नाराज हो गये हैं और उन्होंने पोत-वणिकों से क्षतिपूर्ति लेने की धमकी दी है; और

(ग) इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) कलकत्ता के सार्वजनिक गोदामों में निरन्तर हड़ताल के कारण इन गोदामों में रखी गई चाय के पोत-लदान पर बड़ा प्रभाव पड़ा है पता चला है ऐसे 8 पोत वणिक हैं जो विदेशी-क्रेताओं द्वारा खरीदी गई चाय का पोत लदान नहीं करा सके। भारत सरकार, कई गोदामों से निर्यात होने वाली चाय की अव्यवस्था की समस्या को शीघ्र हल करने के लिए 'टी बोर्ड' से सम्बन्ध बनाए हुए है।

मैसर्स लिक्स मशीनरी लिमिटेड कलकत्ता के विरुद्ध मशीनरी आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें

9467. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स लिक्स मशीनरी लिमिटेड, कलकत्ता को ट्रेक्टरों तथा कृषि उपकरणों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो ये लाइसेंस कितने मूल्य के थे;

(ग) क्या सरकार को इस फर्म के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं कि उसने इन लाइसेंसों का दुरुपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री व० रा० भगत) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Conversion of Gorakhpur And Varanasi Commissioneries into a Corporation

9468. **Shri Molahu Prashad:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that news was published in various newspapers in the country this year to the effect that the Commissioneries of Gorakhpur and Varanasi in Uttar Pradesh would be converted into a Corporation;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the aim of setting up of the said Corporation?

Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes Sir. The State Government have accepted in principle the formation of three Area Development Corporations, one each for eastern region, Bundelkhand and Hill Districts. The matter is being examined in detail by a Committee of Officers of the State Government in the light of the working of similar Corporation in some other States. A final decision in this matter will be taken by the State Government after the consideration of the Report of the Committee.

(b) The State Government have been advised to study the likely availability of institutional finances before establishing these Corporations.

(c) The objective of the Corporations would be to mobilise institutional finances for viable schemes to be taken up in these areas.

समाज कल्याण विभाग के लिए पृथक मंत्रालय

9469. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री ने सुझाव दिया है कि समाज कल्याण विभाग को एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र मंत्रालय बनाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) व (ख) यद्यपि ऐसा सुझाव रखा गया था किन्तु इस प्रकार का कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 8 मई, 1969 को श्री एम० पी० भार्गव द्वारा राज्य सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 206 के संन्दर्भ में श्री मान सिंह वर्मा के अनुपूरक प्रश्न का प्रधान मंत्री ने जो उत्तर दिया उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मंत्रालयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में श्री एम० पी० धार्गव द्वारा 8-5-1969 को राज्य सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 206 से सम्बान्त अनुपूरक प्रश्नों का प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर।

श्री मान सिंह वर्मा : प्रधान मंत्री जी स्वयं इस बात को जानती हैं कि इतने वर्षों के प्रयास के पश्चात् भी अभी तक पिछड़े वर्ग की समस्याएं बहुत भीषण रूप में हमारे सामने आ रही हैं और वे सुलझ नहीं सकी हैं, अस्पृश्यता अभी तक देश में बाकी है और इसी प्रकार से और जितनी समस्याएं पिछड़े वर्ग की हैं वे बराबर वैसी चल रही हैं। तो क्या प्रधान मंत्री जी इस वर्ग के लिए सोशल वैलफैयर का जो विभाग है उसके लिए अलग मंत्रालय बनाने की सोच रही हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : केवल अलग मंत्रालय बनाने से यह जरूरी नहीं है कि काम ज्यादा अच्छा हो। उसका डिपार्टमेंट बिलकुल अलग है, सारा सैट-अप अलग है। आपका शायद कहना यह है कि अलग मंत्री के नीचे हो। मेरा तो विचार नहीं है कि उससे ज्यादा काम हो सकेगा। आप ही लोग एतराज करते हैं कि मंत्रीगण की तादाद ज्यादा है।

योजना कार्यक्रमों में केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध

9470. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री मयावन :

श्री दण्डपाणि :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में हाल में हुये राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार से यह आग्रह किया है कि आयोजन के मामले में राज्यों को अधिक शक्तियां दी जायें;

(ख) यदि हां, तो अन्य क्या निर्णय किये गये;

(ग) क्या सरकार को सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं; और

(घ) इनकी किस हद तक जांच कर ली गई है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क), (ख) और (ग) : समाचार पत्रों के अनुसार गत 3—5 अप्रैल को हुए सम्मेलन की कार्यवाही अभी तक भारत सरकार को उपलब्ध नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में ऊन पर आधारित उद्योग

9471. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ऊन पर आधारित उद्योग के लिये हौजरी (ऊनी) तथा व्यावसायिक औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की बहुत गुंजाइश है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार केन्द्र से ऊन तथा मरीनो ऊन का आबंटन करने का आग्रह कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ऊन अथवा मरीनो ऊन का शीघ्र आबंटन करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार ने राज्य के स्वामित्व में दो वर्सटेड कताई संयन्त्रों के लिये आयातित ऊन के आवंटन के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है । चूंकि ये संयंत्र वर्सटेड क्षेत्र के विस्तार पर लगी हुई विद्यमान रोक को शिथिल करके विशेष मामले के रूप में गठित किये गये थे और स्पष्ट समझौते के अधीन थे कि ये दोनों संयंत्र स्वदेशी ऊन द्वारा चलाये जाएगें अतः भारत सरकार राजस्थान सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ है ।

भारतीय वायुसेना की गुम हुई फाइल ढूंढ़ना

9472. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि फाइल नं० आई०ए०एफ०ई०एम०जी० सर्विस 963 गुम हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अब वह फाइल मिल गई है और यदि हां, तो वह किस से मिली है; और

(ग) यदि उपर्युक्त फाइल अब तक नहीं मिली है तो उसका पता लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और उस फाइल में कौनसा महत्त्वपूर्ण मामला था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। आई० ए० एफ०/ई० एम०जी० सेवा 963 संख्या की कोई फाइल नहीं है।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न नहीं उठते।

Brochure Brought out on the eve of Air Force Day (1-4-70)

9473. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister **of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 1st April, 1970, a brochure was brought out in English and Hindi on the eve of the Air Force Day;

(b) whether it is also a fact that on the front page of the brochure the words "Vayu Sena" were written for Air Force whereas inside the brochure in the messages from the **President,** the **Prime Mimister** and other persons the words "Indian Air Force" were written for "Bhartiya Vayu Sena";

(c) if so the reasons therefor;

(d) whether the words "Bhartiya Vayu Sena" which are equivalent to the words "Indian Air Force" would be written in each Hindi publication of Indian Air Force in future; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) It has been customary to use the pharase "Vayu Sena Diwas" in the Hindi version of the borchure since 1960. However, when translating the messages of the President, the Prime Minister, Defence Minister and other dignitaries, the transliterated versions have been used as in the past.

(d) and (e). The proposal regarding use of "Bhartiya Vayu Sena" in Hindi publication, Gazettee Notifications, etc, is under the consideration of the Ministry of Defence.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारी

9474. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या नगण्य है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब कभी कोई नई नियुक्ति की जाती है अथवा किसी को स्थानान्तरित किया जाता है तो अधिकारी वर्ग संबंधित व्यक्ति को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में नियुक्त करने के बजाये स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मुख्यालयों में नियुक्त करता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को उपर्युक्त कार्यालय के किसी भी अनुभाग में नियुक्त नहीं किया जाता;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस प्रकार की अनियमितताएं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार कठोर कार्यवाही करने का है; और

(घ) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों का श्रेणीवार, ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त कार्यालय के प्रत्येक अनुभाग में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मुख्य प्रशासनिक अफसर के कार्यालय के कर्मचारी सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्तः सेवा संगठनों के अन्य कार्यालयों में काम कर रहे असैनिकों के एक सांझे ए०एफ०एच०क्यू० काडर पर हैं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के लिए स्थानों के सुरक्षण से संबंधित स्थायी सरकारी निर्देशन ए० एफ०एच०क्यू० काडर पर भी लागू हैं । ऐसा सुरक्षण समग्र काडर के लिए है और ए०एफ०एच०क्यू० कार्यालयों की भिन्न यूनिटों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के लिए सुरक्षित स्थानों की कोई निर्धारित संख्या नहीं है ।

(ख) जी नहीं । प्रथम नियुक्ति पर या सेना, नौसेना, वायु सेना मुख्यालयों और मुख्य प्रशासनिक अफसर के कार्यालयों में तबदीली पर नियुक्तियां, समय-समय पर प्राप्य रिक्त स्थानों के विरुद्ध की जाती हैं, और किसी व्यक्ति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग या अन्य किसी सम्प्रदाय का सदस्य होने के तथ्य को विचार में नहीं लाया जाता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 3490/70)

बेरोज़गारी की बढ़ती समस्या को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में फेर-बदल

9475. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में फेर-बदल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) । चौथी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर दिलाना है । योजना की लागत राशि में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के साथ-साथ लागू होने वाली अन्य बहुत-सी योजनाओं में रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर दिलाने की स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है । 'सामाजिक न्याय द्वारा विकास की ओर प्रलेख में (जिसे 1970-71 के बजट के कागज़ों के साथ सभा-पटल पर रखा गया था) चौथी योजना की अवधि में लागू की जाने वाली मुख्य नई योजनाओं में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने की रूपरेखा दी गई है ।

तिलहन, मूंगफली तथा खाद्य तेलों का ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को निर्यात

9476. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन, मूंगफली तथा खाद्य तेल का निर्यात ब्रिटेन, अमेरिका और रूस को नहीं किया जाता;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, तिलहन, मूंगफली तथा खाद्य तेलों का ब्रिटेन अमेरिका तथा रूस को कुल कितना निर्यात किया गया है और उससे वर्षवार, कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री व० रा० भगत) :

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1966-67 से 1969-70 (जनवरी 1970 तक) में ब्रिटेन, सं० रा० अमेरिका तथा सोवियत संघ को तिलहन, तेल की गिरियों तथा नट्स का और खाद्य तेलों का निर्यात ।

मात्रा मे० टन में
मूल्य हजार रु० में
अवमूल्यन पश्चात् मूल्य

क्रमांक	ब्यौरा	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70 (जनवरी'70 तक)	
		परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य	परि०	मूल्य
क.	तिलहन, तेल की गिरियां तथा नट्स, आटा तथा चूरा छोड़कर—								
	(1) मूंगफली,								
	ब्रिटेन	—	—	1760	3180	6135	11170	2050	4311
	सं० रा० अमेरिका	—	—	—	—	61	145	—	—
	सोवियत संघ,	—	—	—	—	11319	20432	11841	25208
	(2) अन्य								
	ब्रिटेन	42	71	33	56	142	212	91	176
	सं० रा० अमेरिका	299	537	169	356	338	576	165	526
	सोवियत संघ	80	360	—	—	—	—	—	—
ख.	खाद्य तेल—								
	ब्रिटेन	1	3	5	25	26	109	11	47
	सं० रा० अमेरिका,	—	—	—	—	नगन्य	नगन्य	—	—
	सोवियत संघ	—	—	—	—	—	—	—	—

मई, 1970 में अफ्रीका को संसद् सदस्यों का सद्भावना प्रतिनिधिमंडल

9478. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मई, 1970 में अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों को संसद् सदस्यों का एक सद्भावना प्रतिनिधिमंडल भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने का विशेष उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें दूर करने के संबंध में जनरल करिअप्पा का वक्तव्य

9479. **श्री सीताराम केसरी :**

श्री जे० के० चौधरी :

श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अप्रैल, 1970 को एक प्रेस सम्मेलन में जनरल करिअप्पा द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के बारे में दिये गये वक्तव्य का सरकार को पता है;

(ख) क्या उनके वक्तव्य से सेनाओं में अनुशासनहीनता तथा असन्तोष पैदा होने की संभावना नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Released E. C. Os. Allotted Land in Andaman and Nicobar Islands for Residential Purposes.

9480. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Defence** be pleased to state.

(a) the number of released Emergency Commissioned Officers who have been allotted land in Andaman and Nicobar islands for residential purposes;

(b) The total acreage of cultivable land allotted to these officers there; and

(c) the total acreage of land allotted to the former emergency commissioned officers for construction of houses there ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) the released Emergency Commissioned Officers were sent to the Andaman & Nicobar Islands in the first batch of ex-servicemen families in April 1969.

(b) Each officers has been allotted 3.97 acres of cultivable land on arrival. Some more land will be allotted to them as soon as more cleared land is made available.

(c) They have been provided temporary accommodation for residential purposes, but are expected to be allotted half acre of land each for homestead.

Death of Persons due to an Explosion while constructing a Border Road in Kalimpong Sub-Division of Darjeeling

9481. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 30 persons were killed as a result of an accident which took place due to explosion while constructing a border road in the Kalimpong Sub-Division of Darjeeling in the month of January, 1970;

(b) if so, whether Central Government or State Government have instituted a high level enquiry into the causes of the said accident ;

(c) if so the details thereof; and

(d) the extent of financial aid granted by Government to the members of the family of each deceased ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, thirty personnel, including one officer, died due to a sudden land slide (and not due to an explosion) near Rishi Bridge while working on the Pedong-Rishi road.

(b) and (c): No Sir. However, a Court of Inquiry was ordered under the orders of Director General Border Roads. The findings of the Court of Inquiry are that the land slide was sudden and un-expected for which no one can be blamed.

(d) A sum of Rs. 650/- has been granted to the Next of Kin of each deceased employee from the Regimental Funds. The officer's family has been sanctioned a sum of Rs. 1000/- from the DGBR's Welfare Fund. The families of the deceased are also entitled to compensation under the Workmen's Compensation Act or pension under the Extraordinary Pension Rules, as the case may be, in addition to service gratuity.

भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल का बम्बई में सम्मेलन

9482. **श्री राज देव सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल की बम्बई में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत-जर्मन इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परियोजना के मुख्य सलाहकार श्री एम० वोलब्रथ ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किये गये विचार-विमर्शों के क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) । मैसर्स प्लानुंगस्ग्रुपी रिव्हर, जो इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ भारत जर्मन इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परियोजना को कार्यन्वित कर रहे हैं, के सलाहकार श्री वोलब्रथ ने मार्च 1970 के तीसरे सप्ताह में बम्बई में भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया था । इस विचार-विमर्श से न तो सरकार का और न ही इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् का, जो भारत की ओर से परियोजना को कार्यान्वित करने वाली अभिकरण है, कोई सम्बन्ध था । सरकार को इस विचार-विमर्श के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना नहीं दी गई फिर भी, भारत जर्मन वाणिज्य मंडल के 28 अप्रैल, 1970 के बुलेटिन से ज्ञात होता है कि श्री वोलब्रथ भारतीय इंजीनियरी सामान के जर्मन निर्यात की सम्भावनाओं, बाजार अध्ययन की महत्ता तथा माल देने की नियत तिथि के पालन पर बोले । वस्तुतः अन्य पक्षों के साथ-साथ इन सभी पक्षों पर परियोजना के अन्तर्गत विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में शुष्क पत्तन

9483. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री सूरज भान :
श्री शारदा नन्द :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री बताने यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में निर्जल पत्तन स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) । (क) तथा (ख) , जी नहीं । दिल्ली शुष्क पत्तन के सम्बन्ध में अन्त मंत्रालय कार्यकारी दल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 1-5-1970 को विदेशी व्यापार मंत्रालय को पेश की गई है । रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर यथासमय निर्णय लिया जाएगा ।

औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों से किये जाने वाले आयात पर प्रशुल्क की समाप्ति

9484. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका औद्योगिकृत राष्ट्रों पर यह जोर दे रहा है कि विकासशील देशों द्वारा उनको निर्यात की जाने वाली निर्मित वस्तुओं पर प्रशुल्क खत्म कर दे जिससे भारत जैसे निर्यातकर्त्ता राष्ट्रों को इस प्राथमिकता वाले व्यवहार से नया प्रोत्साहन मिले; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) । नई दिल्ली में फरवरी-मार्च, 1968 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी द्वितीय सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में औद्योगीकृत राष्ट्रों ने अधिमानों की व्यापक पद्धति के संबंध में अपने अस्थायी प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं इन अस्थायी प्रस्तावों पर औद्योगीकृत देशों के मध्य ओ० ई० सी० डी० में वार्ताएं हो रही हैं । जिसका भारत सदस्य नहीं है । किन्तु, यह पता लगा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ओ०ई०सी० डी० में औद्योगीकृत राष्ट्रों से अनुरोध कर रहा है कि वे विकासशील राष्ट्रों द्वारा उन्हें निर्यातित निर्मित माल पर से प्रशुल्क खत्म कर दें ।

Foreign Exchange earned by Consultancy and Technical Services of India

9485. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the amount of foreign exchange earned by Consultancy and Technical Services of India and the efforts being made in this direction to earn more foreign exchange in future.

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat): Separate amount of foreign exchange Earned by exports of Consultancy and Technical Services is not available, as these exports are generally part of high value Turn-key projects undertaken abroad by Indian firms. The foreign exchange earned through Turn-key projects during the last three years amounted to Rupees nine crores and contracts worth Rs. 27 crores are under execution.

The Ministry of Foreign Trade has sponsored an export potential survey of consultancy and construction services in the neighbouring countries.

The Federation of Indian Export Organisations has been appointed as a coordinating agency for export of consultancy services.

Import and Export of Metals

9486. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether some metals were exported by India during 1969-70 and if so, the names thereof and the amount of foreign exchange earned therefor ; and

(b) whether some metals were also imported from foreign countries during year and if so, the names and the quantity thereof and the amount of foreign exchange spent thereon ?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir; A statement indicating the value of different metals exported during the year 1968-69 and 1969-70 (upto January, 1970) is attached.

(b) Yes, Sir; A statement indicating the quantity and value of different metals imported during the year 1968-69 and 1969-70 (upto December'69) is attached.

Statement

Import of metals during 1968-69 and 1969-70 (upto Dec., 1969)

(*Value in Lakhs of Rs.*)
Qty. in Tonne.

Sl. No.	Description	1968-69 Qty.	1968-69 Val.	1969-70 upto Dec. '69) Qty.	1969-70 upto Dec. '69) Val.
A.	Iron & Steel . . .	445177	8615†	292768	5633*
B.	*Non-ferrous metals*—				
	1. Copper and alloys . .	43023	3917	33706	3167
	2. Nickel and alloys . .	2493	574	1037	221
	3. Aluminium and alloys. .	9810	451	1522	92
	4. Lead and alloys . .	32800	639	21797	463
	5. Zinc and alloys . .	89856	1989	21433	479
	6. Tin and alloys . .	4870	1155	1391	349
	7. Miscellaneous non-ferrous base metals & alloys (incl. those employed in metal-lurgy)	373	174	490	138
	Total (B) . .	183225	8899	81376	4909
	Total (A—B) . .	628402	17514	374144	10542

*Qty. not available in respect of value Rs. 2 lakhs.
†Qty. not available in respect of value Rs. 3 lakhs.

Statement

Export of metals during 1968-69 & 1969-70 (upto Jan., 1970)

(*Value in Lakhs of Rs.*)

Sl. No.	Description	1968-69	1969-70 (upto Jan.'70)
A.	Iron & Steel	7893	6695
B.	*Non-ferrous metals*—		
	1. Silver, platinum & other metals of the platinum group	332	517
	2. Copper and alloys . . .	312	239
	3. Nickel and alloys . . .	neg.	1
	4. Aluminium and alloys . . .	847	613
	5. Lead and alloys . . .	neg.	neg.
	6. Zinc and alloys . . .	1	1
	7. Tin and alloys . . .	1	10

1	2	3	4
(8)	Misc. non-ferrous base metals and alloys (incl. those employed in metallurgy).	12	16
	Total : (B) :—	1505	1487
	Total : (A—B) :—	9398	8182

सूती कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

9587. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर नवीनतम मशीनें लगाने का निर्णय किया है ताकि गरीब लोगों को सस्ती दरों पर कपड़ा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरी योजना क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) । सूती कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर नवीनतम मशीनें लगाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई किन्तु योजना में सूती कपड़ा उद्योग के लिए बनाए गए कार्यक्रम का सम्बन्ध मुख्यतः इसके आधुनिकीकरण के लेकर होगा । इस ओर किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । इसके अतिरिक्त सूती कपड़ा मिलों द्वारा आधुनिकीकरण के लिए ऋण आवेदनों पर ऋण देने वाली संस्थानों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण : भारतीय औद्योगिक विकास ने अपनी ऋण नीति को उदार बना दिया है तथा उपयुक्त मामलों में स्वदेशी कपड़ा मशीनों पर 10 साल तक देर से भुगतान की अनुमति दे रहा है । पुनः छूट सुविधा में भी ढील की अनुमति दी गई है ।

2. वस्त्र-आयुक्त की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यकारी-दल के प्रतिवेदन के आधार पर रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दे दिए हैं । इनके अन्तर्गत ऐसी मिलों को जो आधुनिकीकरण पर धन लगाने के कारण आर्थिक कठिनाई में हैं अनुकूल सहायता देने को कहा गया है । बंधक अग्रिमों पर अतिरिक्त राशि भी कम कर दी गई है ।

3. आयकर पर विकास छूट देने के लिए सूती कपड़ा उद्योग को प्राथमिक उद्योग घोषित कर दिया गया है । इससे उद्योग को 31.3.70 तक 20 प्रतिशत की बजाय बढ़ी हुई 35 प्रतिशत दर की ओर 1.4.1970 के बाद 15 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत दर की विकास छूट मिलेगी ।

वर्स्टिड यार्न वुलन मिलों का आधुनिकीकरण

*9488. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर ऊनी स्वीटर, मफलर तथा कपड़े सप्लाई करने की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र में वर्स्टिड यार्न वुलन मिलों में नवीनतम मशीनें लगाने का निर्णय किया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : अधिकांश अपेक्षित मशीनें देश में उपलब्ध हैं । देश में उपलब्ध न होने वाली मशीनों के आयात की अनुमति के प्रश्न पर आयात के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर गुण-दोषों के आधार पर उचित विचार किया जाएगा ।

सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध हाथ में लेना

9489. **श्री मयावन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री दण्डपाणि :

श्री चेंगलराया नायडु :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा 21 संकट ग्रस्त मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने से 64 हजार मजदूरों को पुनः रोजगार मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात स्थित राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स तथा तमिल नाडु स्थित मुरुगन मिल्स का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन मिलों का प्रबन्ध जोकि अभी तक बन्द पड़ी हैं, अपने हाथ में लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने उद्योग अधिनियम (विकास तथा विनियम) 1951 के आधीन 21 सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। इन मिलों में पुनः रोज़गार पाने वाले श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) गुजरात और कोयम्बटूर स्थित राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स तथा तमिल नाडु स्थित मुरुगन मिल्स के मामलों की जांच के लिए जांच समितियां नियुक्त की गई थीं। जांच समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रत्येक मिल के मामले पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा ।

नाइलोन के धागे का वितरण

9490. **श्री जय सिंह :**

श्री हर दयाल देवगुण :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित क्षेत्रों को वर्षवार नाइलोन का कितना-कितना धागा दिया गया :

(1) विद्युत्चालित बुनकर एकक;

(2) हथकरघा बुनकर एकक;

(3) होज़री का सामान बनाने वाले एकक;

(4) डब्लिंग एण्ड विस्टिंग यूनिट;

(5) क्रिम्पिंग यूनिट;

(6) अन्य एकक (ब्यौरे सहित); और

(ख) जिन क्षेत्रों को नाइलोन का धागा नहीं दिया गया उनके नाम क्या हैं हालांकि उन्होंने इसके लिए राज्य व्यापार निगम अथवा सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) संभवतः माननीय सदस्य राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए नाइलोन धागे के वितरण का उल्लेख कर रहे हैं। राज्य व्यापार द्वारा नाइलोन धागे के वितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्षेत्र	राज्य व्यापार द्वारा किया गया वितरण		
	1968	1969	1970 (जनवरी–अप्रैल)
विद्युत्चालित करघे जिनमें वार्प नीटिंग/रैस्चल/लेस नीटिंग, सम्मिलित हैं .	8,22,250	8,19,822	2,68,100
होज़री	67,750	1,18,678	15,000

(ख) डब्लिंग और विस्टिंग यूनिट, क्रिम्पिंग और ज़री धागा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन का आयात

9491. **श्री जय सिंह :**

श्री हरदयाल देवगुण :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किस तारीख को नाइलोन के धागे का आयात किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्य व्यापार निगम को वर्षवार कितने मूल्य के लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) वर्षवार कितने मूल्य के लाइसेंसों का प्रयोग किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 5 नवम्बर 1966।

(ख) और (ग)

वर्ष	जारी किए गए लाइसेंस का मूल्य	प्रयोग किए गए लाइसेंस का मूल्य**
1967-68 .	329.75 लाख रुपए	450.51 लाख रुपए
1968-69	शून्य	शून्य
1969-70	50.00 लाख रुपए @	90.00 लाख रुपए*

@1966-67 में जारी किए गए लाइसेंस के अंश-प्रतिस्थापन में यह लाइसेंस जारी किया गया था।

*1966-67 के दौरान जारी किए गए लाइसेंस का प्रयोग इनमें शामिल है।

**वर्षवार इन लाइसेंस के प्रयोग की सीमा हरेक वर्ष आदेश के दिए जाने के आधार पर दिखाई गई है।

रूसी रेशम विशेषज्ञों की श्रीनगर यात्रा

9492. **श्री बे० कु० दासचौधरी :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रीनगर की यात्रा करने वाले रूसी रेशम विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मण्डल ने यह सिफारिश की है कि रेशम उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 'कोकन' के मूल्य बढ़ा दिए जाएं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) रूसी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इस प्रकार की विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इटली को माल डिब्बों की सप्लाई

9493. **श्री जो० वाई० कृष्णन् :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली और भारत की सरकारों में रेलवे के माल-डिब्बों की सप्लाई का एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्य नियत कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है यह सौदा खत्म न हो ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हरियाणा को भारत इलैक्ट्रोनिक्स के एक एकक नियत करने की मांग

9494. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने भारत इलैक्ट्रोनिक्स के एक नए एकक जैसा केन्द्रीय परियोजना वहां के लिऐ नियत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) हरियाणा सरकार के अभिवेदन और अन्य संगत तथ्यों पर उचित विचार करने के पश्चात् निर्णय किया गया है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० की दूसरी यूनिट गाजियाबाद (यू० पी०) में स्थित की जाए ।

विस्कोस फिलेमेंट यार्न के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

9495. **श्री सूरज भान :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग ने विस्कोस फिलेमेंट यार्न के उचित मूल्यों के प्रश्न पर अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन विचाराधीन है और ज्यों ही उसमें दी गई सिफारिशों पर निर्णय लिए जाएंगे त्यों ही प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी संकल्प को सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

अमृतसर में कम क्षमता पर काम कर रहे आर्ट रेशम के विद्युत्चालित करघे

9496. **श्री सूरज भान :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर (पंजाब) में आए रेशम के विद्युत्चालित करघों (लघु क्षेत्र में) की अधिष्ठापित क्षमता के 60 प्रतिशत भाग को वाइकोस फिलेमेंट यार्न के ऊंचे मूल्यों तथा काम करने की अन्य अलाभप्रद परिस्थितियों के कारण अपना काम बन्द कर देने पर बाध्य होना पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशुल्क आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर बुनकरों तथा कताई करने वालों के बीच वाइकोस फिलेमेंट यार्न के उचित मूल्यों के बारे में एक अस्थायी प्रबन्ध हो गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त व्यवस्था की अवधि मई 1970 को खत्म होने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो मई 1970 के पश्चात् अमृतसर में आर्ट रेशम कुटीर उद्योग को सहायता देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यद्यपि अमृतसर के रेशम बुनाई उद्योग की कुछ क्षमता बेकार होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथापि इसके ठीक-ठीक परिमाण के बारे में जांच करनी होगी ।

(ख) तथा (ग) जी, हां ।

(घ) विस्कोस फिलेमेंट धागे के उचित मूल्यों का प्रश्न टैरिफ आयोग को सौंप दिया गया था और आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । इसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

Supply of new uniforms to Jawans after the Surrender of old ones

9497. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jawans are permitted to take delivery of new uniforms after they have surrendered their old and worn-out uniforms; and

(b) if so, whether Government propose to frame a rule whereunder uniforms would be issued to jawans on the basis of the average span of life of the uniforms and it would be the responsibility of the jawan to wear the uniform till that specified period?

The Ministry of Defence (Shri Swarn Singh) and (a) (b) : Items of clothing and necessaries are divided in two categories—personal clothing and public clothing.

The public clothing items both in peace areas and field areas and the personal clothing items in the field areas are replaced free at Government cost and the condemned articles are retained by Government and disposed of.

The issue of replacement for the personal clothing items in peace areas is however made at special recovery rates and is met by the Jawans from the clothing allowance paid to them in the peace areas. In such cases, the condemned articles are retained by the Jawans.

Although the estimated fair life of each item is prescribed, this serves only as a guide and the items are condemned as and when they become unfit for further use.

There is no proposal under the consideration of Government to modify the above position.

Production of Tri-Sodium Phosphate in Alwaye Rare Earth Factory

9498. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the quantity of tri-sodium phosphate being produced in Alwaye Rare Earth Factory at present;

(b) whether it is a fact that tri-sodium phosphate is used in several industrial products, but its consumption in the country is not to the extent it ought to have been; and

(c) if so, the steps being taken by Government to propagate and increase the consumption of the said material?

Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) 345 tonnes per month.

(b) Trisodium phosphate has a variety of industrial uses. The extent of actual consumption depends upon a number of factors such as availability of substitutes, relative economies of processes employed, etc. The entire current production is being absorbed within the country.

(c) The steps being taken include (i) advertising and direct mailing of literature to prospective customers, with the object of giving wide publicity to various possible uses of tri-sodium phosphate and (ii) visits by technical experts to educate and assist prospective customers in the utilisation of the chemical in various processes.

Export of Alumina

9499. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the export of Alumina; and

(b) the progress so far made towards the establishment of the proposed Alumina plant in Western India for the purpose of export?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) Alumina is not being exported, at present.

(b) A feasibility study report for the establishment of the Alumina plant in Western India has recently been submitted by the National Industrial Development Corporation. An inter-Ministerial Study Group has been set up to exmine the feasibility report and make recommendations on the adequacy of bauxite reserves in Kutch, economic size of the proposed plant, location of the plant and operational economy.

Indian Collaboration in Foreign Countries

9500. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Foreign Trade** be plesaed to state the progress made so far in respect of the scheme for setting up a factory in some foreign country in collaboration with some other foreign country or for supplying goods to one country in collaboration with the other country?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : Presumably the reference relates to Joint ventures in third countries. So far there have been two such ventures. In one venture an Indian firm collaborated with a U.K. firm in setting up a unit for assembling and manufacturing vehicles in Ceylon. In the other case an Indian firm collaborated with overseas consultants for supplying fertilizer equipment to Ceylon.

भारत-चीन संघर्ष के प्रति रूस की प्रतिक्रिया

9502. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री दण्डपाणि :

श्री मयावन :

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ में रूसी प्रतिनिधि द्वारा भारत-चीन संघर्ष के संबंध में पत्रकार सम्मेलन में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पत्रकार सम्मेलन में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों की पूरी रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भारत-चीन संघर्ष के संबंध में रूस से अपनी नीति बदलने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) लेनिन वर्षगांठ के अवसर पर पत्रकार सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सोवियत प्रतिनिधि मंत्री जैकोब मलिक द्वारा की गई तथाकथित टीका-टिप्पणियों के बारे में सरकार ने पूरी रिपोर्ट देखी है।

(ग) बताया जाता है कि पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह कहा कि केवल नए जैनेवा सम्मेलन से नया समाधान निकल सकता है और हिन्द-चीन प्रायद्वीप में तनाव कम हो सकता है।

(घ) जी, हां। सोवियत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि सोवियत स्थिति पूर्ववत् है अर्थात् इस समय जैनेवा सम्मेलन बुलाना बेकार है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकार सम्मेलन में श्री मलिक की बातों से जो विभिन्न विचार निकाले गए वे पश्चिमी प्रेस द्वारा जानबूझ कर गलत अर्थ लगाने और बढ़ा-चढ़ा कर कहने के परिणाम हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी वास्तविक स्थिति बताते हुए उनका खंडन किया था।

भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों पर चीन द्वारा विशेष ध्यान देना

9503. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री दण्डपाणि :

श्री समर गुहा :

श्री मयावन :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने भारतीय सेना के भूतपूर्व गोरखा सैनिकों पर जो पेंशनरों के रूप में अपने गांवों में वापिस आ गए हैं विशेष ध्यान देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय सेना के अनेक पेंशन-प्राप्त गोरखा सैनिक अपने घरों को वापिस आ गए हैं और सरकार ने उनसे सम्पर्क बनाए रखने पर कोई विचार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो चीन सरकार द्वारा इन गोरखों को नौकरियां दी गई हैं जोकि नेपाल में सड़कें बना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो चीन की सामरिक नीति से उत्पन्न इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ) इस संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास के संबंध में कथित वक्तव्य पर 21-4-1970 के ध्यानाकर्षण नोटिस के बारे में उठने वाले प्रश्नों के मेरे उत्तरों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि नेपाल में चीनी तकनीशियनों की गतिविधि में नेपाल सरकार के सत्ता क्षेत्र के अन्तर्गत संबंध रखने वाला मामला है।

ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति

9504. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में केन्द्रीय समन्वय समिति स्थापित की गई है;

(ख) क्या यह समिति ग्रामीण विद्युतिकरण आदि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सभी पहलुओं पर विचार करेगी; और

(ग) इन कार्यक्रमों से केरल के कितने ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास और रोज़गार के संबंध में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारणीय विषय संलग्न संकल्प में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3491/70]**।

(ग) संभावित गतिशील छोटे किसानों के लाभ के लिए दो परियोजनाएं जिनमें से प्रत्येक की लागत 1.5 करोड़ रुपया है और सीमान्त किसानों व कृषि श्रमिकों के लिए दो परियोजनाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत एक करोड़ रुपया है, को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए केरल को आवंटित करने का प्रस्ताव है। केरल सरकार इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रों का चयन कर रही है।

[संख्या ए-46011/1/70 प्रशासन-1]

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1970

संकल्प

चौथी योजना में व्यापक महत्व के जिन विभिन्न विशेष कार्यक्रमों का समावेश किया गया है वे हैं : (क) ग्रामीण जनसंख्या के निर्बल वर्गों को लाभान्वित करने के लिए; (ख) सूखे, बंजर और पारिभाषित वर्गों के अन्य क्षेत्र; तथा (ग) विकासोन्मुख ग्रामीण रोज़गार के निर्माण के लिए सामान्यतया अधिक सुविधाएं। इस प्रकार (1) छोटे परन्तु गतिशील सम्भाव्य किसानों, और (2) उप-सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों के लिए, कुल 115 करोड़ रुपए के योजना कार्यक्रम हैं। ये दोनों ही केन्द्रीय क्षेत्र में हैं। क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपए और शुष्क भूमि की खेती के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए, आगामी चार वर्षों में चिरकालीन सूखे क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण के समेकित और सोद्देश्य कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपए का गैर-योजना परिव्यय उपलब्ध होने की सम्भावना है। अतः यह आवश्यक है कि इन और समान अन्य कार्यक्रमों पर एक साथ समेकित रूप से विचार कर उन्हें अविलम्ब कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। यद्यपि कार्यक्रमों के संबंध में प्रशासनिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ-शासित प्रदेशों की होगी, फिर भी सफलतापूर्वक कार्या-

न्वयन के लिए इन स्कीमों के निरूपण और कार्यान्वयन तथा उनके समय-समय पर समीक्षा व मूल्यांकन में काफी समन्वय की आवश्यकता होगी। एक तरफ सभी राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों तथा दूसरी तरफ संघ स्तर पर कई विभागों तथा एक से अधिक मंत्रालयों का इन कार्यक्रमों से सम्बन्ध है, अतएव इनके आयोजन, समन्वय और मूल्यांकन में स्वभावतः काफी सीमा तक योजना आयोग को ज़िम्मेदारी निभानी होगी। तदनुसार भारत सरकार ने निश्चय किया है कि योजना आयोग में ग्रामीण विकास और रोज़गार के समन्वय के लिए एक केन्द्रीय समिति का गठन किया जाए। समिति का गठन इस प्रकार किया जाएगा :—

अध्यक्ष

सदस्य (कृषि), योजना आयोग।

उपाध्यक्ष

मन्त्रिमण्डल सचिव।

सदस्य

निम्नलिखित सचिव :

(1) कृषि विभाग;

(2) वित्त (व्यय) विभाग; और

(3) योजना आयोग।

सलाहकार (कार्यक्रम प्रशासन), श्री पी० के० जे० मेनन, समिति के सचिव होंगे।

समिति, जब कभी आवश्यक समझे, अन्य सम्बद्ध विभागों के भारत सरकार के सचिवों और कृषि पुनर्वित्त निगम तथा ग्रामीण बिजलीकरण निगम के प्रतिनिधियों को सहयोजित कर सकती है।

2. समिति, निम्नलिखित कार्यक्रमों के निरूपण व प्रगति की समीक्षा से विशेषरूप से सम्बन्धित होगी। वह सभी समुचित स्तरों पर उनका समन्वय सुनिश्चित करेगी और उपयुक्त अंतरालों के बाद उनके मूल्यांकन की व्यवस्था करेगी :

(क) सम्भाव्य गतिशील किसानों के लिए छोटे कृषि विकास एजेन्सियों की स्थापना।

(ख) उप-सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिक और ग्रामीण शिल्पियों के लिए समान एजेन्सियों की स्थापना।

(ग) शुष्क-भूमि कृषि परियोजनाएं।

(घ) चिरकालीन सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण निर्माण-कार्य इत्यादि के लिए गैर-योजना परियोजना।

3. ग्रामीण रोज़गार ने निर्माण और ग्रामीण जनसंख्या के निर्बल वर्गों के लाभ के लिए प्रावधान करने में निम्नांकित स्कीमें किस सीमा तक महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं, इस सम्बन्ध में भी समिति समीक्षा कर सकती है :

(1) छोटी सिंचाई स्कीमें।

(2) ग्रामीण बिजलीकरण स्कीमें।

(3) डेयरी विकास योजनाएं।

(4) क्षेत्र विकास योजनाएं।

(5) ग्रामीण शिल्पियों के लिए परियोजनाएं।

(6) ग्रामीण सड़क कार्यक्रम।

(7) ग्रामीण निर्माण कार्यों से संबंधित अन्य कार्यक्रम।

(8) विकास केन्द्र।

4. समिति अपने काम करने की प्रक्रिया का स्वयं निश्चय करेगी और जितनी बार आवश्यक समझे उतनी बार बैठकें करेगी।

अशोक मित्र

सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया, भारतीय बीमा निगम, ग्रामीण बिजलीकरण निगम इत्यादि को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सर्व-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

नई दिल्ली,
28 मार्च, 1970

अशोक मित्र
सचिव, भारत सरकार

राज्यों में योजना बोर्डों की स्थापना

9505. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना बोर्डों की स्थापना के लिए राज्यों को देने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है जैसे कि 1965--69 की योजना में इसके लिए 18 लाख रुपए रखे गए थे;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) क्या 1965--69 में रखी गई समूची धनराशि का प्रयोग राज्यों द्वारा कर लिया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) 18 लाख रुपए की राशि राज्यों को मूल्यांकन संगठन में दृढ़ता लाने के लिए प्रदान की गई थी और यह राशि योजना बोर्डों की स्थापना के लिए नहीं थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता समूह ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है। राज्य योजनाओं में शामिल किसी विशेष कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कोई राशियां नियत नहीं की गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

एरण्डी के तेल का निर्यात

9506. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरण्डी के तेल का किस मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या चीन और ब्राज़ील कड़ी प्रतियोगिता करना चाहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय एरण्डी के तेल के मूल्यों की तुलना में ये दोनों देश इसका किस मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अप्रैल, 1969 से जनवरी, 1970 की अवधि के दौरान भारत से निर्यात किए गए अरण्डी के तेल का जहाज़ पर पहुंच कर औसत मूल्य 2 रु० 75 पैसे प्रति किग्रा० है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्राज़ील द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए गए भारी परेषणों के औसत निर्यात मूल्य 24 से 27 अमरीकी सेंट (1.80 रु० से 2.02 रु०) प्रति किग्रा० के बीच हैं। चीन द्वारा किए जाने वाले इस तेल के निर्यात मूल्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पाकिस्तान की तुलना में पटसन के निर्यात में कमी

9507. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जुगल मंडल :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69, 1969-70 में विभिन्न देशों को भारतीय पटसन का निर्यात कम हो गया है, जब कि पाकिस्तानी पटसन का निर्यात बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में पाकिस्तान की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए तथा भारतीय पटसन का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) पाकिस्तान से होने वाले इस माल के निर्यातों में कुछ वृद्धि हुई है और वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में भारतीय निर्यातों में गिरावट का रुख रहा है। इस रुख के कारण निम्नलिखित हैं : (1) वर्ष 1968-69 में पटसन की असाधारण रूप से कम फसल और उसके फलस्वरूप माल के ऊंचे मूल्य, (2) वर्ष 1969-70 में मानक माल की पूर्ति में कमी जिसके फलस्वरूप पटसन के माल के मूल्य अधिक होना, (3) पाकिस्तान से, जहां निर्यातकों को बोनस वाउचरों का लाभ प्राप्त है, प्रतियोगिता, (4) संश्लिष्ट माल से प्रतियोगिता, (5) स० रा० अमरीका में मन्दे की स्थिति के फलस्वरूप हाल ही के महीनों में कालीन अस्तर के निर्यात में स्थायी गिरावट।

(ग) पटसन और मेस्टा के उत्पादन में वृद्धि हुई है और इस समय मिलें मानक माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय कर रही हैं। वर्ष 1970-71 में पटसन और मेस्टा की 81 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक वित्त निगम के माध्यम से पटसन मिलों को आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के लिए ऋण सहायता दी जा रही है। उद्योग को आयकर अधिनियम की 5वीं अनुसूची में शामिल करके उसके लिए अपेक्षाकृत अधिक विकास छूट दी गई है। जुलाई-अगस्त 1970 के पश्चात् कालीन अस्तर की मांग के पुनः सुधरने की संभावना है। पटसन के माल की कतिपय श्रेणियों पर निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है, जबकि कतिपय अन्य श्रेणियों पर बिलकुल समाप्त कर दिया गया है।

बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम

9508. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम बनाने के संबंध में कोई प्रयत्न किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का सूत्रपात, प्रारूपण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार का काम है। बहरहाल, 1954 की

विनाशकारी बाढ़ों के पश्चात्, बाढ़ नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। कुछ तात्कालिक, लघु तथा दीर्घकालीन उपायों की, उनकी कार्यान्विति के लिए उपयुक्त मशीनरी के साथ, परिकल्पना की गई थी। राज्य स्तर पर तकनीकी सलाहकार समितियों और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए थे। दीर्घकालीन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य सरकारें उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जो पहले किसी कार्यक्रम में नहीं आते थे, बाढ़ नियंत्रण योजनाएं तैयार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। समग्र नदी बेसिनों की बृहद योजनाओं के रूप में समेकित करके नदी आयोगों ने इनका समन्वयन करना है और अन्तिमतः केन्द्रीय बाढ़ नियंत्र बोर्ड ने इनका अनुमोदन करना है।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता देती है। जहां तक धन का संबंध है, चौथी योजना के आरंभ से राज्य सरकारों को योजना की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदान के रूप में दी जाती है और राज्य सरकारें बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने में स्वतंत्र हैं।

Foreign Female Nationals Working in Indian Embassies Abroad

9509. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign female nationals working in the Indian Embassies located in United Arab Republic, China, Japan, Canada and Australia;

(b) the number out of them, who have been working on gazetted and non-gazetted posts separately;

(c) the amount of foreign exchange spent by Government during the last 3 years on their salaries; and

(d) the total period of leave (in terms of days) granted to them during the said period?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as it is received.

परमाणु संयंत्रों में फ्रांस का सहयोग

9510. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अपने परमाणु संयंत्रों के लिए फ्रांस से तकनीकी जानकारी का सहयोग मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) फ्रांस की इनर्जी एटामिक कमिसरियत के साथ हुए एक करार के अन्तर्गत कमिसरियत फास्ट ब्रीडर टैक्नालोजी के क्षेत्र में अपने अनुभव का भारतीय अणु शक्ति आयुग के साथ भागीदार हो रहा है। फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के लिए यह आयोग एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक दल की सहायता कर रहा है। यह रिएक्टर भारतीय अणु शक्ति आयोग द्वारा कालयक्कम में बनाया जाएगा।

भारतीय अणु शक्ति आयोग ने फ्रेंच फर्मों के एक समूह के साथ यह भी करार किया है कि यह फ्रांसीसी संघ बड़ौदा में भारी जल संयंत्र की स्थापना के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी, डिज़ाइन, उपकरण, निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण तथा इसे चालू करने में सहायता प्रदान करेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय को कावेरी परियोजना के लिए केन्द्रीय तकनीकी निर्बाधिता के लिए मैसूर के प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

9511. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर विधायकों के चौथे प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली में मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा-विवाद के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को दिए गए अभ्यावेदन में कावेरी परियोजना के लिए केन्द्रीय तकनीकी निर्बाधिता और वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमण्डल की बातें ध्यान से सुनीं और उन्हें नोट कर लिया। अभ्यावेदन में दी गई विभिन्न मदों पर 17 अप्रैल, 1970 को केरल, तमिलनाडु तथा मैसूर के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श में विचार किया गया था। ये विचार-विमर्श 16 मई, 1970 को होने वाली बैठक में भी जारी रहेंगे।

पाकिस्तानी पुलिस द्वारा बैसाखी यात्रियों द्वारा निगाह रखना

9512. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैसाखी मेले के सम्बन्ध में जो यात्री पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजा साहब गए थे, उन पर पाकिस्तानी पुलिस ने निगाह रखी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान पुलिस द्वारा यात्रियों पर अपनी यात्रा के दौरान और पाकिस्तान में ठहरे हुए लोगों पर कड़ी निगरानी रखी गई थी, सरकार को इस बात की जानकारी है।

रूस को काजू का निर्यात

9513. श्री लोबो प्रभु : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस काजू का आयातकर्त्ता बन गया है, जैसा कि 23 अप्रैल, 1970 के "इकानामिक्स टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या हमारे राजनयिक साधनों के माध्यम से जांच की गई है कि क्या यह आयात रूस में ही खपत के लिए है अथवा पुनः निर्यात के लिए है;

(ग) यदि पुनः निर्यात किया जा रहा है, तो रुपए में विनिमय को जारी रखने के क्या कारण हैं विशेषतः जब कि रूस द्वारा किया जाने वाला आयात उसके भारत को किए जाने वाले निर्यात से अधिक है और जिससे अर्थ यह निकलता है कि उस देश को श्रेय मिलता है और भारत को उस विदेशी मुद्रा की हानि होती है जो भारत अन्य देशों से अर्जित कर सकता है; और

(घ) वर्ष 1970-71 में रूस के साथ व्यापार संतुलन का अनुमान क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) भारत और सोवियत संघ के बीच माल का विनिमय आयातक देश की घरेलू खपत के प्रयोजनार्थ होता है। सोवियत संघ द्वारा पुनर्निर्यात के किसी मामले की भारत सरकार को सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आशा है कि वर्ष 1970-71 में भारत से होने वाले निर्यात और सोवियत संघ से किए जाने वाले आयात और उनके साथ-साथ सोवियत संघ को देय पुनर्भुगतान/अन्य भुगतान एक दूसरे के बराबर होंगे ।

भारत यूगोस्लाविया वीज़ा करार

9514. श्री गार्डिलिगन गौड :

श्री दण्डपाणि :

श्री जनेश्वर मिश्र :

श्री मयावन :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया एक दूसरे के देश में एक दूसरे के राष्ट्रिकों के 90 दिन के दाखिले के लिए अल्पावधि वीज़ा को खत्म करने पर सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) 16 मई, 1970 से यूगोस्लाविया और भारत के वैध राष्ट्रीय पासपोर्टधारियों को एक दूसरे के देश से होकर गुज़रने अथवा 90 दिन के अधिकतम अस्थायी निवास के लिए किसी भी सीमावर्ती ऐसी चौकी से एक दूसरे के देश में प्रवेश करने की छूट होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के लिए अधिकृत हो; इसके लिए उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी । इस सुविधा से दोनों में से किसी भी देश के नागरिकों को आतिथेय देश के प्रवेश, आवागमन और निवास संबंधी कानूनों और विनियमों को पालन न करने की छूट नहीं मिल जाएगी । इस सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को रोज़गार की इजाज़त भी नहीं होगी, चाहे उसके लिए उन्हें धन मिले अथवा न मिले ।

कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र को लोकप्रिय बनाना

9515. श्री रा० को० अमीन : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जनवरी, 1969 को हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में वाणिज्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र के लोकप्रिय न होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक छोटी समिति की नियुक्ति पर विचार करे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति नियुक्त की गई थी और क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उसमें की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा गठित कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र सम्बन्धी समिति ने इस क्षेत्र में चल रहे एककों के लिए बहुत से प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं की सिफारिश की है । विभिन्न मंत्रालयों/संबद्ध विभागों से विचार-विमर्श करके इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और जो सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी, उनको सरकार को उपलब्ध साधनों के अनुरूप क्रियान्वित किया जाएगा ।

विदेशों में बनाये गये "शो रूम"

9516. श्री रा० की० अमीन :

श्री सी० मुत्तुस्वामी :

श्री नंजा गौडर :

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय माल को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा विदेशों में कुल कितने "शो रूम" स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन "शो रूमों" में कितने आदमी काम कर रहे हैं तथा इन "शो रूमों" पर होने वाला आवर्त्तक व्यय कितना है; और

(ग) पिछले दो सालों में इन "शो रूमों" ने कुल कितने रुपए के माल के सौदे प्राप्त किए तथा उनके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 16 "शो रूम"/व्यापार केन्द्र खोले गए थे लेकिन इस समय एक व्यापार केन्द्र काहिरा में और दो "शो रूम" काबुल तथा बहरेन में सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। 8 "शो रूम" व्यापार केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं। नैरोबी, लागोस, बैंकाक, तेहरान और बेरूत के "शो रूम" भारतीय राज्य व्यापार निगम को सौंप दिए गए हैं।

(ख) सरकार द्वारा स्थापित तीन "शो रूमों" में 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं। इन तीन "शो रूमों" पर होने वाला वार्षिक आवर्त्तक व्यय लगभग 4,77,125 रुपए है।

(ग) विदेशों में इन "शो रूमों" को स्थापित करने का मुख्य ध्येय मूलतः नए भारत की तस्वीर पेश करना था और तदनन्तर दृश्य वाणिज्य प्रचार और व्यापार सूचना के द्वारा विदेशों में भारतीय वस्तुओं के प्रति रुचि बढ़ाना है। यह योजना अनिवार्यतः अभिप्रेरणात्मक और परिचयात्मक है।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे "शो रूम"/व्यापार केन्द्र सरकारी अधिकारियों द्वारा रक्षित हैं, जिन्हें निजी फर्मों की ओर से व्यवसाय की बातचीत अथवा आर्डर बुक करने का अधिकार नहीं दिया गया है। "शो रूम"/व्यापार केन्द्रों में प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में व्यापार संबंधी पूछताछ भारतीय निर्यातकों को तत्काल ही भेज दी जाती है जो सीधे ही विदेशी आयातकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

शेष तीन "शो रूमों" को वाणिज्य तरीके से चलाने के मामले पर राज्य व्यापार निगम इन्हें अपने अधीन लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस उद्देश्य के लिए समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

Hungarian Trade Delegation to India

9517. Shri Raghuvir Singh Shastri :

Shri Devindar Singh Garcha :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a trade delegation from Hungary visited India in the third week of April, 1970;

(b) if so, the details of the talks held with the said delegation; and

(c) the outcome of the said talks?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) A delegation led by Deputy Minister of Internal Trade of the Government of Hungarian People's Republic visited India from the 17th to 30th April, 1970. The main purpose of the visit of the delegation was to identify consumer goods and products of light engineering industries which Hungary could import from India on long term basis. The delegation visited Delhi, Madras, Bombay and Ahmedabad. They visited some textile mills garment factory and a few other units. They also saw displays of wide range of products organised by State Trading Corporation and the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation.

The delegation was quite impressed with the wide range of quality consumer goods and the products of light engineering industries that India is in a position to export. They identified a number of products with promising business possibilities.

प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा राजस्थान के सीमा-क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण

9518. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1970 को उन्होंने राजस्थान के कुछ सीमा-क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे का क्या उद्देश्य था; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग) भारतीय सैनिक नाविक तथा वैमानिक बोर्ड की एक बैठक की अध्यक्षता के लिए, जयपुर भ्रमण के दौरान, रक्षा मंत्री ने जेसलमेर स्थित चान्दमारी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का अवसर ग्रहण किया था।

पुस्तकों का निर्यात

9519. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष विदेशों में कितने रुपयों की पुस्तकें बेची गई थीं;

(ख) भारतीय पुस्तकों के मुख्य खरीदार देशों के नाम क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार भारत ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की थी; और

(घ) भारतीय पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार किस विशेष नीति को अपनाने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

(घ) पुस्तकों के निर्यातकों को उनकी कागज तथा अन्य आयातित माल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्यात मूल्य के 35 प्रतिशत के बराबर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस दिए जाते हैं। निर्यात पर शुल्क वापसी भी की जाती है। इसके अलावा, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादन निर्यात संवर्धन परिषद्, पुस्तकों के निर्यात संवर्धन हेतु, विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने का और विदेशों में बिक्री तथा अध्ययन दल भेजने का प्रबन्ध करती है।

विवरण

मुख्य देश जिन्हें पुस्तकों का निर्यात किया गया

(मूल्य लाख रुपए में)

क्र० सं०	देश	1967-68	1968-69	अप्रैल–दिसम्बर 1969
1.	अफगानिस्तान	2.12	1.30	1.87
2.	आस्ट्रेलिया .	0.47	0.98	1.22
3.	बाहरिनी द्वीप	0.41	0.68	0.44
4.	बेल्जियम	0.43	0.33	0.07
5.	ब्राज़ील	—	0.48	0.73
6.	बर्मा	2.14	2.34	1.13
7.	कनाडा	0.40	0.03	0.40
8.	श्रीलंका .	6.50	5.89	3.57
9.	जर्मन गणतंत्र	0.08	0.45	0.25
10.	हांगकांग	0.48	0.70	1.38
11.	जापान	0.40	0.11	0.66
12.	केनिया .	2.05	3.14	5.35
13.	कोरिया गणतंत्र	—	0.41	0.21
14.	कुवैत	0.63	0.47	0.71
15.	मलयेशिया .	6.06	5.11	2.80
16.	मारिशस	0.62	0.70	0.43
17.	नेपाल	12.23	12.36	5.90
18.	नीदरलैंड	0.20	0.31	0.29
19.	फिलिपाइन्स	0.08	0.26	1.50
20.	काटर .	0.39	1.05	1.21
21.	दक्षिण यमन जनतंत्र	1.18	1.55	1.08
22.	सऊदी अरब	3.03	1.68	1.56
23.	सिंगापुर .	3.19	3.41	5.22
24.	दक्षिण अफ्रीका	1.21	1.24	1.64
25.	तनज़ानिया जनतंत्र	0.85	2.20	0.73
26.	थाईलैंड .	0.24	0.73	1.04
27.	सं० अरब गणतंत्र	—	0.37	18.20
28.	ब्रिटेन	8.07	7.83	6.08
29.	अमरीका	11.66	12.35	8.72
30.	युगांडा . .	0.06	0.59	0.29
	अन्य देशों समेत कुल निर्यात . . .	**68.34**	**72.77**	**79.18**

Export of Books

9519. **Shri Shiva Chandra Jha :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the amount of Indian books sold in foreign countries per year;

(b) the names of countries which are the main customers of Indian books;

(c) how much foreign exchange India has earned during the last three years, year-wise; and

(d) the specific policy which Government are planning to pursue during the Fourth Plan period for boosting up the export of Indian books?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) A statement is attached.

(d) Exporters of books are allowed import replenishment licences for 35% of export value to meet their requirements of paper and other imported materials. Drawback of duty is also allowed on export. Besides these, the Chemicals & Allied Products Exports Promotion Council organize participation in foreign exhibitions, and visits of sales and study teams to foreign countries to promote exports of books.

बिहार से लीची के निर्यात का प्रस्ताव

9520. **श्री शिव चन्द्र झा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर बिहार से विदेशों को 'लीची' का निर्यात करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को कितनी-कितनी 'लीची' का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) आगामी मौसम में बिहार राज्य के मुज़फ्फरपुर ज़िले से 19 मे० टन लीची के कुल परिमाण का निर्यात करने का राज्य व्यापार निगम का विचार है। इन 19 मे० टन में से 12 मे० टन ब्रिटेन को 2 मे० टन फ्रांस को 2 मे० टन जर्मनी को तथा शेष 3 मे० टन लीची स्विटज़रलैंड को प्रायोगिक रूप में भेजी जाएगी।

(ग) अनुमानतः 1.20 लाख रु०।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन की नई दरें

9521. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन की पुरानी तथा नई दरें क्या हैं और उनमें अन्तर का क्या औचित्य है;

(ख) मैसूर सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिसने उन भूतपूर्व सैनिकों को भूमि देने से इन्कार कर दिया है जिन्हें सेवा में रहते हुए 1200 रुपए से अधिक उपलब्धियां मिल रही थीं, क्योंकि इससे अधिकांश भूतपूर्व सैनिक पात्र नहीं रहते; और

(ग) प्रतिवर्ष सेवा-निवृत्त होने वाले 40,000 सैनिकों को एक वर्ष और क्यों नहीं रखा जाता, जब कि वे हिमालय के तथा अन्य क्षेत्रों में भूमि को खेती योग्य बनाएं, जहां पर कि व्यक्ति स्वयं खेती नहीं कर सकते, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पुराने तथा नए पेंशन कोड में भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन के कम से कम और अधिकाधिक दरें दर्शाने वाला विवरण व्यापक तुलना के लिए संलग्न है। जहां तक सेवा पेंशन के वर्तमान दरों का संबंध है, अधिक विस्तार "आर्म्ड फोर्सिज़ परसानल एंड सिविलियन्ज़ इन डिफेंस एस्टेब्लिश्मेंट्स—बुक आन सर्विस कन्डीशन्ज़ 1970" में दिए गए हैं, कि रक्षा मंत्रालय के 1969-70 वार्षिक आवेदन के साथ संसद्-सदस्यों में परिचालित की गई है। पेन्शनी लाभों के मामले में सेविवर्ग सेवा से विमुक्ति के समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होते हैं। यही प्रक्रिया रक्षा और असैनिक दोनों तरफ है। इस लिए किसी तिथि से पेन्शनी शर्तों में किसी सुधार को साधारणत: पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जाता कि उससे वह सेविवर्ग भी आवृत्त हो जाएं जो उस तिथि से पहले रिटायर हुए थे। तदपि जीवन मूल्य में क्रमश: वृद्धि को सामने रखते हुए उन सेविवर्ग को कुछ राहत देने के लिए कि जो रिटायर शुदा की सूची में हैं, उन पेन्शनरों को समय-समय पर अस्थायी और तदर्थ बढ़ौतरिएं दी गई हैं, जो पुराने पेन्शन कोड के अन्तर्गत रिटायर हुए थे। हाल ही में भूतपूर्व सैनिकों के कम से कम पेन्शन दर (अस्थायी तथा तदर्थ वृद्धियों समेत) बढ़ा कर 40 रुपए मासिक कर दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3492/70 ।]**

(ख) मैसूर भूमि ग्रांट नियमावली 1960 में अब तक संगत उपबंध में संशोधन हो चुका है कि राज्य में भूमि ग्रांट करने के लिए कुल आय सीमा 1200 रुपए वार्षिक से बढ़ा कर 2000 रुपए कर दी जाए। अब भूमि की ग्रांट के लिए अधिक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी हो जाएंगे।

(ग) भूतपूर्व सैनिक हिमालय तथा अन्य क्षेत्रों में व्यापक पुनरावास योजनाओं के अंश के तौर पर बसाए जा रहे हैं। भूमि सुधार योजनाओं पर रोज़गार देने के लिए सैनिकों की नियुक्ति अवधि बढ़ाना शक्य नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा चीन से प्राप्त सैनिक उपक्रमणों का गिलगिट में संग्रह

9522. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री देववेन सेन :
श्री रा० बरूआ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 1970 के 'पैट्रियट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर के गिलगित क्षेत्र में चीन से प्राप्त सैनिक साज-सामान का भारी संग्रह कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गिलगित-सिंकियांग सड़क पर, जिसका निर्माण व्यापार मार्ग के रूप में किया गया था, सैनिकों की भारी गतिविधियों का संचालन करते देखे गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि चीनी सैनिक इन गतिविधियों का संचालन करते देखे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त गतिविधि से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख), (ग) तथा (घ) ध्यान 6 मई, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8793 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

पाकिस्तान स्थित अपनी सम्पत्तियों के परस्पर विनियम के बारे में उद्योग-गृहों से प्राप्त ज्ञापन

9523. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री दण्डपाणि :

श्री रा० बरूआ :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग-गृहों के एक दल ने, जिनकी पाकिस्तान स्थित फैक्टरियां पाकिस्तान सरकार द्वारा ज़ब्त कर ली गई हैं, एक ज्ञापन में यह प्रार्थना की है कि उनकी आस्तियों के बदले में भारत सरकार द्वारा ज़ब्त की गई पाकिस्तान की सम्पत्तियां उन्हें दे दी जाएं;

(ख) क्या उद्योग-गृहों ने यह सुझाव भी दिया है कि पाकिस्तानी सम्पत्ति से प्राप्त होने वाले लाखों रुपए के लाभांश को इकट्ठा करते चले जाने के बजाए उसे लाभकारी कार्यों में लगाया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) जिन पार्टियों की सम्पत्ति को पाकिस्तान सरकार ने ज़ब्त कर लिया है, उनसे इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की सम्पत्तियों में से, जो भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं, मुआवजा दिया जाए। ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को यह बात मनवाने का प्रयत्न जारी रख रही है कि ताशकन्द करार की भावना के अनुसार इन सम्पत्तियों को पारस्परिक आधार पर इनके स्वामियों को लौटा दिया जाए।

पाकिस्तान द्वारा चकमा लोगों का दमन

9524. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री समर गुह :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने चिटगांग पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली गैर-मुस्लिम चकमा आदिम जाति, के खिलाफ एक दमन-चक्र चला रखा है;

(ख) क्या चकमाओं ने भारत आना शुरू कर दिया है;

(ग) क्या इस दमन-चक्र का उद्देश्य आदिम जातियों से उस क्षेत्र को खाली करवा कर वहां विद्रोही मिज़ो और नागाओं का प्रशिक्षण शिविर स्थापित करना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अपने प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ चकमाओं की शिकायतों की रिपोर्ट कभी-कभी मिली हैं।

(ख) हमारी जानकारी में हाल में कोई बड़ी संख्या में चकमा लोग भारत में नहीं आए हैं।

(ग) सरकार यह बात जानती है कि जिन क्षेत्रों में आम तौर से चकमा लोग रहा करते थे, उनमें विद्रोही नागाओं और मीज़ो लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए हैं।

(घ) कुछ भारतीयों की गैर-कानूनी कार्रवाइयों में उन्हें उकसाने और बढ़ावा देने के खिलाफ भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से विरोध किया है क्योंकि यह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय फर्मों के लिए यूरोप को इंजीनियरी पुर्जों की सप्लाई के लिए उप-ठेके प्राप्त करना

9525. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने भारतीय फर्मों के लिए, जो कि इंजीनियरी पुर्जों की सप्लाई करने में समर्थ है, यूरोपीय देशों से उप-ठेके प्राप्त करने के बारे में एक अभियान आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम को इस बारे में अब तक कितनी उपलब्धि हुई है; और

(ग) किस प्रकार के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). जनवरी/फरवरी, 1970 के महीने में राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि-मण्डल पश्चिमी यूरोप में गया और वहां इसने इंजीनियरी पुर्जों की सप्लाई करने के सम्बन्ध में बड़े निर्माताओं से विचार-विमर्श किया। ठेकों को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है।

पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की छावनियों में मकानों का अधिग्रहण करना तथा उनके लिए मुआवजा देना

9526. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री भगवान दास :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की छावनियों में वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के दौरान कुल कितने मकानों का अधिग्रहण किया गया, प्रत्येक के लिए कितना मुआवजा दिया गया तथा अधिग्रहण करने के बाद प्रत्येक मकान को किस प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया गया;

(ख) उनमें से कितने मकान क्रमशः विस्थापित व्यक्तियों तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों के थे;

(ग) ऐसे कितने मामले हुए जिनमें सरकार को विवश होकर किराए पर लिए गए मकानों का अधिग्रहण करना पड़ा क्योंकि उन मकानों के स्वामी विस्थापित व्यक्ति अथवा प्रतिरक्षा कर्मचारी अपने मकानों को खाली कराना चाहते थे, क्योंकि वे अपनी इस सम्पत्ति को अपने निजी कब्जे में रखना चाहते थे; और

(घ) छावनियों में मकानों का अधिग्रहण करने के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा क्या इस संदर्भ में निजी सम्पत्ति के अधिकारों के अधिग्रहण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी हाल ही में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ऐच्छिक आधार पर बिहार के ग्रामों को बिजली देना

9527. **श्री स० कुन्दु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राहत समिति ने ऐच्छिक आधार पर ग्रामों को बिजली देने के बारे में एक योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम तथा ग्राम विद्युतीकरण निगम ने उनको पर्याप्त धनराशि मंजूर करने का वचन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को बनाने के तरीकों, सरकार द्वारा भाग लिए जाने के स्वरूप, प्रशिक्षण योजना आदि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इसका प्रयोग आदर्श योजना के रूप में तथा इसको लोकप्रिय बनाने और अन्य क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने का प्रयत्न कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रीलय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ)। एक चालू स्कीम के अनुसार, कृषि वित्त निगम द्वारा कृषि संबंधी ऋण सिंचाई पम्पों और नलकूपों के अर्जन के लिए दिया जाता है। बिजली की लाइनों को आगे तक ले-जाने के लिए ऋण, सर्विस कनेक्शन शुल्क आदि के लिए ऋण निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में किसानों द्वारा किए गए आवश्यक करारों की कार्यान्विति पर सीधे राज्य बिजली बोर्ड को दिए जाते हैं। बिहार सहायता समिति ने 1970-71 और 1971-72 में बिहार के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, समूह-कूपों के आधार पर, 20,000 नलकूपों की खुदाई की योजना बनाई है। कृषकों से प्रार्थना-पत्र बिहार सहायता समिति द्वारा लिए जाते हैं और उनकी जांच चयन समिति द्वारा की जाती है जिसमें बिहार सहायता समिति, वित्त अभिकरणों, राज्य के लघु सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और बिजली बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। तब भूगत जल अथवा सतही जल संसाधनों की शक्यता को ध्यान में रखते हुए विशेष परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए और जांचे गए प्रार्थना-पत्रों के आधार पर, व्यवहार्य स्कीमें तैयार की जाती हैं। अन्य राज्यों में भी इस स्कीम का लाभ उठाया जा रहा है। बहरहाल, बिहार में, बिहार सहायता समिति ने नलकूपों/पम्पों के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्ड के साथ मिल कर, कृषि वित्त निगम से ऋण सुविधाएं लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर, कृषकों के संगठन के लिए एक अतिरिक्त एजेन्सी का प्रबन्ध कर दिया है।

सेवा-मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपयुक्त रोज़गार न देना

9528. श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :
श्री मणिभाई जे० पटल :
श्री बाल्मीकि चौधरी :
श्री बाबे राव पटेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा-मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को कोई उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान कया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन सभी अधिकारियों को पुनः रोज़गार देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग)। उपयुक्त असैनिक रोज़गारों या निजी रोज़गार योजनाओं में, विमुक्त ई०सी० ओज़० को पुनरावासित करने के लिए सभी संभव पग उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में ध्यान 26 नवम्बर 1969 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के भाग 7 (ख) के उत्तर, 18 मार्च 1970 के उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3462 के भाग (ख) (ग) तथा (घ) के उत्तर में संलग्न विवरण, 1 अप्रैल 1970 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4739 के भाग (घ) तथा (ङ) के उत्तर और 6 मई 1970 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 8736 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

9529. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिना और सुदूरपूर्व संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा प्रायोजित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को भारत में आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें इसमें भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जायेगा; और

(ग) भारत के इन प्रमुख उद्योग-गृहों, सरकारी उपक्रमों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी उद्यमों के नाम क्या हैं जिनके इस मेले में भाग लेने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) मेले को 1927 के शुरू में आयोजित करने का प्रस्ताव है और मेले में जो भारतीय संगठन भाग लेंगे, उनके नाम बताना इतनी जल्दी सम्भव नहीं है।

हांगकाग से व्यापार शिष्टमंडल

9530. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हांगकांग से छः सदस्यों का व्यापारिक शिष्टमंडल हाल में भारत आया था और उसने उनसे बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि शिष्टमंडल ने भारत से इंजीनियरिंग की वस्तुओं, कपड़ा, चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं, विग्स, मानव बाल, सीमेंट, तथा चाय का आयात करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) उक्त किन वस्तुओं में उन्होंने रुचि प्रकट की है और किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) । राज्य व्यापार निगम के आमन्त्रण पर अप्रैल 1970 के पूर्वार्धि में हांगकांग की व्यापार विकास परिषद् के अध्यक्ष सर निन चाऊ के नेतृत्व में हांगकांग से छः व्यापारियों का एक दल भारत आया था । दल का प्रमुख उद्देश्य भारत में हुई औद्योगिक प्रगति को देखना और भारत तथा हांगकांग के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सम्भाव्यताओं का पता लगाना था । दल ने कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, बम्बई तथा दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली यात्रा के दौरान इस व्यापारिक दल ने दोनों देशों के बीच व्यापार के विस्तार, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनियोजन, हांगकांग में भारतीय व्यापारियों द्वारा संयुक्त उद्यमों की स्थापना और अन्य देशों में भारत तथा हांगकांग के बीच सहयोग की संभावना पर बातचीत की । दिल्ली में ठहरने के दौरान व्यापारिक दल ने विदेशी व्यापार मंत्री से भी मुलाकत की थी ।

(ग) जी हां।

(घ) दल ने भारत से मशीनी औजार, इस्पात की छड़ों तथा धातु के इमारती सामान के निर्यातों में भी रुचि दिखाई ।

स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार

9531. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा स्विट्जरलैंड के संयुक्त व्यापार आयोग को पुनः सक्रिय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत स्विट्जरलैंड को किन वस्तुओं का निर्यात करेगा और वहां से किन वस्तुओं का आयात करेगा?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) इस पर सहमति हो गई थी इस आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार, परस्पर तय किये गये समय पर, होगी और उसमें भारत-स्विट्जरलैंड व्यापार की प्रगति की समीक्षा की जायेगी ताकि व्यापार अवसरों का पता लगाया जा सके और भारत-स्विस व्यापार विनिमयों में लगे हुए अभिकरणों तथा उद्यमों को सहायता तथा मार्ग-दर्शन दिया जा सके ।

(ग) भारत तथा स्विट्जरलैंड दोनों में लागू विधियों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए विदेशी व्यापार निर्बाध है, अतः निर्यातों और आयातों की सूचियां बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Release of Adequate Water to Cannals in U. P.

*9532. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether some new schemes have been formulated to make irrigation facility more usefull by timely release of adequate water into the canals of Uttar Pradesh so that water could reach the other end of the canal; if so, the details about the said schemes; and

(b) the details of the scheme formulated for making water available regularly into the canals in the Rae-Bareili, Pratapgarh, Allahabad, Jaunpur and other eastern areas of Uttar Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The Government of Uttar Pradesh have reported that emphasis is being laid in the Fourth Plan on completion of the following schemes which will provide supplemental supplies to existing canal systems and thus relieve shortage at the tail end of the canals :

Name of Project	Canal system which will receive supplemental supplies	District of Central and Eastern regions benefited by Projects
1	2	3
1. Ramganga River Project ..	Lower Ganga Canal	Kanpur, Fatehpur, Allahabad
2. Sarda Sahayak Pariyojna ..	Sarda Canal System	Lucknow, Bara Banki, Rae-Bareili, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Pratapgarh, Allahabad.

1	2	3
3. Dalmau Pumped Canal Stage-I.	Sarda Canal System	Rae-Bareili, Pratapgarh
4. Bhopali Pumped Canal ..	Dhanapur Dy.	Varanasi
5. Zamania Pumped Canal ..	Chandauli Dy.	Ghazipur
6. Kishanpur Pumped Canal ..	Lower Ganga Canal	Allahabad
7. Ken Pumped Canal ..	Do.	Fatehpur & Allahabad
8. Tons Pumped Canal	Belan Canal	Allahabad
9. Increasing capacity Dohrighat Pumped Canal ..	Dohrighat Pumped Canal	Azamgarh and Ballia.
10. Increasing capacity of Ghagra Pumped Canal ..	Ghagra Pumped Canal	Faizabad
11. Bhitaura Pumped Canal ..	Lower Ganga Canal	Fatehpur, Allahabad
12. Narainpur Pumped Canal ..	Moghal Sarai Dy. of Jirgo system	Mirzapur
13. Shringberpur Pumped Canal ..	Sarda Canal System	Allahabad.

Export of Lichi

9533. **Shri Jageshwar Yadav :**

Shri Ramavatar Shastri :

Will the **Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by the export of 'Lichi' during the last three years;

(b) the names of the countries to which 'Lichi' is exported; and

(c) the steps taken to increase the export of 'Lichi'?

The Minister of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) The item 'Lichi' is not separately classified in the Revised Indian Trade Classification and as such information about the amount of foreign exchange earned by its export and names of the countries to which the export was made, is not available.

(c) The State Trading Corporation proposes to export 'Lichi' during the coming season to West European countries as an experimental venture.

Concessions for Supply of Power for Agricultural Purposes

†9534. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have decided to give some special concessions regarding supply of power consumed for agricultural purposes in the backward areas particularly in villages in Uttar Pradesh;

(b) if so, the manner in which Uttar Pradesh would be helped in this regard; and

(c) the areas in Uttar Pradesh where electrification programme is to be implemented after receiving aid from the Centre ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation of Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The Rural Electrification Corporation which has been set up by the Central Government for financing rural electrification scheme, has been directed to waive the criteria of economic viability of rural electrification schemes in respect of backward areas with future agricultural potential, for a period not exceeding 5 years. In accordance with this directive, the Corporation has communicated to State Electricity Boards the concessional terms of financing rural electrification schemes in "backward areas" as compared with schemes in "other areas."

(c) The Rural Electrification Corporation has sanctioned two schemes received from the Uttar Pradesh State Electricity Board relating to electrification of 65 villages and energisation of 500 pump sets in Meerut District and electrification of 150 villages and energisation of 300 pump sets in Lucknow district. The terms of financing in respect of these two schemes are as applicable to "other areas". The implementation of more schemes in Uttar Pradesh will depend on the number of schemes received from the Uttar Pradesh State Electricity Board and the sanctions accorded by the Corporation in accordance with the criteria adopted by it.

चीन द्वारा पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सड़कों का निर्माण पूरा करना

9535. **श्री अब्दुल गनी डार :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन ने सड़कों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है;

(ख) क्या हमारे पास सेना के टैंकों और अन्य भारी मोटर गाड़ियों के जाने के लिए पर्याप्त सड़के हैं; और

(ग) हमारी ओर पूरी की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०.ना० मिश्र) : (क) तिब्बत के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में सीमा पार महत्वपूर्ण केन्द्रों को मिलाने वाली सड़कें कुछ समय से अस्तित्व में हैं।

(ख) तथा (ग) रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी ओर संचार सुविधाएं विद्यमान हैं। जहां आवश्यक है उनका और सुधार किया जा रहा है । अधिक विस्तार देना लोक हित में न होगा।

रावी नदी का फालतू पानी

9536. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सूरज भान :

श्री शारदा नन्द :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 3 अप्रैल, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के रीडर्स के कालमों में रावी नदी के फालतू पानी के सम्बन्ध में प्रकाशित पत्र के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लेखक द्वारा अपने पत्र में बताए गये तथ्यों के बारे में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस पत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों और उन पर टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

(1) पाकिस्तान को रावी के पानी के प्रवाह का जारी रहना

1 अप्रैल, 1970 की सुबह से पूर्वी नदियों का पानी भारत से बाहर प्रवाहित होकर नीचे नहीं जा रहा है और मानसून के महीनों को छोड़कर जबकि बाढ़ का पानी प्रवाहित होकर नीचे चला जाएगा, यह स्थिति बनी रहेगी ।

(2) भारत में पूर्वी नदियों के पानी के समुपयोजन की प्रगति

जबकि विभाजन के समय, लगभग 330 लाख एकड़ फुट के तीनों पूर्वी नहरों के औसत वार्षिक प्रवाह के केवल एक-चौथाई भाग का उस क्षेत्र में समुपयोजन हो रहा था जो कि अब भारत में है, इस समय इस पानी का लगभग तीन-चौथाई भाग प्रयोग में लाया जा रहा है। इस समय निर्माणाधीन व्यास परियोजना और राजस्थान नहर परियोजना के पूरा हो जाने पर, कुल 330 लाख एकड़ फुट पानी में से 320 लाख एकड़ फुट पानी का भारत में समुपयोजन हो जाएगा ।

(3) थीन बांध का निर्माण :

भारत में प्रयुक्त हुए बिना भारत से बाहर प्रवाहित होकर जो पानी चला जाता है उस पानी के समुपयोजन के लिए प्राथमिकतावार बहुत महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जाते हैं :—

(i) व्यास परियोजना ।

(ii) राजस्थान नहर परियोजना ।

(iii) थीन बांध ।

थीन बांध परियोजना (1969) की स्वीकृति का प्रश्न अन्य बातों के साथ-साथ तब ही हाथ में लिया जाना है जब तीनों पूर्वी नदियों के जलाशयों का समेकित अध्ययन हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश द्वारा सुझाई गई रावी नदी की वैकल्पिक स्कीमों की आर्थिक दृष्टि से जांच हो जाएगी।

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

9537. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर कितने भूतपूर्व सैनिकों को बसाया गया तथा उनको क्या सुविधाएं दी गईं;

(ख) क्या राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री ने चम्बल के बीहड़ों में और अधिक ऐसे भूतपूर्व सैनिक बसाने का प्रयत्न किया है, यदि राज्य के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूचना राज्य सरकार से मंगाई गई है और जब प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) तथा (ग) 1 अप्रैल, 1970 को जबलपुर में आयोजित भारतीय सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड के आठवें सम्मेलन में स्वागत-भाषण के दौरान राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने चम्बल कमान सिंचाई तन्त्र के अन्तर्गत कोटा ज़िला में संघाटी सुधार प्रयोजना का उल्लेख किया था जिस पर लगभग 90 लाख रुपये लागत आना अनुमानित थी, और बताया कि अगर भारत सरकार द्वारा प्रयोजना के लिए अनुदान प्राप्य किए जा सके, तो सुधारे गए क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के 1000 कुटुम्ब बसाए जा सकते थे । इस प्रस्ताव का भूतपूर्व सैनकों के पुनरावास के लिए विभिन्न योजनाओं को दी जाने वाली प्राथमिकताओं और संसाधनों के प्राप्यता का उचित ध्यान रखते हुए, निरीक्षण किया जाएगा ।

कम्पीटीशन शूटिंग के लिए कारतूसों का निर्माण

9538. **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राइफल ऐसोसिएशन तथा देश की इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं ने नियमित रूप से अभ्यावेदन दिया है कि भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित 12 बोर बन्दूकों के तथा 22 राइफलों के कारतूस 'कम्पीटीशन शूटिंग' के उपयुक्त नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि हमारे सभी निशानेबाजों को कम्पीटीशन शूटिंग के लिये कारतूसों का आयात करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पीटीशन शूटिंग के लिये कारतूसों का निर्माण करने में सरकार किन कारणों से असमर्थ है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारत के राष्ट्रीय राईफल संघ तथा विख्यात निशानेबाजों समेत अन्य ऐसे संघों ने इस मन्त्रालय को निशानेबाजी की प्रतियोगिता के लिए 12 बोर की शाट गन और 22 राईफलों के लिए कारतूसों का उत्पादन शिकार के लिए अभिप्रेत है, और ऐसा दावा नहीं किया जाता कि वह निशानेबाजी की प्रतियोगिता के लिए उपयुक्त है।

(ख) जी हां।

(ग) इस किस्म के गोली बारूद को समित आवश्यकता उत्पादन को बहुत मंहगा बना देंगी।

काली सूची में नाम आ जाने के बाद भी मैसर्स दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ द्वारा सीमा सड़क संगठन को उपकरणों की सप्लाई

9539. श्री रणजीत सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स दिल्ली स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज प्रतिरक्षा विभाग को सामान सप्लाई करने वाली फर्मों में से एक फर्म है;

(ख) क्या उनका नाम काली सूची में दर्ज किया गया है;

(ग) क्या उन्होंने काली सूची में दर्ज होने के पश्चात् सीमा सड़क संगठन को बुलडोजरों तथा छोटी क्रेनों की सप्लाई की है;

(घ) क्या एक कर्नल, जिसने सीमा सड़क संगठन में काम किया था, सेना से सेवा निवृत्त होने के तुरन्त पश्चात् उपरोक्त फर्म में शामिल हो गया और अब सीमा सड़क संगठन को उपकरण की सप्लाई कर रहा है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सेवा निवृत्त के पश्चात् भी वह कर्नल सांगली आफिसर मैस में रह रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) रक्षा मांगों के विरुद्ध कई सामानों की सप्लाई के लिए आर्डर सर्वश्री दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को डी० जी० एस० एंड डी० द्वारा भेजे गए थे । तदपि, डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा फर्म के साथ व्यापारिक कार्य 28 जुलाई 1969 से निलम्बित कर दिया गया था, क्योंकि फर्म ने कुछ मानस्तर से निम्न सामान सप्लाई किए थे। फर्म को अभी वैल्कलिस्ट नहीं किया गया ।

(ग) सीमा सड़क संगठन को दिल्ली स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ द्वारा कोई बुलडोज़र या छोटे लिफ्टर सप्लाई नहीं किए गए थे। तदपि कनेडियन फर्म से बर्फ साफ करने की 8 मशीनों के क्रय के संबंधी में दिल्ली स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज से कुछ जानकारी प्राप्त की गई थी, जो उस कनेडियन फर्म के स्थानीय एजेंट हैं।

प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में जांच

9540. श्री रणजीत सिंह :

क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के भ्रष्टाचार के कितने मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है;

(ख) 1 अप्रैल 1967 से प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में भ्रष्टाचार के लिए कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है; और

(ग) उक्त मामलों का रैंकवार ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क), (ख) तथा (ग) सूचना इक्टठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जे० सी० बी० में अनुभागों के अधिकारियों की पदोन्नति में भेदभाव किया जाना

9541. श्री सूरज भान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वाइंट साइफर ब्यूरो में रिसर्च हालरिथ सैक्शन से अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों को दूसरे अनुभागों के आवश्यक अनुभव प्राप्त किये बिना ब्यूरो के अन्य अनुभागों में पदोन्नत किया जा सकता है जब कि अन्य अनुभागों के अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों को इन दो अनुभागों में पदोन्नत नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेद भाव को कब दूर किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) अनुसंधान तथा हालरिथ अनुभागों के तकनीकी सहायक अन्य अनुभागों में पदोन्नति के अधिकारी अगर वह इन अनुभागों में सेवा किए बिना भर्ती के नियमों में दी गई आवश्यक योग्यताएं रखते हों। तदपि अनुभागों के तकनीकी सहायकों के लिए आवश्यक है कि उन अनुभागों में पदोन्नति का अधिकारी बनने के लिए हालरिथ और अनुसंधान अनुभागों का अनुभव प्राप्त हो। अनुसंधान अनुभाग के लिए एक और आवश्यक योग्यता है गणित/गणित सांख्यिकी में अधिस्नातक डिग्री। इन अनुभागों में उन्हें अनुभव प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए तकनीकी सहायकों को वरिष्ठता के अनुसार उन अनुभागों में पदोन्नति के लिए विचारे जाने हैं के लिए निर्धारित कम से कम अवधि के लिए काम करने का अवसर दिया जाता है।

जे० सी० बी० भर्ती नियमों में परिवर्तन

9542. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में श्रेणी एक तथा दो राजपत्रित और श्रेणी तीन अराजपत्रित के भर्ती नियमों में परिवर्तन के कारण ज्वाइंट साइफर ब्यूरों में निदेशक तथा उप-निदेशक के पदों को हमेशा अनुसन्धान अनुभाग के अधिकारियों से भरा जायेगा क्यों कि ब्यूरो के दूसरे अनुभागों का कोई भी अधिकारी गणित में एम० ए० नहीं है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार ज्वाइंट साइफर ब्यूरो के विभिन्न अनुभागों के बीच इस भेद भाव को समाप्त करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल०ना०मिश्र) : (क) जी नहीं।

डारेक्टर का स्थान किसी भी अनुभाग के अफसर द्वारा पुर किया जा सकता है अगर उसके पास गणित या गणित सांख्यिकी की मास्टर की डिग्री हो। अनुसन्धान विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में उन योग्यताओं सहित अफसर प्राप्य है। ज्वाइंट साईफर ब्यूरो में डिप्टी डारेक्टर के स्थानों के लिए भर्ती के नियमों की अभी अन्तिम रूप रेखा तैयार नहीं हो पाई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात

9543. **श्री रवि राय :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने भारतीय जूतों के निर्यात का विविधीकरण किया है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में कुल कितने मूल्य के जूते बाहर भेजे गये; और

(ग) उनका निर्यात किन देशों को किया गया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क). जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1968-69 तथा 1969-70 के दौरान राज्य व्यापार निगम को जूतों के निर्यात से प्राप्त मूल्य तथा उन देशों के नाम जहां उनका निर्यात किया गया दर्शाने वाला विवरण ।

मूल्य (लाख रु० में)

देश	मद	1968-69	1969-70
सोवियत रूस . . .	जूते	308.63	324.64
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य .	चप्पलें	—	10.97
बल्गारिया . .	जूते .	1.09	—
पोलैंड . .	चप्पलें . .	8.35	—
सं० रा० अमरीका	चमड़ा तथा चप्पलें .	0.63	0.41
कनाडा	चप्पलें	0.34	—
यूगांडा	बूट	—	0.53
ब्रिटेन . .	गम बूट .	—	0.07
	निर्यात का कुल मूल्य : . .	319.04	335.72

Rejection of Proposal of Planning Commission by Bihar Government for increase in Rates of Irrigation

† **9544. Shri Ramavatar Shastri :** Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have rejected the proposal of the Planning Commission to increase the rates of irrigation;

(b) whether it is also a fact that the Government of Bihar have decided to provide certain facilities to the farmers irrigating their fields with the help of electricity;

(c) whether it is also a fact that the Bihar Government have decided to extend the irrigation scheme, if so, the details thereof;

(d) whether the Government of Bihar have asked for some special assistance from the Central Government for this purpose; if so, the details thereof; and

(e) the reaction of Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) No, Sir. On the other hand, the Government of Bihar have under consideration proposals for increase in irrigation rates by about 50%.

(b) Rural electrification schemes in Bihar, as in the rest of the country, have been reoriented towards the electrification of pumps for increasing food production.

(c) to (e). Irrigation is a State subject and the funds for the construction of irrigation projects are found by the States from within their Plan outlays. The Fourth Plan outlay of Bihar is Rs. 531.28 crores, out of which Central assistance is Rs. 338 crores. The proposed outlay on irrigation is Rs. 111 crores.

The Bihar Government have proposals to start some new irrigation projects during the Fourth Plan. Details of new schemes have, however, not yet been finalised.

बिहार सरकार द्वारा सिंचाई की दरों में वृद्धि के कारण योजना आयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना

9544. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने सिंचाई की दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी योजना आयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने बिजली की सहायता अपने खेतों में सिंचाई करने वाले कृषकों को कुछ सुविधाएं देने के बारे में निर्णय किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार ने सिंचाई योजना का विस्तार करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार से कुछ विशिष्ट सहायता के लिये कहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई व बिजली उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। बल्कि बिहार सरकार सिंचाई दरों में लगभग 50% वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

(ख) जैसा कि देश के शेष भागों में किया गया है बिहार की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को भी खाद्यान्न की उपज को बढ़ाने के लिए पम्पों के विद्युतीकरण के अनुकूल बना दिया गया है। (ग) से (ङ)। सिंचाई का विषय राज्य सूची में है और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं के परिव्ययों में से की जाती है। बिहार की चौथी योजना का परिव्यय 531.28 करोड़ रुपये है जिसमें 338 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता है। सिंचाई के लिए 111 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

बिहार सरकार चौथी योजना के दौरान कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं को आरम्भ करने का विचार रखती है। बहरहाल नई स्कीमों के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा

9545. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय मंत्री ने हाल में कुवैत तथा सऊदी अरब के निमंत्रण पर उन देशों की यात्रा की थी;

(ख) इसी मंत्री को आमंत्रित करने के क्या विशेष कारण थे; और यदि उन्होंने उन देशों के नेताओं से कोई बातचीत की थी तो उसका विषय क्या था; और

(ग) विशेषकर सऊदी अरब के भारत विरोधी रवैये को और उस केन्द्रीय मंत्री की विदित साम्प्रदायिक गतिविधियों को देखते हुए सरकार उस देश की उक्त यात्रा के लिए क्यों सहमत हुई थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सऊदी अरब सरकार ने उप-विधि मंत्री को हज करने के लिए आमंत्रित किया था । यह आमंत्रण उनकी इस प्रथा के अनुरूप है जिसके अनुसार वे प्रत्येक वर्ष हज तीर्थ-यात्रा के दौरान विश्व के विभिन्न भागों से विशिष्ट मुसलमान अतिथियों को बुलाते हैं । तीर्थ-यात्रा से लौटते समय उप-मंत्री कुबैत में रुके जिसके लिए भी उन्हें कुबैत सरकार से निमंत्रण मिला था ।

(ग) भारत सरकार का यह विचार है कि इस प्रकार की यात्राओं से दोनों देशों के बीच सामान्य रूप से विचार-विनिमय करने और समझ-बूझ बढ़ाने के लाभदायक अवसर प्राप्त होते हैं। भारत के प्रति सउदी अरब सरकार की नीतियों के संबंध में भारत सरकार माननीय सदस्या के विचार से सहमत नहीं है । केन्द्रीय मंत्री की गतिविधियों के संबंध में माननीय सदस्या के विचारों को भी वह पूर्णतः स्वीकार करती है।

व्यास बांध को पूरा किया जाना

9546. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास बाँध को पूरा करने की निश्चित तारीख और परियोजना की मूलतः अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या उक्त बांध को निर्धारित समय में पूर्ण करना सम्भव होगा और यदि नहीं तो इसमें कितना विलम्ब होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सतलज व्यास लिंक निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जायेगा;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं में कोई श्रमिक संकट है और क्या इससे परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है;

(ङ) बांध से अनुमानतः कितनी विद्युत्-शक्ति पैदा की जायेगी और क्या जब यह तैयार हो जायेगा तो बिजली के वितरण की व्यवस्था की जाएगी; और

(च) विद्युत्-शक्ति में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली और राजस्थान का अंश कितना होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोंग पर व्यास बांध का जून 1973 तक पूर्ण होना अनुसूचित है ।

आरम्भ में व्यास परियोजना यूनिट-II की अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपये थी। यह अनुमान इस समय निर्माणाधीन कार्य की ऊंचाई से कम ऊंचाई के लिए था और इसने बिजली संयंत्र के लिए कोई प्रबंध नहीं था ।

(ख) यदि राशि उपलब्ध होती रही तो बांध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो जाएगा ।

(ग) हो सकता है कि व्यास सतलुज सम्पर्क के जरिए पानी के व्यपवर्तन में दिसम्बर 1972 की अनुसूचित तारीख से 6 मास से 1 वर्ष अधिक लग जाए ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) व्यास परियोजना यूनिट-I के कारण भाखड़ा पर अतिरिक्त बिजली उत्पादन समेत व्यास परियोजना की कुल वास्तविक बिजली शक्यता शत-प्रतिशत भार अनुपात पर 484 मैगावाट है । परियोजना पर उत्पन्न होने वाली बिजली के वितरण के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं ।

(च) व्यास परियोजना पर उत्पन्न बिजली में भागीदार राज्यों के हिस्सों को अभी तय किया जाना है ।

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर में प्रतिरक्षा कालोनियां स्थापित करना

9547. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में प्रतिरक्षा कालोनियां स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार उन कालोनियों को स्थापित करने तथा उनका विकास करने के लिये कुछ वित्तीय सहायता देगी अथवा इसका सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) । वास्य कालोनियें पंजाब में—जालधंर और लुधियाना में, हरियाणा में—हिसार। में, हिमाचल प्रदेश में—पालम में और जम्मू तथा काश्मीर में या तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्माण के लिए आयोजित की जाती हैं या स्थानीय सैनिक कमाण्डरों द्वारा।

(ग) इन कालोनियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही । यह समग्रतः राज्य सरकारों, संबंधित स्थानीय सैनिक कमांडर या स्वयं बसने की इच्छा करने वालों का उत्तरदायित्व है । तदपि आरम्भिक वित्तीय आवश्यकताओं की समस्या हल करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुरावास के लिए विशिष्ट निधि के राज्य के भाग से ऋण दिए जा सकते हैं।

संसद् द्वारा चौथी योजना के अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन

9548. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती शारदा मुखर्जी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रारूप लोक सभा के चालू सत्र में संसद् के सामने लाया जायेगा;

(ख) क्या सरकार प्रारूप का संसद् द्वारा अनुमोदन आवश्यक समझती है; और

(ग) क्या योजना के प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अनुमोदन दे दिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) । प्रचलित प्रथा के अनुरूप चौथी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम प्रलेख संसद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) चौथी योजना का संशोधित परिव्यय राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में सर्व मतैक्य से अनुमोदित किया गया है।

Temporary Posts not Converted into Permanent posts in Prime Minister's Secretariat, its Attached and Subordinate Offices

9549. Shri Molahu Prashad : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of posts in the Prime Minister's Secretariat and in the Attached and Subordinate offices thereof, departmentwise, which have been in existence for the last 3 years but have not been made permanent; and

(b) the complete details in this regard and the reasons for not declaring the said posts permanent?

Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy & Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b) All the temporary posts in the Prime Minister's Secretariat which have been in existence for three years or more and which qualified for conversion into permanent ones have been made permanent. There is no office attached or subordinate to the Prime Minister's Secretariat.

प्रधान मंत्री के सचिवालय और इसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी न बनाये गये अस्थायी पद

9549. **श्री मोहन प्रसाद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के सचिवालय में तथा इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग-वार ऐसे कितने पद हैं जो गत तीन वर्षों से बने हुए हैं और जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है; और

(ख) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है और उक्त पदों को स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री सचिवालय में पिछले 3 वर्षों से या इससे अधिक समय से जो पद अस्थाई बने हुए थे और जिन्हें स्थाई पदों में बदला जा सकता था, उन सब को स्थाई पदों में बदल दिया गया है । प्रधान मंत्री सचिवालय का न तो कोई सम्बद्ध कार्यालय है और न कोई अधीनस्थ ।

मध्य प्रदेश की बिजली पैदा करने की क्षमता

9550. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्ष 1970-71 में बिजली की मात्रा में वृद्धी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिये सहायता के रूप में कितनी धन-राशि देने का प्रस्ताव किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान तापीय विद्युत् केन्द्रों का विस्तार करके मध्य प्रदेश में चौथी योजना के दौरान बिजली की मात्रा को बढ़ाने का प्रस्ताव है । बहरहाल, 1970-71 में कोई वृद्धि करने की आशा नहीं है ।

(ग) मध्य प्रदेश को जो केंद्रीय सहायता दी जा रही है, वह बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु किसी स्कीम के लिए पृथक्-रक्षित नहीं है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता

9551. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1964 से आज तक मध्य प्रदेश राज्य को कितनी केंद्रीय सहायता दी गई ;

(ख) कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई हैं और कितनी पूरी हो गई हैं;

(ग) क्या दी गई केंद्रीय सहायता पर्याप्त है; और

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार ने कौन-कौन से प्रस्ताव भेजे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश को 1966-67 से 1968-69 तक पृथक्-रक्षित वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए 12.38 करोड़ रुपये दिये गये । यह राशि इन वर्षों में मध्य प्रदेश को दी गई 141.9 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता का एक हिस्सा है । अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि भी इस 141.9 करोड़ रुपये की राशि का एक हिस्सा है ।

1969-70 से सारी केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और उसे किसी खास परियोजना अथवा विकास शीर्ष के साथ नहीं जोड़ा जाता।

(ख) जबसे पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई है तब से मध्य प्रदेश में 5 वृहत् और 48 मध्यम सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिनमें से 25 मध्यम परियोजनाएं पूरी हो गई हैं ।

(ग) सिंचाई का विषय राज्य सूची में है और राज्य सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था अपनी योजना के परिव्ययों में से करते हैं । मध्य प्रदेश के लिए चौथी योजना का कुल परिव्यय 583 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें से केंद्रीय सहायता 262 करोड़ रुपये की होगी । चौथी योजना में मध्य प्रदेश की बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिये 83 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

(घ) राज्य सरकार ने अपनी चौथी योजना के प्रस्तावों में, पहले से हाथ में ली हुई स्कीमों पर काम को जारी रखने के अलावा हलाली, बारगी, सतियारा, बनसागर, बृहत् परियोजनाओं और कई एक मध्यम परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव किया है । चौथी योजना में राज्य में आरम्भ की जाने वाली नई स्कीमों की सूची को योजना आयोग ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है ।

Financial Assistance for Tawa Projects, M.P., by the World Bank

9552. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank would give financial assistance for the Tawa Project in District Hoshangabad, Madhya Pradesh;

(b) if so, the amount thereof and when it would be given; and

(c) whether it is also a fact that the Study Group of the World Bank are examining the aforesaid project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) to (c) The Tawa Project in Madhya Pradesh is one of the eight Major Irrigation Projects being considered by the World Bank/IDA for possible financial assistance. An Irrigation Reconnaissance Mission of the World Bank/IDA visited the Project site in January, 1969 and found the Project potentially suitable for Bank assistance. The State Government are preparing the Report for this Project for being presented to the Bank. After the Report is sent to the World Bank, the Project would be appraised by an Appraisal Mission of the World Bank.

आयात लाइसेंस प्राप्त फर्मों द्वारा कम राशि के तथा अधिक राशि के बीजक बनाया जाना

9554. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी फर्में जिन्होंने वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में आयात लाइसेंस लिये थे, ने कम राशि के तथा अधिक राशि बीजक बनाये और इस प्रकार निर्यात लक्ष्य पूरे नहीं हो पाये; और

(ख) यदि हां, तो दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) जितनी जानकारी उपलब्ध है, एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अपने उत्पादन के एक भाग का निर्यात करने के लिए फर्मों को आयात लाइसेंस मंजूर करना

†9555. **श्री सीताराम केसरी** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने उत्पाद के एक भाग को निर्यात के लिये निर्धारित करने की विशेष शर्त पर वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में कितनी फर्मों को आयात लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ख) क्या इन सभी फर्मों ने अपने निर्यात लक्ष्यों को पूरा किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Minority Rights Group, London Instigating Minority Community in India

9556. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Minority Rights Group in London (England) is instigating the minority community in India to adopt anti-national and violent measures in order to project their rights;

(b) whether it is a fact that rebel Naga Leader, Phizo is the patron of the said group, which is helping hostile Nagas secretly;

(c) if so, whether Government have sent a protest note to British Government regarding anti-India activities of the said group;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) No such reports have come to our notice.

(c), (d) & (e) Do not arise.

विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना

9557. **श्री वे० कु० दासचौधरी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) योजना अवधि के लिए विमानों के देशीय उत्पादन का एक कार्यक्रम बनाया गया है । इसका भारतीय वायु सेना की आवश्यकताओं के संबंध में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है । अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा ।

मलयेशिया में भारतीयों को अवसरवादी बताया जाना

9558. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "मलयेशिया में धनी भारतियों को अवसरवादी बताया गया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें मलयेशिया के एक मंत्री ने मलयेशिया के धनी भारतियों के विरुद्ध इस आरोप को पुनः दोहराया बताया जाता है कि वे विनियोजन के लिये धन भारत भेज रहे हैं और वे अवसरवादी हैं; और

(ख) यदि हां, तो मलयेशिया में भारतियों के विरुद्ध मलयेशिया सरकार की शंकाओं को दूर करने की दृष्टि से सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में सरकार एक अर्से से मलयेशिया की सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया है कि इस मामले में उनका रवैया निष्पक्ष रहेगा ।

पाकिस्तान द्वारा गंगा-बांध का निर्माण

9559. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार 500 करोड़ रुपये की लागत की गंगा-बांध परियोजना का निर्माण कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हुई प्रगति के संबंध में सरकार की क्या जानकारी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हाल ही में पाकिस्तान के समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित हुए हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने गंगा बराज परियोजना संबंधी डिज़ाइन और अनुसंधान कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(ग) भारत सरकार ने पहले भी ऐसी परियोजना के प्रति विरोध प्रकट किया है और पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वे इस परियोजना को दुबारा तैयार करे।

निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अल्पकालीन नीतियां

9560. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से चौथी योजना के शेष वर्षों में अल्पकालीन नीतियों की ओर ध्यान देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या निर्यात संबंधी नीति का पुनरीक्षण करने का अर्थ चौथी योजना में बनाई गई निर्यात संबंधी समस्त नीति का आमूल परिवर्तन करना होगा और यदि हां, तो किस तरह ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत : (क) निर्यातों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही नीतियों का स्वरूप मोटे तौर पर सदन को समय-समय पर बताया गया है और हमारी निर्यात नीति का अद्यतन विवरण विदेशो व्यापार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस समाप्त करते समय दिये गये उत्तर में दिया गया था । उस विवरण से यह देखा जा सकता है कि मोटे तौर पर, हमारा निर्यात नीतियों का विद्यमान स्वरूप बनाये रखने का विचार है यद्यपि उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने हेतु उन नीतियों में समय-समय पर कतिपय समायोजन निसंदेह आवश्यक होंगे।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग द्वारा भारत के सरकारी क्षेत्र का सर्वेक्षण

9561. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूर-पूर्व के लिये आर्थिक आयोग ने हाल में भारत के सरकारी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया हैं;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अप्रैल, 1970 में बैंकाक में सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?.

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) 14 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1970 तक बैंकाक में हुए आयोग के वार्षिक अधिवेशन के 26वें सत्र में इकाफे द्वारा वर्ष 1969 हेतु आर्थिक सर्वेक्षण परिचालित किया गया जो कि कार्य सूची की मद चार : एशिया की आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श हेतु पृष्ठाधार दस्तावेज के रूप में था । इस सर्वेक्षण के दो भाग हैं । भाग 1 में इन विषयों पर दो विशेष अध्ययन शामिल हैं : (1) कृष्य विकास हेतु नीतियां और (2) विकास योजना के रूप में अतः क्षेत्रीय व्यापार । सर्वेक्षण के भाग 2 में क्षेत्र की और भारत सहित इस क्षेत्र के देशों की सामान्य आर्थिक स्थिति की समीक्षा दी गई है । भारतीय अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त समीक्षा में देश के सरकारी क्षेत्र के योगदान के भी कतिपय उल्लेख किये गये हैं । हाल ही में समाप्त हुए वार्षिक अधिवेशन में आर्थिक सर्वेक्षण पर समग्र रूप से विचार-विमर्ष किया गया है । आयोग ने सर्वेक्षण की उसके गुण, गहराई तथा दूरदर्शिता के लिये प्रशंसा की और इसकी उपलब्धियों और सिफारिशों का सामान्यतया अनुमोदन किया परन्तु उसने यह भी महसूस किया कि क्षेत्र के कुछ देशों में अधिक व्यापक और अधुनातन जानकारी की प्राप्यता से सचिवालय को आर्थिक तथा सामाजिक प्रवृतियों के विषय में बेहत्तर संकलन और विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी ।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में विदेशी व्यापार मंत्री ने कार्य-सूची की इस मद पर अपने वक्तव्य में सर्वेक्षण में दी गई भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा का उल्लेख किया और इस बात पर बल दिया कि देश की अर्थनीति निरंतर दीर्घावधि विकास के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं को संयुक्त करती हुई उन्तरोत्तर सुनिर्धारित दिशा की ओर बढ़ रही है ।

भारत को देशी-विमान निर्माण क्षमता का विस्तार

9562. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रतिरक्षा तथा असैनिक उड्डयन सम्बन्धी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देशी-विमान निर्माण क्षमता का विस्तार करने तथा इसके विविधीकरण के उपायों पर हाल में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णयों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) एरोनाटिक्स कमेटी की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का एक उच्चस्तरीय मीटिंग में पुनरीक्षण किया गया था । मन्त्रिमण्डल की रक्षा कमेटी द्वारा सिफारिशों पर विचार होने तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

पटसन की वस्तुओं को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिये किये गये उपाय

9563. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन की भारतीय वस्तुओं को जापान तथा इथोपिया जैसे अन्य देशों में लोकप्रिय बनाने के लिये भारत ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जापान तथा इथोपिया को हेशियन, बोरों आदि जैसे परम्परागत पटसन के माल के हमारे वार्षिक निर्यात बहुत कम हैं जिसका कारण यह है कि उन देशों में अपना ही उत्पादन होता है । केवल कालीन अस्तर वस्त्र के जापान को होने वाले निर्यातों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है । एक्सपो '70 में स्थित भारत मंडप में किये गये मिले जुले प्रदर्शनों में सजावटी पटसन वस्त्रों को भी प्रदर्शित किया गया है ।

गेर-सरकारी विद्युत् उत्दपान पूर्ति कम्पनियां

9564. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत् का उत्पादन करने वाली तथा/अथवा पूर्ति करने वाली कुल कितनी गैर-सरकारी कम्पनियां हैं;

(ख) क्या सरकार राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा इन कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लाये जाने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1969 में, गैर-सरकारी उपक्रमों की संख्या 156 थी।

(ख) और (ग) बिजली (सप्लाई) अधिनियम, 1948 की स्कीम में इस बात का उल्लेख है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम दक्षता हासिल करने के लिए बिजली सप्लाई उद्योग में सरकारी और गैर-सरकारी सेक्टर में परस्पर समन्वय होना चाहिए । भारतीय बिजली अधिनियम में यह भी दिया हुआ है कि चूक होने की हालत में लाइसेंस का प्रतिसंहरण अथवा संशोधन किया जा सकता है और लाइसेंस की तिथि समाप्त होने पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उपक्रम खरीदा जा सकता है ।

लापता रूसी कर्मचारी का पता लगाना

9465. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी दूतावास के सूचना विभाग के गुमशुदा रूसी कर्मचारी का पता लगा लिया गया है;

(ख) क्या अन्य देश के दूतावासों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में सहायता करें; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के कर्मचारी, श्री वाई० ए० बेजमेनोव का अभी तक पता नहीं चला है ।

(ख) और (ग) जांच पड़ताल करना मुख्य रूप से भारत सरकार का ही काम हैं । दिल्ली-स्थित विदेशी राजदूतावासों की सहायता लेना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

हथकरघों के लिये कुछ मदों का आरक्षण

9566. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी मंडियों में कपड़ा मिलों से कड़ी प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने कुछ मदों को एकमात्र हथकरघों के लिये आरक्षित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हज यात्री तथा उनको सुख-सुविधाएं देने वाली एजेंसियां

9567. **श्री न० कु० सौंधी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मुसलमानों की संख्या तथा हज करने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उस उच्चतम सीमा को बढ़ाने का है, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी सरकारी एजेंसियां हैं जो केवल हज यात्रियों की सुख-सुविधाओं का ही ध्यान रखती हैं और गत तीन वर्षों में सरकार ने इन एजेंसियों पर कितना औसत व्यय किया ; और

(ग) क्या हज यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कोई गैर-सरकारी भारतीय एजेंसियां भी हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेशी मुद्रा की निरन्तर कठिनाई रहने के कारण, सरकार इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखती कि हज तीर्थयात्रियों के कोटे में वृद्धि की जाए ।

(ख) किसी भी सरकारी अभिकरण पर, हज तीर्थयात्रियों के कल्याण का एकान्तिक रूप से भार नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय और जेद्दा स्थित भारत का राजदूतावास, तीर्थयात्रियों को हर सम्भव सहायता और निर्देशन देते हैं ।

(ग) अगर सरकार का किस अभिकरण के साथ सम्बन्ध है तो वह है बम्बई स्थित हज समिति ।

विदेशी व्यापार मंत्रालय की प्रशासन शाखाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

9568. **श्री आत्म दास :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय, इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों की प्रशासन शाखाओं में अनुसूचित जातियों के कितने अधिकारी हैं ; और

(ख) उपरिलिखित कार्यालयों में प्रशासन शाखाओं में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Amount earmarked for construction of Kathmandu-Trishuli road

†9569. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kathmandu-Trishuli Road is under construction since 1968 and the amount mentioned in the Demands for Grants of the Ministry of Irrigation and Power for the year 1970-71 is more than what it was during the previous years; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the construction of the said road would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The Kathmandu-Trishuli Road was taken over by the Government of India from HMG Nepal in 1963. Thereafter the road has been improved and is being maintained partly by Indian Cooperation Mission (from Mile 0 to 16) and partly by

Central Water and Power Commission (from Mile 16 to 46). The budget provision made during the past two years, the expenditure incurred and the budget provision made during the current year for the maintenance of the road from mile 16 to 46 are as follows:—

Year	Budget Provision (Rs. in lakhs)	Expenditure incurred
1968-69	3.04	3.07
1969-70	2.00	2.93
1970-71	2.99	

It is proposed to hand over the road to HMG Nepal in good condition by February 1971.

Electrification of Villages in various States

*9570. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in the various States, particularly in West Bengal which are likely to be electrified by the Rural Electrification Corporation Limited during 1970-71; and

(b) the details of such villages in each state ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : The Rural Electrification Corporation has sanctioned funds to State Electricity Boards for implementation of rural electrification schemes with a bias towards energisation of pump sets. In addition to 12 projects sanctioned by the Corporation in February-March, 1970, 19 projects have been sanctioned in April, 1970. Further schemes will be sanctioned by the Corporation in 1970-71. The details of villages to be electrified, Statewise, according to projects so far sanctioned by the Corporation are given below :

Name of State Electricity Board	No. of villages
Andhra Pradesh	182
Assam	158
Bihar	207
Gujarat	63
Haryana	89
Kerala	20
Madhya Pradesh	100
Maharashtra	285
Mysore	52
Orissa	262
Punjab	83
Rajasthan	79
Tamil Nadu	108
U.P.	215
West Bengal	552
TOTAL	2,455

Amount allocated for Flood Control

*9571. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fund of Rs. 86,84,000 has been allocated for flood control in the demands for grants pertaining to his Ministry for the year 1970-71; and

(b) if so, whether the demands of the various States could be met with the said fund ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : A provision of Rs. 46,84,000 has been made under Flood Control in the Demands for Grants of Ministry of Irrigation and Power for 1970-71 for certain schemes which are to be operated by the Central Government. These include setting up of flood forecasting Centres in different States, installation of rain gauges in Himalayan Catchment and investigation for Barak Project. In addition a provision of Rs. 1,72,50,000 has also been made for the purchase of dredgers for the Brahmaputra River.

Flood Control Schemes are to be formulated and executed by the State Governments as part of the State Plan. Beginning from the year 1969-70, Central assistance to States for plan schemes is being given in the form of block loans and grants in accordance with certain criteria laid down by the National Development Council without being tied to any scheme or individual head of development and State Governments are free to allocate such sums as are necessary for flood control schemes depending upon their relative urgency. As such no provision has been made in the Demands for Grants of this Ministry for 1970-71 for giving assistance for flood control schemes in various States.

असैनिक पेंशन भोगियों के पेंशन सम्बन्धी दावों का निबटारा

9572. श्री विश्वम्भरन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन असैनिक पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है जिनके पेंशन सम्बन्धी कागजात उनके मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में गत तीन वर्षों से विचाराधीन हैं ; और

(ख) पेंशन सम्बन्धी इन दावों को शीघ्र निबटाने के लिये उनके मंत्रालय ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) के रिकार्ड के अनुसार 30 मामले कि जिनके बारे में पेंशन के कागज़ उन द्वारा भेजे गये थे 1-4-1970 को 3 वर्षों या उससे अधिक से निलम्बित हैं ।

(ख) उन्हें शीघ्रता से अन्तिम रूप रेखा देने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं । यह उपाय प्रत्येक अकेले-अकेले मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं ।

Manufacture of Radars and Microwave Equipment

9573. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a new factory for manufacturing radars and micro-wave equipment so as to guard against air-attacks on the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided to set up a second unit of Bharat Electronics Limited for the manufacture of Micro-wave and Radar equipment at Ghaziabad at an estimated capital cost of Rs. 11.50 crores, excluding township. The unit is expected to be set up during the Fourth Five Year Plan period.

Air Violations by Pakistan Aircraft during 1970

9574. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of air violations committed by Pakistani aircraft together with the areas intruded by them and the extent to which they came inside the Indian Territory during the current year upto 30th April, 1970; and

(b) the details of the action taken by Government of India in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Ten; eight in the Western and two in the Eastern Sector. The extent of penetration into Indian territory was from 150 yards to 22 Nautical Miles.

(b) Protests were lodged with the Government of Pakistan in all the cases. Indian Air Force planes were scrambled on three occasion to check air intrusions by Pakistani aircraft.

चाय बोर्ड में सुधार

9575. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् (तीसरी लोक सभा) की प्राक्कलन समिति ने अपने 46वें प्रतिवेदन में चाय बोर्ड को समन्वित और प्रभावी बनाने के लिये उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो प्रत्येक उसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार के रुख का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) चाय अधिनियम, 1953 में व्यापक संशोधन करने के लिये उसकी जांच की जा रही है । चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम करने के सुझाव का अधिनियम के संशोधन के समय ध्यान रखा जाएगा ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में वैदेशिक कार्य सचिवों को बदलना

9576. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री नेहरू के निधन के पश्चात् गत छः वर्षों में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के वैदेशिक कार्य सचिवों को कई बार बदला गया है ;

(ख) क्या एक ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के उच्च स्तर के अधिकारियों को बार बार बदलना निर्देशन की निरन्तरता और नीति के स्थायित्व की दृष्टि से अच्छा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इनको किन कारणों से बदलना पड़ा और इन तबादलों से क्या लाभ हुए ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, छः वर्षों में विदेश सचिव के पद के कार्यभार में केवल तीन बार परिवर्तन हुए हैं ।

(ख) और (ग): निवृत्ति या पुनर्नियोजन की अनिवार्यता से, कर्मक-वर्ग में परिवर्तन होना, किसी भी सरकारी संगठन की सामान्य बात है। इस प्रकार के परिवर्तन इस रूप में किए जाते हैं कि नीति निर्धारण सम्बन्धी सहायता देने के मामले में उच्चस्तर पर निरन्तरता खण्डित न हो वैदेशिक कार्य सचिव सामान्यतः ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्होंने विदेशों में प्रमुख भारतीय मिशनों के अध्यक्षों अथवा मुख्यालयों के सचिवों के रूप में कार्य किया होता है। यह तथ्य इस बात को सुनिश्चित करता है कि निरन्तरता कायम रखी जाती है। वैदेशिक कार्य-मंत्री के निर्देशन में वैदेशिक नीति का निर्माण तथा उसका पुनर्निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

आयुध कारखानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिये आरक्षण

9577. श्री नरदेव स्नातक :

श्री राम चरण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय के आयुध डिपुओं में कर्मचारियों की उच्च श्रेणी क्लर्कों के पदों से हैड क्लर्कों के पदों पर जब पदोन्नति की जाती हैं, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद आरक्षित किये जाते हैं ;

(ख) क्या जब निम्न श्रेणी के क्लर्कों के पदों से उच्च श्रेणी क्लर्कों के पदों पर पदोन्नतियां दी जाती हैं, तब भी अनुसूचित जातियों तथा अनु-सूचित आदिमजातियों के लिए वैसा ही आरक्षण किया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आर्मी आर्डनेंस कोर के अन्तर्गत आर्डनेंस डिपुओं में "मुख्य क्लर्क" का स्थान एक चयन स्थान है, समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निर्देशनों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित वर्गों के लिए रिक्त स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं ;

(ख) भर्ती के नियमों में योग्यता की शर्त सहित, वरिष्ठता के आधार पर अपर डिवीज़न क्लर्कों के 70 प्रतिशत रिक्त स्थान पुर करने का उपबन्ध है और इस कोटा के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित वर्गों के लिए कोई सुरक्षण नहीं है। शेष 25 रिक्त स्थान अर्ह एल०डी०सीज़० में से सीमित मुकाबले की परीक्षा द्वारा पुर किए जाने होते हैं ; और ऐसी परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित सुरक्षण लागू होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कम्बोडिया में वियतनामियों का नर संहार रोकने के लिये हनोई द्वारा भारत को सहायता देने का अनुरोध

9578. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया की "जनता" द्वारा कम्बोडिया में निहत्थे वियतनामियों को बड़े पैमाने पर नरसंसार रोकने के लिये हनोई ने भारत से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) हनोई द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग): वियतनाम लोक गणराज्य सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया था, जिसमें जनसंहार की निन्दा की गई थी। इस वक्तव्य की प्रति उनके प्रधान कौंसल ने भारत सरकार को दी और उन्होंने इस जनसंहार की निन्दा करने के लिए हमसे अनुरोध किया।

(ख) जीवन की अकारण क्षति पर, सरकार ने पहले ही इस सदन में अपनी गहरी चिन्ता और दुःख व्यक्त किया है। हमने मानवोचित आधार पर कम्बोडियाई प्राधिकारियों को, अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है।

स्थल, सेना, नौसेना तथा वायु सेना के वर्कशाप कर्मचारियों, ग्रुप एक के असैनिक तकनीशियनों के लिए दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वेतनमान

9579. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग द्वारा स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के वर्कशाप कर्मचारियों, ग्रुप एक के असैनिक तकनीशिनों के लिए की गई सिफारिश के अनुसार वेतन क्रम वायु सेना के कर्मचारियो को 1 जुलाई, 1966 से दिये गये थे जबकि स्थल सेना तथा नौसेना के तकनीशियनों को लाभ एक जुलाई, 1959 से दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख): द्वितीय वेतन आयोग के आधार पर स्वीकृत वायुसेना में ग्रुप एक असैनिक तकनीशियनों के वेतनमान जैसे कि सेना और नौसेना में ऐसे तकनीशियनों की हालत में 1-7-1959 से लागू किए गए थे। तदपि, तदनु वायुसेना के ग्रुप एक असैनिक तकनीशियनों के कौशलों, उत्तरदायित्वों इत्यादि के अधिक निरीक्षण पर जुलाई 1966 में इस ग्रुप में कुछ एक व्यवसायों के सम्बन्ध में 1-7-1966 से वेतन मान बढ़ाने का फैसला किया गया था। जुलाई 1966 से सरकार का यह निर्णय वायुसेना में असैनिक ग्रुप एक तकनीशियनों के मामले के पुनर्निरीक्षण पर आधारित कुछ व्यवसायों के सम्बन्ध में एक नया निर्णय था। इसलिए उसे स्वीकृति की तिथि 1-7-1966 से लागू किया गया था।

वायुसेना के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

9580. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना के कर्मचारियों के वेतन को भूतलक्षी तिथि 1-7-1959 से निर्धारित करने के प्रश्न को प्रतिरक्षा मंत्रालय की विभागीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार व्यवस्था) में उठाया गया था परन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया था हालांकि चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया गया था कि वायु सेना के कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है;

(ख) क्या इस मामले में कर्मचारी पक्ष ने मध्यस्थता की मांग की थी परन्तु विभाग ने संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में संयुक्त हितों के सिद्धान्तों के विरुद्ध मध्यस्थता को स्वीकार करने से मनमाने ढंग से इंकार कर दिया ; और

(ग) सरकार वायु सेना के कर्मचारियों के साथ उनके वेतन के निर्धारण, जो 1-7-1959 की वजाय 1-7-1966 से किया गया है, के मामले में हुए अन्याय को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। वायु सेना के कुछ एक श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात् असैनिक तकनीशियन वर्ग I के वेतन को भूतलक्षी तिथि 1-7-1959 से निर्धारित करने के प्रश्न को प्रतिरक्षा मंत्रालय की विभागीय परिषद् (संयुक्त सलाहकार व्यवस्था) में उठाया गया था।

(ख) पूरी खोज-बीन के वाद इस मामले में कर्मचारी पक्ष की मध्यस्थता की मांग स्वीकार नहीं की गई थी क्योंकि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के सम्बन्ध उपबन्ध के अन्तर्गत इस मामले की मध्यस्थता नहीं की जा सकती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में, इस सभा में आज उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न नं० 9579 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

Officers and Employees arrested for divulging Official Secrets

9581. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees, in his Ministry, arrested during the last three years on the charge of divulging official secrets;

(b) the number of those against whom departmental inquiry was instituted;

(c) the number of those removed from service and those who were prosecuted during the above period, respectively; and

(d) the number of those convicted, acquitted by Court and of those against whom cases are pending ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) 18 officers and employees were arrested on charge of divulging official secrets during the last three years.

(b) Departmental/police enquiries were started against all the 18 persons.

(c) Three persons were prosecuted and convicted. As a result they were removed from service.

(d) As mentioned in reply to part (c) three were convicted. The cases of fifteen are still under investigation.

ए० एम० आई० ई० परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आयुध कारखानों के अराजपत्रित अधिकारियों को वार्षिक वृद्धियां न देना

9582. डा० प० मंडल :

डा० सुशीला नैयर :

क्या **रक्षा** मंत्री 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2472 तथा 13 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०एम०आई०ई० परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आयुद्ध कारखानों में कार्य कर रहे अराजपत्रित अधिकारियों को अभी तक 3 वार्षिक वृद्धियां नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बकाया राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा और उनको हुई दरों से वेतन का नियमित रूप से भुगतान करना कब से आरम्भ किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) :सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

सुपरवाइज़र 'ए' ग्रेड की चार्जमेन के रूप में पदोन्नति

9583. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

डा० सुशीला नैयर :

क्या **रक्षा** मंत्री सुपरवाइजर 'ए' ग्रेड को चार्जमैन के रूप में पदोन्नति के बारे में 6 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और यह सूचना कब तक एकत्रित कर ली जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख): जी हां : सभा के पटल पर रखे जाने के लिये 31 मार्च 1970 को संसदीय कार्य विभाग को अब तक अतारांकित प्रश्न संख्या 2485 के उत्तर में आवश्यक सूचना पर सम्मिलित एक वचन पूर्ति विवरण भेज दिया गया है।

विवरण की एक प्रति संलग्न है। **(ग्रंथालय में रखा गया** टीरीबार **संख्या एल० टी०** 3493/70)

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

केरल में यूरेनियम का पाया जाना

9584. श्री मंगलाथुमाडम : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का खनिज डिवीजन नीनदाकारा-कायानुकुलम और कन्नीमेल सेरा-नीनदाकारा समुद्र तट में अलग-अलग तथा भारी खनिज निक्षेपों का दूसरी बार अनुमान लगा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) केरल के उन समुद्रतटीय क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पाये गए यूरेनियम को उपयोग में लाया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी): (क) जी, हां।

(ख) आशा की जाती है कि अनुमान लगाने का कार्य सन् 1972 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ग) केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र में यूरेनियम नहीं पाया गया है, लेकिन केरल में समुद्र तट पर पाई जाने वाली भारी खनिजों से युक्त रेत में विद्यमान मोनाजाइट में यूरेयिनयम की थोड़ी मात्रा मौजूद है ।

"योजना" का प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन

9585. श्री मंगलाथुमाडम : प्रधान क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "योजना" पत्रिका तमिल और अन्य भाषाओं में प्रकाशित हो रही है ;

(ख) क्या "योजना" का मलयालयम संस्करण कब तक प्रकाशित किया जायेगा ; और

(ग) अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साथ-साथ मलयालम में इसे प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। "योजना" अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, तमिल और असमिया में प्रकाशित हो रही है ।

(ख) "योजना" के मलयालम संस्करण को 1970-71 में सरकार द्वारा प्रकाशित करने का इरादा है ।

(ग) माननीय सदस्य सराहेंगे कि वित्तीय प्रावधान, सम्पादकीय भर्ती और कर्मचारी वर्ग, रीडरशिप रिसर्च आदि विभिन्न कारणों से सभी भाषाओं के संस्करण एक साथ प्रकाशित करना संभव नहीं है।

विध्वन्सक कार्यबाहियों के लिए सैनिक अधिकारियों की गिरफ्तारी

9586. श्री न० रा० देवधरे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 में 31 मार्च, 1970 तक विधसंक कार्यवाहियों के लिये कोई सैनिक अधिकारी गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ह ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख) : अपनी सुरक्षा के हितों के विरुद्ध सूचना देने के लिये जे०सी०ओ० दो अनायुक्त अफसर और तीन अवर श्रेणी 1969 वर्ष के दौरान और 31 मार्च 1970 तक पकड़े गये थे ।

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

*9587. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government has made a request to the Central Government to provide grants for making unirrigated land cultivable in the State under the Irrigation Scheme;

(b) if so, the number of rivers on which survey work will be done under this Scheme; and

(c) the amount of grants and loans demanded and the action as proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c): The Central assistance to State Governments is in the form of block loans and grants and is not related to any individual schemes or heads of development. 30% of the Central assistance is in the form of grants and 70% in the form of loans.

No request has been received by the Planning Commission from the Government of Madhya Pradesh for grants for the construction of projects for making unirrigated lands cultivable.

In the context of creating employment opportunities for unemployed engineers, the State Governments were requested to accelerate the investigation programme and a special non-Plan assistance of Rs. 17 lakhs was offered to the Government of Madhya Pradesh for utilisation beyond what was already provided in the State Budget for investigations. The Government of Madhya Pradesh made a request that such assistance be given as a grant. This was examined in consultation with the Ministry of Finance and not found possible and the Government of Madhya Pradesh were informed accordingly.

The Government of Madhya Pradesh have reported that no expenditure would be incurred on this special programme in 1969-70, but that they would avail of the special assistance during 1970-71.

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एक कारखाने के फालतू कर्मचारियों की सेवाओं का अन्य सह कारखानों की सेवाओं का लाभ न उठाने देना

9588. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विभिन्न कारखाने अपने फालतू कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के अन्य कारखानों को लाभ नहीं उठाने देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों तथा तकनीशियनों की एक कारखाने से दूसरे कारखाने में अदला-बदली करने की कोई प्रक्रिया बनाई गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । अपने कर्मचारियों के अन्तर्डिवीजन तबादलों के लिए कम्पनी के नियम उपबन्ध करते हैं । फालतू श्रम की पुनर्नियुक्ति की सुविधा के लिए एक विशेष प्रक्रिया भी बनाई गई है ।

कोरापुट (उड़ीसा में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के विमान इंजिन कारखानो की स्थापना

9589. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के विमान, इंजिन कारखानों को कोरापुट (उड़ीसा) में स्थापित करने के क्या कारण हैं जबकि पुर्जे को जोड़ने का संयंत्र हैदराबाद में तथा पुर्जों का संयंत्र नासिक में लगा हुआ है ;

(ख) क्या सामरिक महत्व की बातों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक तथा भौगोलिक बातों को महत्व नहीं दिया गया था ;

(ग) क्या दूर-दूर स्थित इन तीन कारखानों का क्रियाकलापों का समन्वय करने में अब कोई कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कैसे दूर किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षामंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) इंजन फैक्टरी को कोरापुट में स्थापित करने के मुख्य कारण थे, भविष्य प्रसार के लिए एक बड़े क्षेत्र की प्राप्यता, नए क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता, और सामरिक महत्व । दूसरे देशों में भी यह कोई असाधारण बात नहीं कि वैमानिक ढांचों, इंजनों और एलेक्ट्रानिक फैक्टरिएं भिन्न स्थानों पर हों ।

(ख) सभी संबंधित तथ्यों पर विचार किया गया था ।

(ग) तथा (घ): मुख्य कठिनाई भिन्न डिवीज़नों के बीच संचार सुविधाओं की है, परन्तु उनका सुधार किया जा रहा है ।

हथकरघा उद्योग के लिए अत्यावश्यक रंग सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि

9590. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रंग-सामग्री ए० एस० जी० (ए० टी०) का एक थान जो इसके आयात पर प्रतिबन्ध से पहले 1965 में 25.00 रुपये की दर पर बिकता था अब बाजार में 230.00 रुपये के अत्यधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त रंग-सामग्री को अन्य रंग-सामग्रियों के साथ मिलाये बिना हथकरघा उद्योग के लिये अत्यावश्यक विभिन्न रंगों को बनाया नहीं जा सकता ; और

(ग) यदि हां, तो यदि सम्भव हो तो हथकरघा उद्योग के लिए इस अत्यावश्यक रंग-सामग्री को देश में ही बना कर अथवा इसका सीधे आयात करने की अनुमति देकर इसे उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) माननीय सदस्य शायद रंग सामग्री नेपथोल ए० एस० जी० का उल्लेख कर रहे हैं । यदि ऐसा है तो सूचना प्राप्त हुई है कि इसकी कीमत में असामान्य वृद्धि हुई है ।

(ख) नेपथोल और बी०ए०टी० वर्गों में अन्य रंग सामग्रियां हैं जिनका प्रयोग उन वैयक्तिक वस्तुओं के प्रतिस्थापन्न सामग्री के रूप में किया जा सकता है जिनकी सप्लाई कम हो ।

(ग) 1970-71 में आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत नैपथोल ए०एस०जी० आयात के लिये सीमिति आधार पर शामिल की गई है ।

कच्चे माल तथा सूत की पूर्ति

9591. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों को कच्चा माल तथा सूत स्पिंडल अंश दरों से मिलता है जबकि हथकरघा उद्योग को यह सुविधा नहीं दी जाती है और इसे उन्हीं वस्तुओं के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) तथा (ख)। कताई-बुनाई की मिली-जुली मिलों को तो सूत अपने कताई अनुभागों से स्पिंडल अंश दरों से मिलता है पर हथकरघा उद्योग को सूत प्रचलित बाजार दरों पर खरीदना पड़ता है । यह अनुमान लगाया गया है कि हथकरघा उद्योग को कताई-बुनाई की मिली-जुली मिलों की तुलना में 11 से 18 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है । इस अन्तर को पूरा करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) गुंडी के रूप में 51 एस काउंट तक के सूत पर, जिसमें 51 एस काउंट का सूत उत्पादन भी शामिल है, उत्पादन-शुल्क नहीं लगाया जाता है और अधिक काउंट वाले गुंडी के रूप वाले सूत पर उत्पादन-शुल्क अन्य प्रकार के सूत पर लगे उत्पादन-शुल्क से कम है ।

(2) वर्ष भर हथकरघा कपड़े की फुटकर बिक्री पर एक रुपये में पांच पैसे की रियायत दी जाती है । एक वर्ष में 15 दिन के लिये एक रुपये में पांच पैसे की विशेष अतिरिक्त छूट भी दी जाती है ।

निकल का आयात

9592. **श्री वैणी शंकर शर्मा :** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के निकल का उत्पादन हुआ और विदेशों से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के निकल का आयात किया गया;

(ख) भारत को मुख्य रूप से निकल सप्लाई करने वाले देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) विभिन्न देशों से इसको प्रति टन कितनी दर पर खरीदा गया और क्या विभिन्न देशों की दरों में कोई अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) भारत में निकल का उत्पादन नहीं होता। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में (दिसम्बर '69 तक जिस के अधुनातन आंकड़े उपलब्ध हैं) निकल तथा मिश्र निकल के आयातों के ब्यौरे दिये गये हैं। **(ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 3494/70)**

(ख) कनाडा ।

(ग) आयातित निकल की प्रति टन लागत बीमा भाड़ा दरें संलग्न विवरण में (अंग्रेजी में) दी गई हैं। हर देश की दरें अलग-अलग हैं ।

(घ) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में भिन्नता का कारण प्रत्येक देश के भाड़े, मांग और पूर्ति की मौजूदा स्थिति है ।

Irrigation Facilities to the Farmers of Eastern Uttar Pradesh

*9593. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reasons for the backwardness of the Eastern Districts of U.P. are that the farmers there are poor and have small pieces of land and there are no irrigation facilities available to them;

(b) if so, whether Government propose to take some suitable measures in this regard; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Uttar Pradesh has reported that there are various factors for the backwardness of the Eastern districts of which smallness of holdings of farmers and lack of adequate irrigation facilities are also important factors.

(b) & (c). The State Government has within its limited financial resources, made efforts to provide as much irrigation facilities as possible to the Eastern Region through State Irrigation works and roughly irrigation potential upto 17.5% of the c.c.a has already been created during the Plan periods upto 1968-69. Further, the State Government are giving priority to the Eastern region of the State as regards construction of new State Irrigation Works. They have reported that the following irrigation schemes of the Fourth Five-Year Plan will benefit the Eastern region :

1. Sarda Sahayak Pariyojana.
2. Dalmau Pumped Canal Stage-I.
3. Bhupali Pumped Canal.
4. Zamania Pumped Canal.
5. Tons Pumped Canal.
6. Increasing capacity of Dhorighat Pumped Canal.
7. Narainpur Pumped Canal.

State Tubewells and Minor Lift Irrigation Schemes are also proposed to be constructed in Eastern region on priority basis depending upon the availability of resources.

Several other schemes for benefiting Eastern region such as Kishanpur, Ren, Bhitaura, Shringhberpur Pumped Canal, Adwa Dam, Belan Bhakar Diversion Scheme, Sirsi-Baraunda feeder and some bundhies in. district Mirzapur are also under consideration of the State Government.

Martin Burn Electric Company in U.P.

*9594. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that there is an Electricity Company in Uttar Pradesh under the name of Martin Burn;

(b) if so, the functions of the said company and the area covered by it;

(c) whether Government are also aware of the time for which one has to wait to get electricity connection from the said company after depositing the required fee; and

(d) whether there is any Government control on power-supply by the said company and if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Martin Burn Ltd. are Secretaries and Treasurers of three electricity supply undertakings in Uttar Pradesh.

(b) The above undertakings are licencees under the Indian Electricity Act, 1910, for the supply of electricity within their areas of supply. The areas covered by these licencees are at Varanasi, Agra and Bareilly.

(c) Under clause VI of the Schedule to the Indian Electricity Act, the licences is required to comply with the requisition of a consumer for supply of energy within one month or within such longer period as the Electrical Inspector may allow in areas covered by the licences where distributing mains have been laid.

(d) There is no participation by the State Government in the capital of the above licencees.

Supply of Electricity on higher rates in Mirzapur, U.P.

*9595. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that power is being supplied @ 40—45 paise per unit in Mirzapur city whereas the company which supplies power in Mirzapur purchases it @ 3-4 paise per unit from Rihand Dam;

(b) if so, whether Government are in favour of eliminating middleman with a view to supplying power to public at cheaper rates; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Mirzapur Electric Supply Company receives bulk supply of power from the U.P. State Electricity Board at the grid tariff comprising fixed charges and running charges. The average rate of power supply from U.P. State Electricity Board to this Company during the year 1968-69 was 12.12 paise per unit. The highest retail tariff charged by the Company is in respect of lights and fans and is on par with the retail tariff of the U.P. State Electricity Board for the same category of supply *viz.*, 35 paise per unit after allowing for rebate. The charges of the Company to the consumers are regulated by the Sixth Schedule of the Electricity (Supply) Act, 1948, which allows the Company to adjust its charges for the sale of electricity to cover its expenditure on transformation, distribution and sale of energy and a reasonable return on investment.

सुनाबेदा, कोरापुट, स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में इंजीनियरों और तकनीशियनों का इन्टर्व्यू के लिए चुनाव

9593. **श्री स० कुन्दू** : क्या **रक्षा** मंत्री 22 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7102 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनाबेदा, कोरापुट, स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एकक के लिए जनवरी, 1970 में इन्टर्व्यू के लिए उड़ीसा राज्य से कितने इंजीनियरों के और तकनीशयनों को बुलाया गया था और उसमें से कितने आए थे तथा चयन के मामले पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त इन्टर्व्यू में किन-किन पदों पर नियुक्तियां करनी थीं और प्रत्येक के लिए क्या अपेक्षित अर्हताएं थीं;

(ग) क्या अधिकारियों का यह कहना कि उड़ीसा में अर्हता प्राप्त इंजीनियर उपलब्ध नहीं हैं और वे राज्य से बाहर के ऐसे इंजीनियरों और तकनीशयनों को खपाने की योजना बना रह रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण अथवा अधिस्थापन पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ताकि वे सम्बन्धित पद के लिए योग्यता प्राप्त कर सकें जैसाकि कतिपय सरकारी उपक्रमों में तकनीशियन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत किया जाता है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ)। खुले चुनाव के लिए इंजीनियरों और तकनीशियनों के 19 स्थान अधिसूचित किए गए थे । उड़ीसा से 18 उम्मीदवार इन्टर्व्यू के लिए बुलाए गए थे, और 16 ने वास्तव में रिपोर्ट की थी। इन स्थानों के विस्तार और प्रत्येक स्थान के लिये निर्धारित योग्यताएं इस विवरण के अनुबन्ध में दी गई हैं ।

2 इन स्थानों में से एक के लिए उड़ीसा का एक इंजीनियर चुना गया है, और दूसरे एक स्थान पर अकेला ही केवल रिपोर्ट करने वाला उम्मीदवार अनुपयुक्त पाया गया था । जहां तक अन्य स्थानों का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि वह पदोन्नति द्वारा पुर किए जाने की संभावना की गवेषणा के बाद खुले चयन के लिए अधिसूचित किए गए थे । तदपि उम्मीदवारों का इन्टर्व्यू हो जाने के पश्चात् एच०ए०एल० में उजरतों का संशोधित ढांचा पुरःस्थापित किया गया था, और स्थानों के ब्यौरों में परिवर्तन कर दिया गया था । फलतः पदोन्नति द्वारा इन स्थानों को पुर करने की संभावना का पुनः निरीक्षण करना आवश्यक हो गया । ऐसा किया जा रहा है ।

3. एच०ए०एल० में पहले से ही एक प्रबन्ध प्रशिक्षण योजना विद्यमान है । अनर्ह इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए और उन्हें खपाने के लिए कोई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दामोदर नदी घाटी निगम के अधिकारियों द्वारा झूठे दावों के आधार पर यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता लेना

9597. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर नदी घाटी के प्रथम श्रेणी के कुछ अधिकारियों ने झूठमूठ तरीके से हाल में यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता लिया है;

(ख) क्या 21 अप्रैल 1970 के आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) कलकत्ता के आनन्द बाजार पत्रिका के 21 अप्रैल, 1970 के अंक में यह आरोप था कि दामोदर घाटी निगम के वित्त तथा लेखा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मैथोन में अपने संघ की बैठक में जाने के लिए यात्रा तथा भोजन भत्ते का दावा सही नहीं था था। शिकायत के बारे में दामोदर घाटी निगम ने जांच की है, यह पाया गाया है कि मैथोन में एक सरकारी बैठक के लिए, जो वार्षिक लेखे को बन्द करने, अन्तरशाखा लेन-देन समायोजनों, इत्यादि को अन्तिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी, स्वीकार्य यात्रा तथा भोजन भत्ते को अनुमति दी गई थी ।

रबड़ के मूल्य निर्धारित करना

9598. **श्री ई० के० नायनार :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबड़ की कीमतें नियत करने के बारे में टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करेगी;

(ख) क्या सरकार को रबड़ की कीमतें नियत करने के बारे में केरल राज्य से कोई ज्ञापन मिला है; **और**

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) टैरिफ आयोग की सिफारिशें जो उन्होंने अपने प्रति वेदन में की हैं कि कच्चे रबड़ की कीमतें कम करके उसमें सुधार किया जाये, ये सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) और (ग) । जी नहीं; लेकिन लघु उत्पादक संघ, एर्नाकुलम और भारत रबड़ उत्पादक संघ, केरल से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

नारियल जटा पर निर्यात शुल्क हटाना

9599. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार का विचार नारियल जटा पर निर्यात शुल्क समाप्त करने का था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) । नारियल जटा के तैयार उत्पादों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप तथा इकाई मूल्य को सुरक्षित रखने के लिये नारियल जटा के रेशे तथा धागे पर निर्यात शुल्क लगाया गया था । निर्यात शुल्क के हटाये जाने या कम करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

दक्षिण कोरिया को माल-डिब्बों की सप्लाई

9600. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में दक्षिण कोरिया को रेलवे माल-डिब्बों की सप्लाई की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Joint Air Exercises by Pakistani and Irani Air Force

9601. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently Pakistani and Iranian Air Force have conducted joint air exercises near Sargodha in West Pakistan;

(b) if so, the type of exercises conducted and other details thereof; and

(c) the reaction of Government of India thereto.

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Yes, Sir. The Pakistan Air Force and the Irani Air Force took part in a joint exercise in Pakistan recently. As the House is aware, the Pakistan Air Force is equipped with aircraft supplied by U.S.A., China and France. According to available information, these aircraft took part in the exercise.

(c) Such activities are taken due note of in our plans.

मानव बालों के निर्यात में कमी

9602. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका, हांगकांग, पश्चिमी जर्मनी तथा फ्रांसीसी मंडियों को निर्यात किये जाने वाले मानव बालों की मांग में कमी हुई है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मानव बालों के निर्यातकों को मानव बालों के मूल्यों में कोई राजसहायता दी जायेगी ताकि पाकिस्तान से स्पर्धा के मुकाबले में निर्यात की मात्रा बनाई रखी जा सके ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी हां ।

(ख) प्राकृतिक बालों की मांग मुख्यत: संश्लिष्ट बालों के बाजार में आने के कारण घट गई है । भारत को अन्य पूर्तिकर्त्ता देशों से भी कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है ।

(ग) जी नहीं ।

तमिलनाडू द्वारा कुण्डापन-बिजली भंडार के जल का उपयोग

9603. **श्री क० रमानी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु, सरकार से कोयम्बत्तूर जिले के उत्तरी भागों में सिंचाई के लिये कुण्डापन-बिजली भण्डार से टेल्स-रेस जल का उपयोग करने के लिये अन्तिम योजना प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस योजना की जाँच पूरी करने तथा इस को अन्तिम रूप देने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रदस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि अवनाशी तालुक में भूमि की सिंचाई के लिए पिल्लूर बांध के नीचे कुन्डाह परियोजना के टेल-रेस जल के कुछ भाग के समुपयोजन के लिए उन्होंने स्कीम की ध्यानपूर्वक जांच की थी और उन्होंने यह निर्णय किया है कि इस समय इसे आस्थगित रखा जाए ।

अनुमानित प्रति व्यक्ति आय

9604. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) चौथी योजना के अन्त में राज्यवार प्रति व्यक्ति अनुमानित आय कितनी होगी; और

(ख) विभिन्न राज्यों की आय में असमानता के लिये योजनायें कहां तक उत्तरदायी हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी): (क) राज्यवार प्रति व्यक्ति आय केन्दीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा केवल तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है । प्रति व्यक्ति अनुमानित आय भ्रामक हो सकती है । अत: इस ओर प्रयास नहीं किया गया ।

(ख) विभिन्न राज्यों की आय में असमानता किसी सीमा तक अनिवार्य है । यह विभिन्नता भौताकृतिक सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से होती है । राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए और प्रदेशों के बीच आय की असमानता कम करने के लिये योजनाएं बनाई जाती हैं । प्रत्येक राज्य में स्थितियों में अन्तर होने के कारण, आर्थिक वृद्धि पर इन योजनाओं का प्रभाव हरेक राज्य में परिवर्तित होता रहता है ।

सेना आयुध कोर में क्लर्कों के लिए पदोन्नति के अवसर न होना

9605. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री गणेष घोष :
श्री भगवान दास :
श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना आयुध कोर में लगभग 2400 क्लर्क हैं जो गत 15 से 20 वर्षों से एल० डी०सी० के पदों पर ही हैं क्योंकि उनके लिये पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं;

(ख) क्या उनकी खराब हालत के बारे में सरकार को उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी स्थिति में सुधार के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) आर्मी आर्डनेन्स कोर के उन लोअर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या लगभग 100 है जो गत 15 से 20 वर्षों के लिए अपने वेतनमान के अधिकाधिक तक पहुंच गए हैं ।

(ख) तथा (ग) । अभिवेदन प्राप्त हुए थे । विस्तृत निरीक्षण के पश्चात् यू०डी०सी० : एल०डी०सी० अनुपात 3 : 8 से बढ़ा कर 4 : 8 कर दिया गया था और आर्डनेंस डिपुओं में सुपरवाईज़रों और क्लर्कों का अनुपात भी 1-12-1969 से उदारीकृत कर दिया गया था । हाल के इन आदेश के समक्ष सरकार इस सम्बन्ध में इस समय और कोई पग उठाना प्रस्तावित नहीं करती ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा छोटे उपभोक्ताओं के लिये आयातित नायलोन धागे का नियतन

9606. **श्री स्वतंत्र सिंह कोटारी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित नायलोन धागे का छोटे उपभोक्ताओं को पर्याप्त कोटा न देने के क्या कारण हैं ?

(ख) राज्य व्यापार निगम नायलोन धागे में चोर-बाजारी समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार बाजार में इसके उतार-चढ़ाव को समाप्त करने के लिये सुरक्षित भंडार बनाने हेतु शीघ्र ही और अधिक नायलोन धागे का आयात करने का और करघा की संख्या के आधार पर उचित वितरण प्रणाली की व्यवस्था करने का है ताकि सभी उपभोक्ताओं, विशेषकर छोटे उपभोक्ताओं को कच्चे माल का पर्याप्त कोटा मिल सके ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राज्य व्यापार निगम अपने पास पंजीयित उपभोक्ता संघों को वितरण की विहित पद्धति के अनुसार एक सम आधार पर आयातित नायलोन धागे का आवंटन करता है । एकाकी उपभोक्ता एककों को आवंटन उन संघों द्वारा किया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य व्यापार निगम वास्तविक उपभोक्ता आधार पर वितरण हेतु नायलोन के अतिरिक्त परिमाण का आयात उस हद तक कर रहा है जितना कि मूल्यों को समीचीन स्तर पर बनाये रखने के लिये आवश्यक समझा जाता है । ऐसा करते समय विभिन्न संगत उपादानों को ध्यान में रखा जाता है,जैसे कि विगत में नायलोन धागे की प्राप्यता, नायलोन धागे और अन्य कृत्रिम रेशम के रेशों/धागों आदि के उत्पादन में वृद्धि आदि। राज्य व्यापार निगम अपने पास पंजीयित उपभोक्ता संघों को आयातित नायलोन का आबंटन करघों के आधार पर करता है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : देश में हाल में हुए साम्प्रदायिक ढंगों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए आज मध्यान्ह पश्चात् का समय निश्चित किया गया था। परन्तु गृह-कार्य मंत्री बीमार हैं। अन्य मंत्री राज्य सभा में उपस्थित रहेंगे क्योंकि वहां पर तेलंगाना के मामले पर चर्चा चल रही है।

डा० राम सुभाग सिंह(बक्सर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। अतः इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। विधि व्यवस्था बनाये रखना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधान मंत्री यह बोझ अपने ऊपर लें।

श्री रंगा (अर्णाकुलम): सरकार की ओर से किसी न किसी मंत्री को उत्तर देना चाहिए। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इस चर्चा को दो दिन तक स्थगित करना चाहती है। हमारे लिए इस बात पर सहमत होना कि चर्चा को स्थगित कर दिया जायेगा उचित नहीं होगा। हम इस पर आज ही चर्चा करना चाहेंगे।

श्री बलराज मधोक(दक्षिण दिल्ली) : चर्चा श्री वाजपेयी द्वारा शुरू की जानी है। वह आज यहां उपस्थित हैं परन्तु कल तथा इसके अगले दिन वह यहां पर नहीं होंगे। अतः आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कल सलाहकार समिति के समक्ष बोलते समय उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कि उचित नहीं हैं। उनको वे सब बातें वहां नहीं कहनी चाहियें थीं। इससे स्थिति और भी खराब हो गई है। प्रधान मंत्री को चर्चा का उत्तर देना चाहिये। इस विषय पर आज ही चर्चा की जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम यह चाहते हैं कि चर्चा के समय श्री चव्हाण यहां पर उपस्थित रहें। यदि श्री वाजपेयी कल अथवा उससे अगले दिन यहां पर उपस्थित नहीं हो सकते तो चर्चा सोमवार को की जा सकती है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : चर्चा को स्थगित नहीं किया जाना चाहिये। यह अविलम्बनीय महत्व का विषय है और इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी: हम चाहते हैं कि हमारे विचार सुनने के लिए गृह-कार्य मंत्री चर्चा के दौरान यहां पर उपस्थित रहें। गृह-कार्य मंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। चर्चा को एक अथवा दो दिन के लिए स्थगित कर देने से कोई हानि नहीं होगी।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोझीकोड) : दंगे थाना तथा कल्याण नगरों में भी फैल रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। इस बारे में तुरन्त कुछ किया जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु(डायमंड हार्बर) : यह चर्चा महत्वपूर्ण है। परन्तु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि श्री चव्हाण बीमार हैं। यदि वे कल भी ठीक नहीं होते तो सरकार की ओर से किसी अन्य मंत्री को चर्चा के समय यहां उपस्थित रहना चाहिये। कल तक यह चर्चा अवश्य हो जानी चाहिये।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : इस बात की क्या गारंटी है कि वह कल ठीक हो जायेंगे ? सत्तारूढ़ दल की सहमति से ही ऐसा हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने सहमति शब्द का प्रयोग किया है। उनका दल अल्पसंख्यकों के हत्यारों से सहमति उत्पन्न कर रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ ने एक षड्यंत्र बना रखा है।

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : यह बिल्कुल बेवकूफी की बात है।

श्री हेम बरूआ (मंगलदायी) : हमें यह सुन कर दुःख है कि माननीय गृह-मंत्री बीमार हैं। हम चाहते हैं कि वह यथासम्भव शीघ्र ठीक हो जायें।

हम इस घटना के बारे में आज ही चर्चा करना चाहते हैं। इसका उत्तर प्रधान मंत्री दे सकती हैं।

श्री तिरूमल राव (काकिनाडा) : इस बारे में सरकार का विचार क्या है ?

Shri Tulshidas Jadhav (Barawati) : The hon. Home Minister have just returned after touring Maharashtra and thus he is aware of all the facts; I would, therefore, say that discussion should be held in his presence.

संसद् कार्य, नोवेदन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : इस मामले के महत्व को कोई भी कम नहीं कर रहा है और न ही इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि इस पर तुरन्त चर्चा करने की आवश्यकता है। गृह-कार्य मंत्री इस पर चर्चा के लिए आज तैयार थे परन्तु दुर्भाग्यवश वह आज बीमार हो गये हैं। वह स्वयं उन क्षेत्रों में होकर आये हैं और घटनाओं से पूरी तरह परिचित हैं। अतः हम चाहते हैं कि इस मामले पर पूरी तरह से चर्चा हो। अतः यह चर्चा उसी दिन की जा सकती है जो सबको सुविधाजनक हो।

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या श्री दिनेश सिंह वक्तव्य देने से पूर्व कम्बोडिया गये थे। सभा में चर्चा करने अथवा वक्तव्य देने से मंत्री की यात्रा का क्या सम्बन्ध है ?

श्री बलराज मधोक : अविलम्बनीय महत्व के मामलों को स्थगित नहीं किया जा सकता यह एक ऐसा ही मामला है।

डा० रामसुभग सिंह : साम्प्रदायक दंगे जंगल की आग की तरह महाराष्ट्र के प्रत्येक भाग में फैल रहें हैं। अतः इस चर्चा को और स्थगित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : कल प्रश्न काल के पश्चात् सर्वप्रथम इस विषय पर ही चर्चा की जायेगी।

श्री रंगा : हम आपके निर्णय का विरोध करते हैं। आपके हस्तक्षेप के कारण आज चर्चा नहीं हो सकी। आपने हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ही नहीं दी है। आप गलत प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : विरोधी दलों की ओर से स्थगित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। आपको अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गृह-कार्य मंत्री को समिति की बैठक में कल इतना गैर-ज़िम्मेदार वक्तव्य नहीं देना चाहिए था।

श्री रंगा : जब आप ने इस पर अपनी ही इच्छा थोपनी होती है तो आप हमें अपने विचार व्यक्त करने ी क्यों देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दूसरे सदस्यों की इच्छा को भी ध्यान में रखना होता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि गृह-कार्य मंत्री कल भी ठीक न हुए तो क्या आप कल चर्चा करने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम हम एक गृह मंत्री को ोटिस दे सकेंगे।

श्री बलराज मधोक : कल चर्चा के समय माननीय प्रधान मंत्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। हम इन दंगों के लिये उनको जिम्मेदार ठहराते हैं।

श्री अ० प्र० डोंगे (बम्बई–मध्य दक्षिण) : हम चाहते हैं कि सरकार सेना को वहां भेजे क्योंकि पुलिस दंगों को रोकने में असफल रही है। हम चाहते हैं जनसंघ-स्वयं गठजोड़ द्वारा यह स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

श्री बलराज मधोक : मुसलमानों के मत प्राप्त करने के लिए सरकार तथा साम्यवादियों द्वारा दंगे कराये जा रहे हैं, हम इन दंगों के बारे में इन पर आरोप लगाते हैं, वे मुसलमानों के जीवन से खेल रहे हैं तथा जानबूझ कर दंगे करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्री चह्वाण को कल प्रश्नकाल के पश्चात् सभा में उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। यदि वे कल भी बीमार हुए तो दूसरे मंत्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए।

श्री रघुरामैया : जी हां ऐसा ही किया जायेगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE-QUESTION OF PRIVILAGE

अध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने 28 अप्रैल 1970 को इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली नार्दरन इण्डिया पत्रिका में 1 अप्रैल 1970 के अंक में छपे समाचार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और यह आरोप लगाया था कि उसमें सभा की कार्यवाही को तोड़मोड़ कर पेश किया गया है। मैंने उस समय सभा को सूचित किया था कि पत्रिका के सम्पादक को एक पत्र लिख कर हमने उससे पूछा है कि वह इस मामले में क्या कहना चाहता है।

मुझे अब पत्रिका के रेजिडेन्ट सम्पादक से दिनांक 29 अप्रैल 1970 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि "हम माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारा अपने पाठकों को गुमराह करने। अथवा माननीय सदस्य के दल की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने का कोई ईरादा अथवा इच्छा नहीं थी। अथवा माननीय सदस्य पर किसी प्रकार का आक्षेप करनें का ईरादा नहीं था। समाचार-पत्र के प्रकाशन के दौरान हम प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा य० एन० आई० जैसे अभिकरणों से समाचार प्राप्त करते हैं। हमारा प्रयास संसद् की कार्यवाही को यथासम्भव प्रचार देना होता है। परन्तु किसी दिन विशेष को उपलब्ध स्थान के बारे, में हमारी भी कोई सीमा होती है। समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रश्नाधीन समाचार हमें समाचार एजेन्सी से प्राप्त हुआ था और हमने श्री ज्योतिर्मय बसु के भाषण का संक्षिप्त विवरण प्रेस को भेजा है। फिर भी पृष्ठ को अंतिम रूप देने से पूर्व विवरण को संक्षिप्त करना आवश्यक समझा गया क्योंकि प्रेस को भेजी गई रिपोर्ट को छापने के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं था। अतः इसके फलस्वरूप पृष्ठ को अन्तिम रूप देते समय कुछ भागों को शीघ्रता से निकालना पड़ा जिसमें श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंश थे। ऐसा बिना किसी उद्देश्य के तथा बिना किसी उद्देश्य के किया गया और यदि इस से माननीय सदस्य को दुःख पहुंचा है तो हमें इसका खेद है।"

नार्दरन इण्डिया पत्रिका के रेजिडेन्ट सम्पादक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण तथा व्यक्त किये गये खेद को देखते हुए यदि सभा सहमत हो तो इस मामले को खत्म कर दिया जाये।

अनेक मानगीय सदस्य : जी हां।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्दर) : क्या समाचार-पत्र के सम्पादक श्री तुशरकान्ति घोष ने अपने पत्र में क्षमायाचना की है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पत्र को क्षमायाचना के समान ही समझा जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप पत्र के सम्पादक को निदेश देंगे कि वह इस को अपने समाचार-पत्र में प्रकाशित करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनीं अधिनियम केअंतर्गत पत्र

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल प्रोजक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) नेशनल प्रोजक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3483/70]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य-सभा में प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं।

"कि लोक सभा द्वारा 6 मई 1970 को पास किये गये वित्त विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION

63वाँ प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 63वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय को वक्तव्य देने देजिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं मद 5 पर कुछ कहना चाहता हूं। आपने इण्डियन सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की योजनाएं सम्बन्धी विधेयक के बारे में श्री मधु लिमये को वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। लम्बी चर्चा के पश्चात् उनको सभी दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। माननीय विधि मंत्री ने भी इसको नियम समिति को सौंपने के बारे में आपत्ति नहीं की थी। अब सारा मामला नियम समिति के पास चला गया है कि इसके लिए साधारण बहुमत अथवा पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि यह कल समाप्त होने जा रहा है अतः आप समिति को यह मामला शीघ्र सभा को वापिस भेजने के लिए कहें ताकि हम विधेयक प्रस्तुत कर सकें।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं इस प्रस्तावित प्रक्रिया के विरोध में पहले ही पत्र भेज चुका हूं। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर समिति को सहमत नहीं होना चाहिए। हम नियम सम्बन्धी प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने के विरुद्ध हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On that very day even Shri P.K. Deo who belongs to the party of Shri Ranga agreed after listening us that this should be referred to Rules Committee. If Mr. Ranga differs from that he can place this viewpoint separately. The Committee has to take a decision in this matter keeping in view the provisions of Constitution. I have sent one note to-day to the Secretary. The Rules Committee should consider.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर माननीय सदस्यों से पहले ही विचार-विमर्श कर चुका हूं। उस समय प्रत्येक मामले पर महान्यायवादी के परामर्श से निर्णय किया गया था। जब तक नियम समिति कोई निर्णय न ले ले मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। परन्तु हम महान्यायवादी की राय तथा सारी पृष्ठभूमि को समिति के समक्ष रखेंगे दोनों माननीय सदस्यों के विचारों को भी समिति के समक्ष रख दिया जायेगा। कोई भी जो इससे सम्बन्धित है अपने विचार समिति के समक्ष रख सकता है। समिति की बैठक 18 तारिख से पहले ही होगी।

श्री स० मां० बनर्जी : हम आपका धन्यवाद करते हैं।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या मैं अब व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

Shri M. A. Khan (Karganj) : How can he raise a point of order before the Statement is not made in the House.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Statement is circulated half-an-hour earlier before it is made.

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है परन्तु जब तक सभा में वक्तव्य नहीं दे दिया जाता तब तक इसको 'दिया गया' वक्तव्य नहीं माना जाता।

Shri Kanwar Lal Gupta : Let him made the Statement first.

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोबिन्द मेनन) : 5 मई 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 1413 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के समय श्री कंवर लाल गुप्त ने श्री एम० हिदायतउल्लाह, मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में मुस्लिम विधि में सुधार करने के लिए एक आयोग गठित करने का सुझाव दिया था। मैंने उस में यह कहा था कि माननीय सदस्य ने यह एक अच्छा सुझाव दिया है। उस दिन की कार्यवाही में इसके बाद आने वाले शब्दों अर्थात् 'मैं इसको स्वीकार करूंगा' के स्थान पर 'मैं इस पर विचार करूंगा' के शब्द रखे जाने चाहिए। इस बात को श्री गुप्त द्वारा और आगे स्पष्ट कर दिया गया था जब उन्होंने कहा 'कि मुझ प्रसन्नता है कि कम से कम वह मेरे सुझाव पर विचार करने को राहमत हो गये हैं।'

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has made this statement under direction No. 16. The hon. Minister now says that on that very day what he said was 'I will consider it' not that 'I will accept it.' My objection is this that he cannot make such statements under this direction because under this 'direcion' the Minister can give only new information. In this statement he has not given any new information.

My second objection is this that now he says I will examine it. This is factually wrong. On that day he said 'I will accept it.' After that I said on that day that I congratulate him. Both these things are in the proceedings. You can see the records. If now the hon. Minister feels that he committed a mistake on that day then he should come forward and say that he committed a mistake on that days, and that he wants to change his statement.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात से इन्कार किया है।

Shri M. A. Khan : On that day I asked a question as to whether the hon. Minister will give an a ssurance that he will not interfere in the Muslim law which is part and parcel of the religion. In his answer he said 'I will not interfere in that law, you can see the records, Sir.

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : उस दिन मैं सभा में उपस्थित नहीं था परन्तु मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि' सरकार को मुस्लिम विधि में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम स प्रस्ताव का सख्त विरोध करते हैं।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस संसद् को देश के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार है । व्यक्तिगत विवाह सम्बन्धी कोई विधि नहीं है। यह एक सिविल कानून है। इस संसद् को सिविल मामलों के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। माननीय सदस्य संसद् के प्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निदेश बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा पहले भी होता रहा है। यदि कोई मंत्री अपने वक्तव्य में कोई शुद्धि करना चाहता है तो उसे अनुमति दे दी जाती है ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : किन्तु यह तो तथ्य सम्बन्धी बड़ी गलती है, कोई साधारण-सी भूल-चूक नहीं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : किन्तु वह यह तो मान लें कि उन्होंने गलती की है और वह इसे ठीक करना चाहते हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) : वह स्पष्ट रूप से कहें कि जो उन्होंने पहले कहा था वह उससे पीछे हटना चाहते हैं और उन्होंने इस बात पर मुल्लाओं और मौलवियों के दबाव में आकर पुनः विचार किया है। सरकार को यह हक नहीं है कि वह तथ्य को झुठलाएं। हां, जो मंत्री महोदय ने कहा है, उसमें संशोधन करने का अधिकार उसे है ।

श्री दत्तामय कुन्टे (कोलाबा) : मंत्री महोदय को वक्तव्य में शुद्धि से सम्बन्धित नियम का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। इस नियम के अनुसार केवल उस वक्तव्य में शुद्धि की जा सकती है जिसमें जानकारी गलत दी गई हो। वह गलत जानकारी के स्थान पर ठीक जानकारी दे सकते हैं। यह हो सकता है कि उन्होंने अनजाने में गलत नीति-वक्तव्य दे दिया हो, जिसे अब वह ठीक करना चाहते हैं।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : वह यह कह दें कि अब उनका विचार बदल गया है। अतः वह उस वचन का पालन करना नहीं चाहते जो उन्होंने दिया है।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जहां तक मुझे याद है, मैंने कहा था कि 'मैं विचार करूंगा, किन्तु यदि मेरे मुंह से दूसरे शब्द निकल गये तो वह भूल में निकले।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह भूल को ठीक करना नहीं है, बल्कि वक्तव्य में परिवर्तन करना है।

अध्यक्ष महोदय : डा० सन्तोषम्।

श्री बलराज मधोक : सरकार साम्प्रदायिकता के सामने झुक गई है।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले मद पर पहुंच गया हूं। अब मैं व्यवस्था के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

Dr. Sushila Nayar : One of the Members said that we could not raise any issue regarding Muslim Personal Law. In this context may I know whether the Indian Parliament has no power to legislate on such matters, particularly in view of the fact that muslim countries like Pakistan and Turkey have already enacted such laws which are against the so-called Muslim Law? I want your ruling on it.

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक और विधि सम्बन्धी मामलों पर मैं अपना मत नहीं दे सकता । मैं तो प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर अपना मत प्रकट कर सकता हूं। दूसरे, इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA AND REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION.

डा० म० संतोष्म (तिरूचेंडूर) : मैंने भाषण कल शुरू किया था। थोड़ी ही देर में मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित हो जायेगी और मुझे मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः भाषण शुरू करना होगा । अतः मेरा अनुरोध है कि अब सभा स्थगित हो जाये और मैं मध्याह्न भोजन के पश्चात् भाषण प्रारम्भ करूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, may I know whether the discussion on riots will take place or not. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : It will take place tomorrow. (*Interruptions*)

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : श्रीमान् आप ने कल कहा था कि आपको समय दिया जायेगा। यह एक गम्भीर मामला है। मन्त्री महोदय ने गलती की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय करूंगा।

श्री स्वतंत्र सिंह कोटारी (मंदसौर) : देश यह सहन नहीं कर सकता कि उसके वायु सेना के विमान-चालक इसी भांति समाप्त होते जायें। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को सभा के नियम और प्रक्रिया का भी ध्यान रखना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : नियमों के अनुसार जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो, सरकार वक्तव्य दे सकती है।

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मेरा सुझाव है कि अब सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दिया जाये।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT FIVE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

[MR. DY. SPEAKER IN THE CHAIR.]

डा० एम० संतोषम् (तिरुचेंडूर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के समय मैं पहले क्षणों में असंतोष की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह समस्या न केवल भारत के बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सामने है। उक्त प्रतिवेदन के बारे में केवल इतना कहा गया है कि इस समस्या का समाधान शिक्षा पद्धति से बाहर ढूंढा जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह समाचार पाकर प्रसन्न हुआ कि एक समिति छात्र-असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई है और दूसरी उस ढांचे का सुझाव देने के लिए, जिससे छात्र विश्वविद्यालयों के चलाये-जाने में हाथ बंटा सकें। मैं इस सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे उक्त दोनों आयोग लाभान्वित होंगे। किशोर युवकों में अपने प्रचार की तीव्र प्रवृत्ति होती है। वे गलियों में या सड़कों पर प्रदर्शन करके समाचार-पत्रों आदि में अपना प्रचार कराना चाहते हैं और नेता बनना चाहते हैं। ऐसी अवांछनीय घटनाओं में छात्रों के सम्मिलित होने का मुख्य कारण है छात्रों में व्यापक असंतोष। चूंकि कालेजों से निकलने के पश्चात् छात्रों को रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए उनमें असंतोष की भावना पनपती है। तीसरे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से अनुशासनबद्ध है किन्तु जैसे ही वह छात्र-समूह में पहुंचता है, वह उपद्रवी बन जाता है। यह बिल्कुल सच है कि कोई भी छात्र प्रकृती से उपद्रवी नहीं होता। उन्हें दंगों के लिए प्रेरणा दी जाती है। कुछ छात्र राजनीतिक दलों के प्रभाव से ऐसे दंगे कराते हैं। अत: हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बाहरी प्रभाव हमारे छात्र और छात्राओं को बिगाड़ने न पाये। अत: इस समस्या के समाधान के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम हमें अपने विद्यार्थियों के मन से असंतोष की भावना को निकालना चाहिए। दूसरे, विद्यार्थियों को हर समय इस ढंग से व्यस्त रखा जाए, कि वे जीवन में प्रवेश करने पर कोई लाभकारी धंधा कर सकें, जीवन में अपनी एक स्थिति बना सकें। इसी सन्दर्भ में मेरा यह सुझाव है कि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने का काम विश्वविद्यालयों पर छोड़ा जाये। इससे छात्र पूरे वर्ष व्यस्त रहेंगे और उन्हें पारिश्रमिक के रूप में भी कुछ मिलता रहेगा। इस प्रकार उनके मन से असंतोष दूर हो जायेगा और दंगा करने की उनकी आदत भी सुधर जायेगी।

अब मैं चिकित्सा कालेजों में प्रवेश की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। चिकित्सा कालेजों में प्रवेश पाने के लिए खुले आम और चोरी से धन दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अभी इस पेशे में और अधिक लोगों को खपा लेने की गुंजाइश है। अभी हमारे देश में रोगियों की तुलना में डाक्टरों की संख्या बहुत कम है। इस बात की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि जो व्यक्ति इस देश के पैसे से पढ़ते हैं और विदेश चले जाते हैं तथा वहां पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, उन्हें सरकार को भारत वापिस बुला लेना चाहिए। क्योंकि जब तक पुरुष और महिला डाक्टरों की संख्या इस देश में नहीं बढ़ेगी तब तक चिकित्सा कालेजों में प्रवेश की समस्या भी बनी रहेगी।

राष्ट्रीय छात्र सेना के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि छात्रों की ठीक ढंग से और गम्भीर रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें आपात-काल में सेना के रूप में काम में लाया जा सके। छात्र सेना के शिविर इस प्रकार से लगाये जाने चाहिएं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये छात्र-दल एक स्थान पर मिलकर रहें। इससे वे लड़ाई के विभिन्न प्रकार की तकनीकों से अवगत होंगे और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना भी जन्म लेगी।

मैं श्री बलराज मधोक के इस सुझाव से सहमत हूं कि अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के नामों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अन्यथा मद्रास में जो क्रिश्चन कालेज है वह भी मद्रास क्रिश्चन विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाने लगेगा।

Shri Raj Deo Singh (Jaunpur) : We could not have a national education policy for the last 21 years. In 1968 our Government had framed a national policy of education. It is the responsibility of Ministry of Education and University Grants Commission to implement the same. It has been observed that the standard of education is fast deterorating. The Education Ministry should produce such films which should be informative and should show them to the students. This can mould their behaviour. I know some documentary films have been produced but I want that some attractive films should be produced which can guide the students on right path.

University Grants Commission was set up in 1956. They have done good job but they could not do many other things due to their limitations. One of their limitations is that education is a State subject. In this connection it may be pointed out that Entries No. 63 and 66 to the Seventh Schedule empower the Central Government to intervene in case of higher education. They can do everything for the sake of coordination and maintenance of high standard of education. Government have sufficient powers to deal with the University. In case they do not have any power they could introduce legislation in the Parliament and make the subject of higher education concurrent. There should be one pattern of education in all the Universities. In fact party politics has entered in Universities also. At least there should be provision that the appointment of Head of the Department would be approved by the Central Government.

I want to suggest that a branch of U.G.C. should be set up in every State which could control all the activities actively effectively. The Commission should encourage education in rural areas.

It has been observed from the report of Public Accounts Committee that grants were given in 3,95,336 cases up to 1967 which total up to Rs. 115 crores. The utilisation certificates in 23,888 cases had not been received up to 28th February, 1970. This is very sad. The Government should look into this matter.

Neither Central Government nor State Governments are prepared to take up National Fitness Corp. In my opinion either it should be transferred to Home Ministry or it should form part of N.C.C.

There should be a supervisory body to recommend the amount of assistance for degree colleges according to their needs. They can also supervise the utilisation of the amount of assistance.

Keeping in view the national policy of education, the standard of teaching and examinations should also be improved.

With these words I support this Bill.

श्री एस० कन्डप्पन (मैसूर) : वर्ष 1968 के शिक्षा की नीति सम्बन्धी संकल्प में सरकार ने यह निर्णय किया था कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने वाली है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक विशेष प्रयोजन से अर्थात् उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने के लिए स्थगित किया गया था। परन्तु क्या शिक्षा का महत्व बदलने से हम सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर ठीक रख सकेंगे ? हम सब जानते हैं कि भाषा विचार और अभिव्यक्ति का साधन है और जब तक उसका उचित विकास न हो जिससे वह उच्च वैज्ञानिक विचारों की अभिव्यक्ति के योग्य बन सके, तब तक अंग्रेज़ी के स्थान पर अन्य भाषाओं में शिक्षा देना उचित नहीं है। यह एक गम्भीर बात है जिसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ प्रयास करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात को जानता है कि अंग्रेज़ी के स्तर में कैसे सुधार किया जा सकता है। उपर्युक्त आयोग ऐसी गोष्ठियों की व्यवस्था कर सकता है । जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर तथा प्राध्यापक भाग ले सकें जिससे उन्हें आपस में विचार-विमर्श का अवसर उपलब्ध हो सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी शब्दावली तैयार कर सकता है जिसका उपयोग सभी प्रोफेसर तथा विद्यार्थी करें। यह कहा गया है कि एक ऐसी शब्दावली का निर्माण किया जाना चाहिये जो सभी भाषाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त हो। मेरे विचार में इस प्रकार की शब्दावली तैयार करना असम्भव है। कुछ वर्ष पहले विधि मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि कानून सम्बन्धी शब्दावली समस्त भारत में एक होनी चाहिये परन्तु गत वर्ष उन्होंने पाया कि सभी भाषाओं के लिए एक ही शब्दावली बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। इस लिए उन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया है और उन्होंने तमिल नाडू सरकार की यह मांग स्वीकार कर ली है कि वह अपनी विधि-सम्बन्धी शब्दावली बना सकते हैं।

अन्य वैज्ञानिक विषयों के सम्बन्ध में भी यह बात सत्य है क्योंकि जब कोई भाषा शिक्षा का माध्यम बन जाती है तो उस भाषा की विशिष्टता के अनुसार शब्दों का निर्माण स्वतः होने लगता है। तामिल नाडू में भी सामान्य प्रयोग के कई शब्द हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये होता है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी भाषाओं की सामान्य शब्दावली बनाने के बजाये वह इस बात की अनुमति दें कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिये भाषा की विशिष्टता के अनुसार सभी भाषाओं की अपनी-अपनी शब्दावली बनाई जानी चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह है कि प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय को कम से कम एक वैज्ञानिक पत्रिका प्रकाशित करनी चाहिये जिससे विद्यार्थियों को नवीनतम वैज्ञानिक ढंग से परिचय मिलता रहे।

मुझे पता है कि भारत सरकार ने हिन्दी में वैज्ञानिक पत्रिका आरम्भ की थी। मुझे पता लगा है कि उसकी बिक्री बहुत कम है। अब इस पत्रिका का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है क्योंकि इस पत्रिका की केवल 200 प्रतियां

बिकती थी जबकि तामिलनाडू में प्रकाशित इसी पत्रिका की बिक्री 5,000 प्रतियां थी। यह पत्रिका यूनेस्को की है और इसका स्तर काफी अच्छा है। इसके अतिरिक्त तामिलनाडू में एक अन्य मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें केवल वैज्ञानिक विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं और इसकी बिक्री 10,000 प्रतियों से भी अधिक है।

शिक्षा का माध्यम बदलने के सम्बन्ध में यह पहली शर्त है। मैं महसूस करता हूं कि हिन्दी में यह प्रवृत्ति क्यों नहीं दिखाई देती। यदि इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया जाता तो हिन्दी की शिक्षा का सही माध्यम बनाने में सफलता मिलना कठिन प्रतीत होता है। सब से महत्वपूर्ण बात ज्ञान अर्जन की है। विद्यार्थियों को केवल भाषा ही नहीं सीखनी है। हिन्दी समर्थकों को चाहिये कि वे अपनी अपनी राज्य सरकारों से कहें कि वे माध्यमिक स्कूल तथा कालेज पुस्तकालयों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में इस प्रकार की सामग्री जुटाएं। मैं इस बात पर इस लिए जोर दे रहा हूं क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदाय आयोग के कृत्यों में इस कार्य के लिए कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। जब सरकार भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहती है तो वह इन बातों की अपेक्षा नहीं कर सकती।

केन्द्रीय सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि जो थोड़े से विश्वविद्यालय उसके अधीन हैं उनका कार्यकरण तथा प्रशासन अन्य सभी राज्य विश्वविद्यालयों से अच्छा है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का अधिकांश भाग दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्वभारती के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मिलता है। अन्तिम विश्वविद्यालय अलग है परन्तु शेष विश्वविद्यालयों की स्थिति अन्य विश्व-विद्यालयों के समान है। मेरा विचार यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय सम्बन्धित राज्यों को सौंप दिये जायें। और इस प्रकार से बचत की राशि को देश के 70 विश्वविद्यालयों में बांट दिया जाये। वर्ष 1965–66 में 17·85 करोड़ रुपये की कुल राशि में से लगभग एक तिहाई अर्थात् 6 करोड़ रुपये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये गये थे, यही स्थिति आगामी वर्षों में भी रही है। यह बहुत अनुचित बात है।

शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालयों में बाजार का सा वातावरण बना रहता है। अध्यापकों के लिये सुविधाएं बहुत कम हैं। उनके निवास-स्थान विश्वविद्यालयों से बहुत दूर हैं और वह पुस्तकालयों में आसानी से आ-जा नहीं सकते। क्या सरकार इस बात का ध्यान नहीं रख सकती कि नये विश्व विद्यालय बनाते समय अध्यापक वर्ग के लिए उन्हीं में स्टाफ क्वार्टर बनाये जायें जिससे वे अच्छे वातावरण में रहें।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : नवीन प्रस्तुत विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पूरा दिन काम करने के लिए तीन सदस्यों की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि वे कालेजों और विद्यार्थियों के मामलों के साथ निपटने के लिए सत्यनिष्ठा से काम करेंगे। मुझे यह भी आशा है कि अध्यक्ष महोदय भी इस कार्य के लिए अधिक समय देंगे। इस विधेयक में देख-भाल और विकास अनुदानों की जो व्यवस्था की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए नये विश्वविद्यालय और कालेज स्थापित करने हेतु जो नीति निर्धारित की है, मेरे विचार में वह अच्छी है। लक्ष्य तो अच्छा है परन्तु व्यवहार में बहुत कम सफलता मिली है।

स्नातकोत्तर शिक्षा केन्द्र भी बहुत लाभप्रद कार्य कर रहा है। उसमें अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था एक नई चीज है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों के आवास के लिये अधिक व्यवस्था की जाये जिससे वह अपना समय और शक्ति अध्ययन में लगा सकें। मैं विद्यार्थी सहायता निधि का भी स्वागत करता हूं।

मेरे विचार में हमें अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। जिससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले।

वर्गीकरण की दृष्टि से विश्वविद्यालयों को संघीय अथवा सम्बद्ध और रिहाइशी विश्वविद्यालय कहा जा सकता है । मैं बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद का सदस्य हूं । मैं यह देख कर चकित रह गया कि विश्वविद्यालय के अहाते में हर किस्म के लोग आ-जा सकते हैं । विश्वविद्यालय के अहाते का वातावरण विश्वविद्यालय का ही होने चाहिये । फिर कानून और व्यवस्था का भी प्रश्न है । हम प्रत्येक बार वहां पर पुलिस को नहीं बुला सकते ।

उच्चतर अध्ययन के और अधिक केन्द्र होने चाहिए । केवल 27 विश्वविद्यालयों को विशेष सहायता दी गई है । अधिक विश्वविद्यालय को सहायता दी जानी चाहिए । कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर विचार कारते समय संसद् सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के बारे में सुझाव दिये हैं । अधिक छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए ।

मन्त्री महोदय के उद्‌गार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख उद्देश्य विकास और अनुरक्षण हेतु अनुदान देना तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना और समन्वय स्थापित करना है । यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है । परीक्षाओं और पाठ्यक्रम में समानता भी नहीं लाई जा सकी है । शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं—सामाजिक परिवर्तन लाना, मनुष्य को सभ्य और सुसंस्कृत बनाना तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करना । मन्त्री महोदय उत्तर दें कि क्या ये लक्ष्य अभी तक प्राप्त किये जा सके हैं ?

छात्रों में अशान्ति और अनुशासनहीनता बढ़ रही है । प्रायः यह कहा जाता है कि यह तो एक विश्वव्यापी अशान्ति का एक अंग है । हम यह कहकर अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सकते । हमारे देश के छात्र-समुदाय में अशान्ति और अनुशासनहीनता का मूल कारण शिक्षितों में निराशा, बेरोजगारी और गरीबी है । इन कारणों को दूर किया जाना चाहिए ।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनैतिक पार्टियां, अध्यापको और छात्रों दोनों ही को अपनी विचार-धाराओं से प्रभावित करने की कोशिश करती रहती हैं । छात्रों का कल्पनाशील और रचनात्मक मस्तिष्क इन विचारधाराओं की ओर आकर्षित होता है । यहि कारण है कि निर्धन ही नहीं, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति भी नक्सलपंथी जैसे आन्दोलनों से प्रभावित हो जाते हैं ।

अन्त में, मुझे यह कहना है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ने राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता और लोकतान्त्रिक समाजवाद के ऊपर आधारित विचारधारा का प्रसार किया है, अगर नहीं तो शिक्षा-प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो सके

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : The Bill seeking reorganisation of U.G.C. is not going to solve the problem, unless the whole education system of the entire country is radically changed. Our education system is still based on the old system evolved by the the Britishers to produce clerks in the country. The real cause of unrest and indiscipline among students is non-availability of employment even after education. It is the need of the hour to make our education system job-oriented.

Our education system should inculcate the ideology of secularism among students. The future of the country is in the hands of the students and therefore, students participation in politics should not be restricted.

Every backward and undeveloped area of the country wants that colleges and universities should be established there. The people of Bihar have been demanding for a long time that Mithila University should be established there. The Central Govt. should provide financial help in setting up of a university there.

Shri Chagla, the then Education Minister has said in 1964 that every State should have at least one Central University. The Central Universities have better standard and can

be a model for other universities to follow. I, therefore, suggest that there should be at least one Central University in each State.

The Patna University is in a very miserable condition today. The scientific apparatus are out-dated. There is no proper arrangement in library and laboratories. The Central Govt. should take over the university, so that a better standard may be set up before other universities.

Some of the members have criticised the deemed universities such as Kashi Vidyapeeth etc. I request that this deemed university *i.e.* Kashi Vidyapeeth should be given the status of a full-fledged university. The students of this institution have played a beautiful role against the Britishers and the British regime. Such important institutions should be given a status of universities and their difficulties be removed.

Though in U. P. almost all the universities have Hindi as the medium of instruction, yet English is still continuing as medium of instruction in most of the universities. Now English should be replaced by regional languages so that standard of education could also be raised. The text-books should also be prepared in the regional languages.

The present system of examination should be done away with. This system does not inculcate knowledge and development of intellect among students. The students progress should be assessed every three months on the basis of home-task.

The American publicity is growing very fast in the universities. It should be checked. The communalism should be checked in the universities.

The demands of University teachers should be attended to. The State Govts.' position is not good. In some of the colleges teachers do not get pay according to their pay scales. The Govt. should see that teachers get their full pay according to the pay scales.

It is our aim to bring about socialism in the country, but rules and definition of socialism is taught nowhere. The Govt. should make arrangements for the teaching of real socialism also. The money making business of private institutions should be banned and education should be nationalised.

Non-teaching staff of the universities have very serious problems. They should be provided proper facilities and for that purpose Universities' Act should be suitably amended.

There should be proper rules in the educational field and they should be promptly implemented. It is demanded that there should be constituent colleges in the States, but there is no principle for that. The Constituent Colleges are established on account of political pressures and tactics, but old colleges such as Commerce College, Patna; B.S. College, Danapur; Ramakrishna College, Madhubani and Samastipur College have not been accorded the status of the Constituent Colleges.

Unless the Education policy is radically changed, problem is not going to be solved. The unrest among students is on account of growing unemployment among the educated people. The students should be provided education at lower costs. Cheaper boarding and lodging facilities should also be provided them.

Shri Y.P. Mandal (Samstipur) : The amendments incorporated in the Bill are commendable.

I would like to put before you some of the recommendations of the committee of Members of Parliament on higher education, formed under the chairmanship of Shri Sapru. In Recommendation No. 10, they have said :-

"Importance of education of women cannot be over-emphasised. Women hold the key to the future progress of the country....." Under Recommendation No. 11, it has been stated :

"We, of course, assume that there will be no complete divorce in these institutions between humanities and sciences."

In this scientific age, if we want to progress in the field to Science and technology, we would have to spend more on laboratories and on Science Colleges.

Recommendation No. 15 of the Parliamentary Committee states :

"One way in whichC the entre can play e greater part in promoting higher education is to establish at least one Central Institution of the highest standard in every State to serve as an example to other educational institutions in the States."

If Govt. gives some weight to the above recommendation of M.Ps.' Committee Report, it should take over Patna University. The Patna Science College is in a very miserable condition, which could be given a status of Central University or Central Institution under Recommendation No. 15 of the Committee.

It would appear from the appendix No. 3 to the U.G.C. Report for the year 1965-66 that Bhagalpur, Bihar and Patna Universities were given smallest amounts as grants for laboratories and buildings. Same is the case with the reports for the years 1966-67 and 1967-68.

North Bihar has 25 million population, but there is only one University. In reply to an unstarred question on dated 13th December, 1968, Shri Bhagwat Jha Azad, the then State Minister in the Ministry of Education had stated that the demand for setting up of Mithila University is under consideration. The Kameshwar Singh Sanskrit University should be modernised and merged with the new Mithila University. The then Education Minister, Dr. Triguna Sen had assured us that twenty crores of rupees would be spend on develop ment of Hindi, but nothing has been done so far. The economic backwardness of Bihar can be removed, if education is provided to the masses.

There is wide spread unrest and indiscipline among the students all over the world. The students should be provided the facilities of N.C.C., libraries and cultural activities. All the Ministries of the Govt. of India should co-ordinate among themselves to find out ways and means to check growing unemployment among educated youths.

Our education and examination system is out-dated. The examination system should be re-oriented so as to check wide-spread mismanagement at the Examination halls.

There is one Nirmali College attached to Bhagalpur University, in which the ch ildren of the poor people come for their studies. Such colleges should be given special assistance. Similarly, Jhajharpur, Samastipur, Mohanpur, Ramakrishna, Madhubani Colleges attached to Bihar University should get special grants.

*श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक और तीन वर्षों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन सभा में चर्चा के लिये रखे हुये हैं। विधेयक में नियमित उपबन्धों से मैं असहमत हूं अतः मैं विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं।

इस विधेयक में आयोग के ढांचे में कुछ उग्र परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है, इससे सरकार मनोनीतों को अधिक अधिकार मिले हैं। जहां तक हमारा कटु अनुभव है, सरकारी अधिकारी लोग जो कि अपने विशाल अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, ऐसा करना उनके लिये उचित नहीं है।

*मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

*English translation of the speech delivered in Kannada.

हम विधेयक तथा तीनों प्रतिवेदनों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं ससे स्पष्ट है कि हम शिक्षा को कितना कम महत्त्व दे रहे हैं ।

सरकार ने 1968-69 वर्ष में शिक्षा के लिये 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जबकि देश की जनसंख्या 50 करोड़ है, शिक्षा के लिये बजट में दी गयी यह धनराशि बहुत ही कम है तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की अवश्यकतायें इस धनराशि से पूरी नहीं होंगी ।

जहां तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों का सम्बन्ध है, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षाओं के मध्य उचित पारस्परिक सम्बन्ध नहीं है । जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी करके आता है तो वह अपने आपको समाज के अनुकूल नहीं रख पाता है ।

वर्तमान शिक्षा का ढांचा इस प्रकार का है कि कुछ लोग ही उच्चतर शिक्षा पा सकते हैं तथा लोगों के आर्थिक स्तर और अंग्रेजी ढंग की शिक्षा प्रणाली ने दो वर्ग बना दिये हैं । शिक्षण संस्थाओं तथा लोगों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होने से भी शिक्षा उन्नति नहीं कर सकती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन संयुक्त स्टाक कम्पनियों के प्रतिवेदनों की तरह है जिनमें केवल आय-व्यय का ब्यौरा दिया गया है ।

दुर्भाग्य से आयोग के प्रतिवेदनों का एक अस्पष्ट स्वरूप है । यदि देश प्रगति करता है तो विद्वान प्रोफसरों द्वारा जो कि विद्यार्थियों के विचारों को एक मोड़ दें सकते हैं उन पर उत्तरदायित्व है । इन प्रतिवेदनों में विश्वविद्यालयों को किस ढंग से काम करना चाहिये इसका कोई उल्लेख नहीं है । इसलिये एक वास्तविक शिक्षा सम्बन्धी नीति होनी चाहिये और आने वाले दो दशकों के दौरान कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त सापेक्ष महत्त्व की एक योजना लागू की जानी चाहिये ।

उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के लाखों छात्र हैं जो विभिन्न विषय लिये हुये हैं । क्या यह नितान्त आवश्यक नहीं है कि विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिये वास्तविक मूल्यांकन किया जाये ताकि देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके ? सरकार ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है ।

शिक्षा के मामले में हम पूरी तरह से ब्रिटिश प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं । लोक-सभा और उच्च न्यायालयों से लेकर पंचायतों तक इस प्रणाली का अनुसरण हो रहा है । हम अंग्रेजी के दास हैं । यह उत्साह भंग करने तथा निराश करने वाली बात है । अंग्रेजी को शिक्षा के प्रत्येक स्तर से हटाई जाकर उसके स्थान पर प्रादेशिक भाषायें पढ़ाई जानी चाहियें ।

आज देश में विद्यार्थियों में असंतोष व्याप्त है । विश्वविद्यालयों को इस विद्यार्थी जगत की समस्या को सुलझाना चाहिये तथा अधिक उपाधियां वितरित नहीं करनी चाहियें । केवल जीवन में सार्थक सिद्ध हों ऐसी उपाधियां दी जानी चाहिये ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है परन्तु कृषि विज्ञान को शिक्षा देने के सम्बन्ध में बहुत कम महत्त्व दिया गया है । कृषि पुराने ढंग से की जाने के कारण उत्पादन बहुत कम होता है जबकि लाखों लोगों का पोषण करना है तो यह बहुत आवश्यक है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो कि वैज्ञानिक ढंग तथा प्रशिक्षण-प्राप्त कृषि विज्ञान स्नातकों द्वारा किया जा सकता है ।

यदि शिक्षा जगत में व्याप्त बुराइयों को तुरन्त दूर नहीं किया जायेगा तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं । हमें देश की आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लम्बी अवधि की शिक्षण योजना बनानी चाहिये तथा इसे उत्साह पूर्वक लागू करना चाहिये ।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि प्रादेशिक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि देश में प्रगति हो ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : इन संशोधनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मूल प्रवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा केन्द्रों को शिक्षित लोगों की देख रेख में छोड़ा जाना चाहिये । वाणिज्य अथवा उद्योग के प्रतिनिधियों का इस क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । परन्तु हमारे देश में इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं मिलता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्र की सेवा करता रहा है । सरकार से जो धनराशि प्राप्त होती है यह आयोग उसे विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध विद्यालयों को देता है । इस आयोग को सरकार के विभाग के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये वरन एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना चाहिये । आयोग को हमारी शिक्षा सम्बन्धी अनेक समस्याओं को हल करना चाहिये । प्रतिवेदन से केवल धन वितरण का उल्लेख किया जाता है । केवल धन राशि देने से ही शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें नहीं सुलझ जायेंगी । शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के प्रति आयोग ने क्या कदम उठाये हैं, प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं मिलता है ।

यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास धन राशि की कमी है । सरकार को शिक्षा प्रसार तथा शिक्षा समस्या को सुलझाने के लिये अधिक धन राशि देनी चाहिये ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है । उनमें इस तरह की वृद्धि होना आवश्यक भी है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है । छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालयों की वर्तमान संख्या बहुत ही अपर्याप्त है । हमारे देश में कम से कम 250 या 300 विश्वविद्यालय होने चाहियें । यह कहना सही नहीं होगा कि विश्वविद्यालयों का विस्तार करने से शिक्षा का स्तर गिर जायेगा । यदि देश में छोटे छोटे विश्वविद्यालय अधिकतम संख्या में होंगे तो वे शिक्षा के स्तर को बनाये रखेंगे । परन्तु विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार द्वारा समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये । हमें पता नहीं है कि विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध के लिये कौन उत्तरदायी है ।

अधिक विश्वविद्यालय होने से शिक्षा का स्तर ही ऊंचा नहीं उठेगा अपितु विश्वविद्यालय छात्रों के मध्य अनुशासनात्मक भावना के विषय में भी आश्वासन देंगे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करके इस समस्या को हल करना चाहता है । वह नये-विश्वविद्यालय खोलना नहीं चाहता । उनका कहना है कि प्रवेश समिति संख्या में होने चाहियें । यह एक अच्छा विचार है इसके साथ ही युवकों और युवतियों को जीवन के उपयोगी अवसरों में लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये । अतः अधिक व्यवसायिक संस्थायें होनी चाहियें अन्यथा देश में आवारा लोगों की एक फौज बन जायगी ।

देश में आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिये । जितना हम यह चाहते हैं कि हमारे युवक और युवतियां विज्ञान एवं तकनीकि शिक्षा प्राप्त करें उतनी ही हमें यह भी इच्छा रखनी चाहिये कि वे इसी अनुपात में मानवशास्त्रों का भी अध्ययन करें।

छात्र अनुशासन की समस्या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है और इसे उसी आधार पर हल किया जाना है । देश में शिक्षित बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है । हमारे राज्य के वित्त मंत्री ने बताया है कि चौथी योजना के अन्त तक केवल इसी राज्यों में बेरोजगारों की संख्या 14 लाख हो जायेगी । स्वभावतया युवक और युवतियों में असंतोष फैल रहा है। अतः शिक्षा मंत्री को योजना निर्माताओं

से यह कहना चाहिये कि योजना में जनशक्ति के लिये बजट की व्यवस्था हो । योजना इस प्रकार बनायी जानी चाहिये कि उठती हुई पीढ़ी को व्यवसाय तथा रोजगार मिल सके ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : श्री हेम बरुआ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्दर विभिन्न पेशे---उद्योग, व्यवसाय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करने का विरोध किया है । मेरा विचार यह है कि इस संशोधनकारी विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक प्राधिकार देना है जिससे यह उस कार्य को पूरा कर सके जिसके लिये इसकी स्थापना की गयी है ।

श्री हेम बरुआ ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालयों तथा समाज के सम्मुख सब से बड़ी समस्या यह है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है । वास्तव में इस अनुशासनहीनता का उन लोगों की निराशा से सीधा संबन्ध है जो डिग्री प्राप्त करके विश्वविद्यालयों से आ रहे हैं या आने वाले हैं । वे इसलिये यह सुनिश्चित करना एक अच्छा अनुभव होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नया रूप दिया जाय जिससे यह उद्देश्य को पूरा करने में अधिक प्रभावशाली हो ।

शिक्षा आयोग सप्रू समिति के नाम से विख्यात संसद् सदस्यों की समिति तथा लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पर्याप्त धनराशि तथा प्राधिकार दिये जायें जिस से वह देश के समूचे शिक्षा कार्यक्रम में ताल-मेल लाने का काम कर सकें । एक ओर हम विश्वविद्यालयों को स्वायत बनाना चाहते हैं दूसरी ओर देश के शैक्षिक नीति निर्देशन के लिये केन्द्र को उत्तरदाई ठहराते हैं । वादविवादों में अनेक बार यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाय । शिक्षा आयोग प्राक्कलन समिति एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि यह किसी सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न नहीं है बल्कि एक ऐसे वातावरण को पैदा करने का प्रश्न है जहां विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जाये तथा वे अनुदान दिये जाये जो इसे भारत सरकार से प्राप्त होते हैं ।

(श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए)

(Shri K. N. Tiwari in the chair.)

जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है इस समय शर्त यह है कि संबन्धित संस्थान अथवा विश्वविद्यालय को तुल्य अनुदान देना चाहिये । सामान्य तौर पर यह 20 प्रतिशत होता है और कभी-कभी यह 50 प्रतिशत होता है । तुल्य अनुदान की शर्त नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक महिला शिक्षा एवं छात्रकल्याण कार्यक्रम का सम्बन्ध है इस कार्य के लिये आयोग द्वारा सीधे अनुदान दिये जाने चाहियें । इस आधार पर यदि अनुदान दिये जाते हैं तो इस देश में महिला शिक्षा का अधिक विकास कर सकना संभव होगा । समुचित ध्यान न देने और पर्याप्त धन की कमी के कारण हम उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सके हैं ।

शिलांग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिये । केन्द्र सरकार इसके लिये बचनबद्ध है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इसका अनुमोदन किया है लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह अभी तक स्थापित नहीं किया गया है । इस बीच आसाम की विधान सभा और मेघालय विधान सभा ने संकल्प पारित किये हैं, जिनमें केन्द्र को आवश्यक विधान पेश करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । अतः अनुच्छेद 252 और अनुसूची 1 के प्रविष्टि 63 के अन्तर्गत विधेयक शीघ्र पेश किया जा सकता है यदि इसे राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था बनाना चाहें । यदि उसकी इच्छा हो तो शिलांग का विश्वविद्यालय एक विशेष महत्त्व की संस्था बनायी जा सकती है ।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में शिक्षित बेरोजगारी के विषय में कुछ कहा गया है लेकिन उसमें सावधान रहने की सलाह दी गयी है। शिक्षा मंत्री इस देश में छात्रों की जिम्मेदारी ले सकते हैं और उन्हें वर्तमान आपदाओं से बचा सकते हैं। हमें दुख होता है जब लोग बिना कारण जाने ही छात्रों को समस्त मुसीबतों के लिये दोषी ठहराते हैं। हमें इससे छुटकारा पाने का उपाय खोजना है। जब तक हम छात्रों की समस्याओं पर उदारतापूर्वक तथा बुद्धिमानी से विचार नहीं करेंगे तब तक हम उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। यह समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ही न निकाला जा सके। यदि समस्त समाज एवं राजनैतिक पार्टियां सहयोग के साथ इस समस्या को सुलझाने का संकल्प करती हैं और सरकार द्वारा आवश्यक धन राशि दी जाती है तो निश्चित ही समस्या का हल निकाला जा सकता है।

श्री नी० श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : हमारे देश में, शिक्षा एक बहुत ही उपेक्षित विषय रहा है। कोई भी उसका उत्तरदायी लेने को तैयार नहीं है। यह विषय केन्द्रीय मंत्रालय का नहीं है। वे कहते है कि यह समवर्ती सूची में है। उच्चतर शिक्षा का विषय राज्य सरकारों का नहीं है। राज्य सरकारों का विचार है कि इस विषय का सम्बन्ध विश्वविद्यालय और केन्द्रीय मंत्रालय से है। देश के भविष्य की ओर ध्यान दिये बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मंत्रालय और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नये परीक्षण किये जा रहे हैं।

हर समय नये नियम बनाये जा रहे हैं। जहां तक केरल का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया है कि दो और विश्वविद्यालय और मालाबार विश्वविद्यालय होने चाहियें। अब मन्त्री महोदय ने कहा है कि वहां कोई भी नया विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जायगा। पहले लिये गये निर्णय को इस प्रकार बदला नहीं जाना चाहिये।

राज्य, शिक्षा सम्बन्धी अपने अधिकारों को केन्द्रीय सरकार को समर्पित करने की सम्भावना पर विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य वश हिन्दी के कट्टर समर्थक केन्द्र पर छाये हुये हैं। उत्तरी भारत के लोग दक्षिणी भारतवासियों पर अधिपत्य जमाना चाहते हैं, इस पर वे आपत्ति उठाते हैं। इस लिये भाषा विज्ञान सम्बन्धी किसी सिद्धान्त के आधार पर कोई समझौता हो सकता है।

तमिलनाडु के लोग भी भाषा संबंधी कट्टरता के लिए प्रसिद्ध हैं। श्री कन्डप्पन के विचारों से मैं सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि हमें विज्ञान व तकनीकी विषयों में समान शब्दावली नहीं चाहिए। मेरा मत है हमें समान पारिभाषिक शब्दावली, समान अंकन पद्धति और समान तकनीकी शब्दावलियों की आवश्यकता है। अगर शिक्षा मंत्रियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों, सेनट और सिंडिकेट के सदस्यों की कोई बैठक बुलाई जाए तो वे सब इस बात से सहमत होंगे कि हमें पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी शब्द चाहिए। ये शब्द अंग्रेजी के होने चाहिए। विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में विभिन्न शब्दावली प्रचलित है, तो तकनीकी विद्यार्थियों और विज्ञान के विद्यार्थियों को आपस में इन विषयों पर विचार विमर्श करने में कठिनाई होगी। अतः कम से कम विज्ञान व तकनीकी विषओं में समान शब्दावली प्रचलित होनी चाहिए। कट्टर हिन्दी के पक्षपाती लोग फिर भी अगर इस के विरुद्ध आवाज उठायेंगे, तो या तो हमें उन से सदा के लिए अलग होना पड़ेगा या अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जी जान से लड़ना पड़ेगा।

जैसा कि कहा जा चुका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान का अधिकांश हिस्सा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। उसके बाद इधर-उधर कुछ विश्वविद्यालय को बाकी हिस्सा बांट दिया जाता है। यह बिल्कुल अनुचित प्रणाली है। अनुदान देने के संबंध में कुछ कानून बनाया जाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामने शिक्षा का स्तर उठाने और शिक्षकों के सेवा स्तर उठाने की कई योजनाएं हैं। मगर वे इस समस्या पर पूरी तौर से विचार नहीं करते। आयोग सारे विश्वविद्यालयों को लिखता है कि केवल पहले पांच साल तक अनुदान देंगे। उसके बाद क्या होगा इसके बारे में किसी ने विचार नहीं किया केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों की सहायता करने में क्या कठिनाई है? कोठारी आयोग की सिफारिशों के नाम पर आप कसमें खाते हैं। मगर इस पर अमल की दिशा में क्या कदम उठाया गया? यह सच है कि शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि होनी चाहिए और उन पर आज जो अतिरिक्त भार लगा हुआ है, उसे कम करना चाहिए। मगर इस के लिए आवश्यक धनराशि कहां से प्राप्त होगी? इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी ऊंचा किया जाना चाहिए। इन सारी बातों पर खूब विचार किया जाना चाहिए।

अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विभिन्न विश्वविद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है और केन्द्रीय सरकार का भी राज्यों के विश्वविद्यालयों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। हर विश्वविद्यालय अपनी अलग स्वायत्त शासन कायम करना चाहता है। ऐसी हालत में शिक्षा को योजनाबद्ध एवं नियंत्रण के अधीन कैसे लाया जा सकता है? अतः सारे विश्वविद्यालयों के लिए समान कार्य सूत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में जैसा कि मैं ने पहले कहा एक उच्चस्तरीय सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक है।

शिक्षा के माध्यम के संबंध में हर राज्य अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें केन्द्रीय सरकार अपना कोई निर्णय किसी राज्य सरकार पर थोप नहीं सकती। फिर भी मैंने एक बार कहा था कि हमारा विश्वविद्यालय आखिरी विश्वविद्यालय होगा जो मलयालम को शिक्षा का माध्यम बनाएगा। मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा कभी न हो। एक बार ऐसा किया गया तो विभिन्न राज्य के लोग अपने तंग कठघरे में बन्द हो जाएंगे। आपसी मेल जोल प्रायः असंभव हो जाएगा और हम अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति से अलग हो जाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि हमें इस विषय में सहिष्णुता से और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। इस विषय में एक निर्णय करने के लिए सारी लोकतंत्रात्मक शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे हिन्दी को राज भाषा के रूप में थोप देने की कोशिश न करे। तभी हम शिक्षा का स्तर ऊंचा रख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी शिक्षा के ढांचे में एक रूपता ला सकते हैं।

श्रीमति इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) :– सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं, क्योंकि इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं। मगर आजकल कुछ ऐसी बातें शिक्षा संस्थाओं में हो रही हैं जो देश की जनता के दिलों को गहरा आघात पहुंचा देती हैं।

उत्तर-बंगाल के विश्वविद्यालय में नेपाली को अध्ययन का एक विषय बनाया गया है। नेपाली भाषी लोगों की मांग यह है कि नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में रखा जाए। 1961 की जनगणना के अनुसार नेपाली भाषी लोगों की कुल संख्या 10,22,210 है। इस भाषा का अपना साहित्य है अपनी समृद्ध संस्कृति है। इन लोगों की मांग सर्वथा उचित है और मेरा विश्वास है कि नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और एक बात इस विश्वविद्यालय के बारे में कहना यह है कि यह आजकल बंद किया गया है। जादवपुर विश्वविद्यालय भी आजकल बंद है। बंगाल इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी बंद है। दुखी हृदय से मैं कहती हूं कि वहां राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जा रहा है। महात्मा गांधी, टैगोर आदि देश के नेताओं की पुस्तकों और उन के चित्रों को दिन-दहाड़े जलाया जा रहा है। किसी भी शिक्षा संस्था को इस प्रकार के कुत्सित

कार्यों में तटस्थता की भूमिका अदा करना शोभा नहीं देता । मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार इन मामलों में सख्ती से काम करे और राष्ट्रीय झंडा और देश के नेताओं का अपमान करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे ।

दूसरी बात यह है कि अब अनुदान आयोग द्वारा छात्र कल्याण और महिलाओं की शिक्षा के लिए जो रकम दी जाती है, वह पूर्ण रूप से अनुदान के रूप में हो । शिक्षकों के वेतन के लिये आयोग जो अनुदान देते हैं, वह मौके पर नहीं मिलता । अत: आयोग को इस पर जरा ध्यान देना चाहिए ।

महिलाओं की शिक्षा में विकास हेतु आयोग ने अब तक जो कुछ किया है, वह अपर्याप्त है । यहां महिलाओं को सचमुच देवी माना जाता है । वे पूज्य मानी जाती हैं । मगर उन की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । हमारा कृष्णनगर महिला महाविद्यालय बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है । उसमें पर्याप्त जगह नहीं है । इसको किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता क्योंकि मैचिंग अनुदान करने की मांग की गई है । मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस महाविद्यालय की ओर आकर्षित करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि वे इस पर उचित रूप से विचार करें।

नब द्वीप में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने के संबंध में बहुत पहले से ही विचार किया जा रहा था, नब द्वीप जोकि नव्य न्याय के लिए प्रसिद्ध है । संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए सर्वथा योग्य है । वैसे भी संस्कृत पाठ्यक्रम बहुत विशाल, समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण है । मेरा विचार यह है कि अगर हम सारे विश्वविद्यालयों में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम रखेंगे तो आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से जो असंतोष की लहरें फैलती दिखाई पड़ती हैं, उसे काफी हद तक दूर किया जा सकता है ।

अंत में मैं कहना चाहती हूं कि शिक्षा किसी प्रकार के काम से संबंधित होनी चाहिए । खासकर यह बंगाल में अनिवार्य सा हो गया है । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में आश्वासन देंगे । मैं आशा करती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अधिक शक्तिशाली बनेगा और छात्रों के कल्याण और महिलाओं की शिक्षा के लिए शीघ्र अनुदान देगा ।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Chairman, Sir, I come from a region where there is absolute harmoney between the east and the west. Since a long time, Goa has been trying to assimilate the good aspects of what is coming from the west and also contribute enormously to the western civilisation. Goa is rich in its music, dance and architecture. When Portuguese was the national language and medium of instruction in Goa, various foreign languages *viz.* Spanish, French, etc. were taught there. As a result the people of Goa became wellversed in some of the major foreign languages. Now in order to boost the knowledge of foreign languages, we want a university in Goa. The hon. Minister told the other day that in the immediate future, there is not any possibility of any university being established. But the university we propose is entirely different from the stereotyped universities. In our university we will encourage art, architecture, music, etc. We will encourage the study of foreign languages. We want a university in Goa which will be in conformity with the peculiar characteristics of Goa and the special mind of the people. When a college is built up somewhere near Bhilai or Dhanbad, special attention will be given to the study of minerals and metals there. Likewise, taking into consideration the special features of Goa, a marine engineering college will be of greater importance there. Similarly, a university for foreign studies is also an imperative in Goa. If it is established, we can contribute efficient men to our external affairs service. Now what is going on is that most of our people working in our embassies in various foreign countries do not know many of the foreign languages except English. This defect should be rectified.

I make a fervent appeal to the Minister that, whatever suggestions I have putforth in regard to the university, may be given top priority.

Shri C. M. Kedaria (Mandvi) : Mr Chairman, Sir, I rise to oppose the Bill introduced by the minister. There is nothing in the Bill that can be appreciated. In the sub clause (a) of clause (2) it is stated that two officials of the University Grants Commission will be nominated by the Central Government and in clause (3) it is stated that there will be three permanent members, and one chairman. On the whole there will be twelve members out of which six members will act only according to the whims of the Central Government. They say that U.G.C. is an autonomous body, but as the things are standing now, it is nothing but a bureaucratic body and this will do nothing but play second fiddle to the tune of the Central Government. Therefo re, I would urge the Government to keep its autonomous character restored.

A number of commissions have been set up to go into the matters of education. The final commission was set up under the chairmanship of Dr. Kothari. The commission has given valuable recommendations. One of the recommendations was regarding the introduction of mother tongue as medium of instruction in schools. But the Government did not make any effort to implement any of them hither to. Hence my request is that the recommendations of Dr. Kothari may be implemented forthwith. Similarly Mahatma Gandhi in his life time emphasised on basic education. My view is that the whole education system should be reorganised accordiing to the spirit of basic education. By this we can ward off the evils by and large that is prevailing in our present educational. The examination system also should be changed and this should be improved so as to go in tune with the changing needs of the time.

The living condition of our villagers is deplorable. Especially the Adivasees are living in even more unpleasant predicament. I appeal to the Minister to give ample attention towards the education of the helpless Adivasees and uplift them from the wretched condition. The Government should give more and more money and other facilities to them and thereby check the growing illitracy that has assumed formidable proportions among them. One other thing which I want to bring to the notice of the Government is that the U.G.C. is not giving adequate fund to universities to carry out research works on a large scale. The Minister seems to be some what allergic against the deemed universities. I would like to request the Minister to carry out his responsibility in this regard. The Government should give aid to these universities where our younger generation gets enlightenment and guidance.

Thank you.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक से संबंधित तीन-चार बुनियादी समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड (4) में कहा गया है कि "आयोग किसी ऐसे विश्वविद्यालय को जो कि 1968 के विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद, आयोग की और केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित किया गया हो, अनुदान नहीं प्रदान करेगा।" क्या यह एक स्थायी प्रतिबन्ध है ? यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी शर्त निर्धारित करना आवश्यक था जिसके आधार पर विश्वविद्यालय, जो कि केन्द्रीय सरकार या अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित हुआ है, किसी भी प्रकार के अनुदान के लिए हकदार होता है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शामिल नहीं किया गया। जब यह विधेयक पहले राज्य सभा में लाया गया, तो सप्रू समिति का प्रतिवेदन सरकार के पास था। उसमें कहा गया था कि उपकुलपतियों को आयोग में शामिल नहीं किया जाना

चाहिए, क्योंकि वे हमेशा अनुदान में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसके बाद कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैं कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या 343 से एक उद्धरण पेश करना चाहता हूं।

इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद उपकुलपति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नहीं बन सकेंगे और उनके अधीन कार्य करने वाले प्राध्यापक सदस्य बनने के पात्र होंगे। इस प्राकर उनके बीच एक प्रकार का संघर्ष चालू हो जाएगा। माननीय मंत्री स्वयं कई वर्षों तक विश्वविद्यालय के उपकुलपति रह चुके हैं और भली प्रकार जानते हैं कि उपकुलपति को सदस्यता से वंचित करने और एक प्राध्यापक को सदस्य बनाने से क्या परिणाम निकलते हैं। इस विधेयक में सिमस्टर प्रणाली के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने तीन वर्ष के डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी, परन्तु वह प्रणाली अधिक लोकप्रिय नहीं रही। अब यदि सिमस्टर प्रणाली अपनाई जानी है तो परीक्षाएं ठीक समय पर लेना बहुत आवश्यक है। इस पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए।

वर्ष 1968-69 के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम तो वास्तव में बहुत पहले के प्रतिवेदनों पर विचार कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट में धन के अभाव का रोना रोया गया है। कार्यों के पूरे न होने का यही कारण दिया गया है। हमारे देश में 78 विश्वविद्यालय हैं और 10 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालयों को देने के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की दिशा में बहुत धीमी प्रगति हो रही है। इसमें शीघ्रता लाई जानी चाहिए।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : I am happy that Dr. Rao is keen on providing more money to the University Grants Commission. It would be better if U.G.C. is divided in five parts. Each part should look after the task assigned to it. The parts should be as I am going to state. Firstly, one part should be for the promotion of study of science in Universities. Secondly, the Engineering Colleges should be attached on one of the parts of U.G.C. It will help in increasing the production of engineering goods. Thirdly, the U.G.C. should set up one University which should teach the lessons of good human behaviour. We hear the talk of secularism and unity every day, but things contrary to this are happening daily. The fourth wing of the U.G.C. should look after the teaching of items relating to industries. Finally the fifth part should be to look after the education of agricultue.

They say that they are short of money. It will be so, because our Ministers are white elephants. Large amounts of money are being spent on them. This expenditure should be curtailed. We should revive the Gandhian principles.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि इस चर्चा का पूरा रिकार्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को भेजा जाएगा ताकि माननीय सदस्यों के विचारों से आयोग को अवगत कराया जा सके।

मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि आयोग के अध्यक्ष केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होंगे। इस बारे में मेरे से पहले के शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था। अब भी इसमें ऐसी ही व्यवस्था है।

श्री कंडप्पन ने हिन्दी भाषा में जो रुचि दिखाई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है और न ही उनकी मातृ-भाषा हिन्दी है। फिर भी उन्होंने एक हिन्दी भाषी की एक विज्ञान सम्बन्धी पत्रिका के प्रकाशन न होने के कारण जानने चाहे हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*.]

यह पत्रिका यूनेस्को की पत्रिका है। वास्तव में इसके प्रकाशित न होने का कारण छापेखाने में कोई गड़बड़ है। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दी का प्रसार दिनों-दिन बढ़ रहा है। मैं पता चलाऊंग कि उक्त हिन्दी पत्रिका को प्रकाशित करने के मार्ग में क्यां बाधाएं हैं और पत्रिका प्रकाशित कराई जाएगा। साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् 'विज्ञान प्रगति'नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करती है। यह बहुत लोकप्रिय पत्रिका है। इसकी परिचालन संख्या बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय भाषाओं का समर्थक हूं।

शिक्षा के माध्यम के बारे में अनेक सुझाव दिए गए हैं। एक-दो माननीय सदस्यों ने तो अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव भी दिया है। डा० सन्तोषम् ने तो क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने को एक दुख की बात कहा है।

मैं भारत सरकार की इस बारे में नीति को दोहराना चाहता हूं। भारत सरकार धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषाओं को लाना चाहती है। हो सकता है कि कुछ विश्वविद्यालय इस कार्य में शीघ्रता न लाएं। देश के कुल लगभग 78 विश्वविद्यालयों में 52 विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को एक अथवा दो कोर्सों के लिए शिक्षा का माध्यम बना लिया है। कुछ में यह विद्यार्थियों की पसन्द पर छोड़ दिया गया है। आयोग इस बारे में भाषा विभागों की स्थापना कर रहा है। चौथी योजना में भाषाओं की पुस्तकों के लिए एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसी पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं जिनका अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में कराया जाएगा। कुछ समय तक हमें अनुवादों पर निर्भर करना पड़ेगा। मौलिक पुस्तकों के लेखन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैसे अनुवाद भी एक कला है। हम अच्छे अनुवादक नियुक्त करेंगे। वे प्रथम श्रेणी वाले एम० ए० होंगे। बाद में उन्हें अच्छे वेतनमान देकर कालेजों में शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। भाषा के कारण हम स्तर को गिरने नहीं देना चाहते। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी को हटाने से देश को लाभ नहीं होगा। अंग्रेजी में ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं मिलतीं।

वैसे मैं मानता हूं कि मातृ-भाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। साथ में देश में सम्पर्क स्थापित किए रखने की भी समस्या है। इसीलिए हमने त्रिभाषी सूत्र बनाया है। दक्षिण के भाइयों को इसे स्वीकार करना होगा। तमिलनाडु के सिवाय देश के सभी राज्यों ने त्रिभाषी सूत्र अपना लिया है। मुझे आशा है कि दस वर्षों के बाद त्रिभाषी सूत्र पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। तब पूरे देश में लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। त्रिभाषी सूत्र पर अमल किए जाने पर किसी दल को मतभेद नहीं है। हमें इसे लागू करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्तरों में किसी प्रकार की गिरावट न आए। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नौकरशाही का एक निकाय बन गया है। ऐसी बात नहीं है। इसके 9 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी सदस्यों को कोई अधिकार नहीं सौंपे जाएंगे। मैं इसका आश्वासन देता हूं।

केरल में एर्णाकुलम् में विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय हो चुका है। शीघ्र ही वहां पर इसकी स्थापना कर दी जाएगी।

कुछ सदस्यों ने कुछ कालेजों में विद्यार्थियों से ली जाने वाली भारी फीस के प्रश्न को भी उठाया है। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उपकुलपतियों की बैठक और शिक्षा मंत्रालय सभी, विद्यार्थियों से इस तरह की फीस लेने के विरुद्ध हैं। हमने राज्य सरकारों और उपकुलपतियों को इस सम्बन्ध में पहले ही लिखा हुआ है। यदि उन्होंने आगामी तीन-चार वर्षों में इसे समाप्त न किया तो सम्भवतः हम उन्हें सरकारी सहायता देना बन्द कर दें। अगर आप इसे उचित समझें तो मैं विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में लिख सकता हूं।

इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने कलकत्ता में विद्यार्थियों के लिए सुविधा के प्रश्न को भी उठाया था। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि सरकार विद्यार्थियों के कल्याण और उनकी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व प्रदान कर रही है। इस वर्ष हमने तीन करोड़ रुपया विद्यार्थियों के कल्याण-कार्यों के लिए अलग रखा है। गत वर्षों में हमने डे सेन्टरों, पाठ्य-पुस्तकों, पुस्तकालयों पर जो कि कालेजों में न होकर आवासीय केन्द्रों में बनाए गए थे, ताकि विद्यार्थी वहां जाकर 10 बजे रात तक और छुट्टी वाले दिनों में पढ़ सकें तथा अन्य छात्रावासों में कुछ अन्य सुविधाओं पर भी धन व्यय किया गया है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए सर्वप्रथम मैंने एक विशेष दल वहां की कमियों और खराबियों तथा विद्यार्थियों की मांगों के उचित अध्ययन के लिए भेजा। इस महान् विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें सुधार करने के लिए हम लगभग 50 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की है। यह समिति विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करेगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे।

गोआ सरकार और कुछ सदस्यों ने एक पृथक् विश्वविद्यालय की मांग की है, परन्तु अभी मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि गोआ में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अभी हम संसाधनों के अभाव तथा कुछ अन्य कारणों से कोई भी नया विश्वविद्यालय खोलने के पक्ष में नहीं हैं। यद्यपि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि गोआ में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा के लिए भी एक विशेष क्षेत्र है। हम चाहते भी हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे केन्द्र हों जहां विदेशी भाषाओं की योग्यता प्राप्त की जा सके। मैं यह देखने का भरसक प्रयत्न करूंगा कि गोआ में शैक्षणिक सामग्री और शैक्षिक सुविधाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि वह अपना सकें और गोआ के संघीय क्षेत्र की सीमा के बाहर भी जा सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समाप्त कर उन्हें राज्य सरकारों को सौंपने की बात कही है। साथ ही श्री कण्डप्पन ने यह भी कहा है कि हमें सारा धन 78 विश्वविद्यालयों में विभाजित करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक के हिस्से में कितना धन आएगा? यदि हम ऐसा करें तो क्या भला राज्य सरकारों का बोझ और नहीं बढ़ जाएगा?

जहां तक ग्रामीण शिक्षा का सम्बन्ध है, इसके लिए हमारा शिक्षा मंत्रालय बहुत चिन्तित है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि करने के बहुत इच्छुक हैं। हमारे यहां अनिवार्य रूप से ग्रामीण विश्वविद्यालय होने चाहिएं परन्तु हमें उन्हें अधिक से अधिक व्यावसायिक रूप देना चाहिए। हम चाहते हैं कि उनमें अधिक तकनीकी शिक्षण हो, उनमें अधिक कृषि सम्बन्धी शिक्षा हो, उनमें बहुत अधिक ऐसी शिक्षा दी जाए जो आत्मनिर्भरता और श्रम के आदर करने की शिक्षा देगी और उन्हें ग्रामीण समुदाय से विमुख नहीं करेगी जिसके साथ उनका सम्बन्ध है। अभी हाल ही में ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की एक बड़ी योजना की घोषणा भारत सरकार ने की है। इस योजना के अन्तर्गत 10,000 छात्रवृत्तियां माध्यमिक विद्यालय स्तर पर दी जाएंगी। यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए होंगी। आने वाले वर्षों में इन छात्रवृत्तियों की संख्या 40,000 हो जाएगी। इसके साथ ही हम राज्य सरकारों को उनकी अपनी छात्रवृत्तियां जोड़ने के लिए भी उत्साहित कर रहे हैं।

यह सत्य है कि रोज़गार की समस्या के सम्बन्ध में कोई भी शिक्षाशास्त्री यह नहीं कह सकता कि उसका रोज़गार के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यह ठीक है कि वह रोज़गार तो पैदा नहीं कर सकता परन्तु रोज़गार प्रधान शिक्षा की व्यवस्था अवश्य कर सकता है। वह ऐसी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है जिससे कि उद्योगों की स्थापना हो सकती है जिससे स्वयं रोज़गार की स्थापना हो सकती है जो ऐसे लोग उत्पन्न कर सकती है जो किसी भी किस्म का कार्य करने के इच्छुक होंगे। वास्तव में हम इस वर्ष विभिन्न मार्गदर्शी योजनाओं को, शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने जा रहे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहयोग से दिल्ली की तरह का एक व्यावसायिक अध्ययन स्थान कलकत्ता विश्वविद्यालय में खोला जाएगा ताकि दिल्ली तथा कलकत्ता दोनों में ही व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे।

श्री रणधीर सिंह ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में विद्यार्थियों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परन्तु मेरा इस सम्बन्ध में यही निवेदन है कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रतिनिधित्व देने से पहले हमें स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

जहां तक बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों के भागों से "हिन्दू" तथा "मुस्लिम" शब्दों को हटाने का प्रश्न है इसके लिए पहले ही एक प्रयास किया जा चुका है। यह प्रयास इसी सभा में विरोध होने के कारण ही छोड़ा जाता रहा है। जैसे ही सारे राजनीतिक दलों तथा इस सभा के दल शब्दों को हटाने के लिए राज़ी हो जाएंगे तो इन दो विश्वविद्यालय के सदस्यों को यह स्वीकार करवाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

अब रहा विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालयों का प्रश्न। हमें अनुभव करना चाहिए कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का आरम्भ एक विद्यालय के रूप में हुआ था। केवल ढांचे में एकरूपता लाने के लिए हम हिंसात्मक ढंग से परम्परा को तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। हमारे किसी भी नए विश्व-विद्यालय के साथ विद्यालय नहीं है, परन्तु जिन विश्वविद्यालयों में यह पहले से ही विद्यमान है, जहां उनके परम्परागत रूप से विद्यालय है हम उनमें कोई बाधा नहीं डालना चाहते।

जहां तक प्राइवेट विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाएं देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं इसी अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत करने वाला हूं जिसके अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को प्राइवेटली परीक्षा देने का अधिकार दे देगा। अन्य विश्वविद्यालयों से भी ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाएगी।

जहां तक एशियाई देशों का भारत में अध्ययन तथा भारतीय अध्ययन का अन्य देशों के बारे में मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हम दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के मित्रों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए इच्छुक हैं। इस उद्देश्य से मैंने इन देशों के सांस्कृतिक मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा है या फिर इसके लिए कुछ अन्य तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। **(अन्तर्बाधाएं)**

कुछ लोगों ने यह शिकायत की है कि नेशनल केडेट कोर का काम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा। इस सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा और इस बात का पता लगाऊंगा कि इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है।

कालेज खोलने की बात भी की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है और इसी आधार पर मैंने यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय आयोग के तीन सदस्य ऐसे होने चाहिएं जिनका प्रमुख कार्य ही कालेज कार्यों की देख-रेख होना चाहिए। जन-शक्ति के बारे में भी योजना बनाई जा रही है। इसके बारे में हम पूर्ण दूरदर्शिता से कार्य कर रहे हैं।

तत्पश्चात् यह प्रश्न पूछा गया कि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में व्यापारी लोगों को क्यों रखते हैं ? इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हम शिक्षा में एक विशेष व्यावहारिक दृष्टिकोण लाना चाहते हैं। वास्तव में विश्वविद्यालय स्वतः ही इन निकायों में कृषि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार तथा वाणिज्य से लोगों को ले रहे हैं। युवा व्यवसाय कार्यकारी लोग उतने ही अच्छे हैं जिनकी हम अपने जीवन में अपेक्षा कर सकते हैं। वे लोग शिक्षित हैं, दिलचस्पी रखते हैं तथा उनके पास तकनीकी हुनर हैं। विश्वविद्यालय के बारे में नीति बनाने के मामले में उनके भाग लेने से विद्यार्थियों की व्यावसायिक बनाने तथा उनमें रोजगार की क्षमता बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

जहां तक विद्यार्थियों में असन्तोष का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सभा इससे पहले ही भली-भांति परिचित है। यह देखना हम अध्यापक लोगों का काम है कि हम विद्यार्थियों में अनुशासनाहीनता को रोकने तथा विद्यार्थियों में असन्तोष को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, परन्तु विद्यार्थियों में जो कुछ भी होता है उसके लिए समाज उत्तरदायी है, क्योंकि विद्यार्थी लोग तो अपने नेताओं के पदचिह्नों पर ही चलते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों में असन्तोष की समस्या का समाधान करने के लिए अध्यापकों की अपेक्षा नेताओं का दायित्व अधिक है।

शिलांग विश्वविद्यालय के बारे में हमें मगहालाया विधान सभा का प्रस्ताव मिल गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ बातचीत हो रही है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह विश्वविद्यावय जल्दी ही स्थापित हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार में राष्ट्रयकृत बैंको की शाखाएं खोलना

Opening of Branches of Nationalised Banks in Bihar

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, this discussion is in connection with the answer of question No. 2121 dated 9th March, 1970. The Governor of Reserve Bank of India, Shri L. N. Jha had talk with Governor and Officers of Bihar Government about opening new branches of Nationalised Banks. In response to my question which was replied on 9th March, it was stated that it has been decided to open 61 Branches in Bihar. It was decided in view of the large area and its huge banking necessities. According to the figures it is proposed to open two branches in Purnima District and those too in city itself. Same is the case of Saharsa. There too only two branches are being opened. Thus from the issue of opening 61 branches it appears that Bank Officers do not want to go to villages. They do not want to go beyond districts. This involves the question of Railway line and Road.

आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour discussion.

Bihar is having 17 districts and the decision for new district has been postponed for the time being. These branches are being opened in 15 districts only. There is no plan to open even a single branch in backward area districts of Palamau and Darbhanga.

The population of Darbhanga district is 55 lakhs *i.e.*, the highest in the country, but not even a single new branch is being set up there. It is a serious matter. They had mentioned a rule that wherever there is either treasury or sub-treasury, new branch would be opened there. In connection with the unstarred Qn. No. 8410, dated 4th May, 1970, I had suggested certain places which were sub-divisional headquarters having a population of nearly two to three lakhs and sub-treasury also exists there, but it was stated in the reply that four places are being considered. No final decision has been taken so far. Madhubani is a place which is sub-divisional headquarter and treasury is also there. It is very surprising that certain districts have two branches, whereas there is not even a single branch in two districts.

The *per-capita* availability of Electricity for the whole country is 95 kW, for Bihar 73 kW for North Bihar 13 kW, whereas for Darbhanga district it is only 1.29 kW. People can not utilise electricity, if Government does not provide credit facilities by opening new branches. Keeping in view economic backwardness of Bihar, it is absolutely necessary to open new branches there. Two districts, especially Darbhanga district have been totally ignored in the matter of opening of new branches. It is merely a suggestion of opening of four new branches and that too would only be considered by the Reserve Bank of India.

People do not believe that they would get loans from the banks. Though a wide publicity has been given for applying for loans, but it is a sad that in reality even blank forms are not supplied to the farmers. I had asked the farmers and the students to gherao the banks, if forms are not supplied to them. I had also appealed to the students to fill in the blank application forms, if bank officials do not fill in them.

Some of the members have protested against the gherao of the banks, but there are certain people who do not want that the needy persons could get the loans from the banks. These selfish money-lenders charge 12% and 75% interest annually. With the help of these money-lenders some of the members have got themselves elected to this house.

It is a recognised fact that these selfish money-lenders and bank officers have connivance and that is why forms to the needy persons are not supplied. If anybody succeeds in getting the form through corrupt means, his form is ultimately rejected. Only the capitalists and the rich get the money from the banks. This money is further used for exploitation of the poor by charging heavy illegal interest.

I would urge the Government that rules should be framed to distribute forms to all either free of cost or at a nominal price. A time limit should be fixed for taking a decision on an application. The officers ask for bribery for taking a favourable decision on an application. Whenever an officer refuses to supply forms or to take immediate action on the applications, matter should be investigated at the earliest possible.

An immediate decision should be taken regarding opening of new branches and an enquiry should be ordered as to why not even a single branch was opened in an area having highest population. The banking facilities should also be provided in U.P.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : No new branch has been opened in Darbhanga and Palamau Districts. What are the reasons for not opening even a single branch in these areas? How much amount has been distributed as loans to the people through State Bank branches at headquarter and sub-division level? Would the Government consider the proposal for operation of mobile banks in the places where branches of nationalised banks could not be opened.

Have the Government prepared any scheme for having liberal terms and conditions for sanctioning loans in backward areas? Have the Government also finalised terms and conditions for sanctioning of loans to landless labourers? A certain amount of loan should be sanctioned to them on the recommendation of M.L.A. or M.P.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It is a matter of regret that only 61 branches of nationalised banks will be opened in the large State like Bihar. What is the progress in this connection ?

There is very much corruption in sanctioning of loans. The poor, even though they fulfil the terms and conditions are not sanctioned loans, whereas the rich are sanctioned loans immediately. Has the Government prepared any scheme to check the corruption prevalent in the banks?

How much amount has been sanctioned as loans to the Industrialists and the agriculturists separately? Has any time limit been fixed for taking a decision on the applications for loans?

Shri Rabi Ray (Puri) : Has the Government prepared any crash programme for opening of new branches of banks after banks' nationalisation? Government should give wide publicity through Press and Radio for acquainting the poor and the backward people about credit facilities. Government should make efforts for changing the thinking of the beaurocrat officers of the banks, so that Government's policies for helping the poor might be properly implemented.

Shri Kundu had enquired about the sanctioning of loans to the Harijans of his constituency, in reply to which Shri Sethi has stated that under the law, the State Bank of India is prohibited from disclosing such information of a confidential nature. Such a rule should be changed now, so that we may know who have got the loans. Would the Government also bring a scheme regarding opening of new schemes?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : स्पष्टीकरण के पश्चात्, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया कि इस वर्ष खोली जाने वाली लगभग 1300 बैंकों में से 75% बैंक उन स्थानों पर खोले जाएं जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

देरी से बचने और एक मानदण्ड निर्धारित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग सुविधाओं से रहित क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए 1961 की जनगणना को आधार माना और उस कस्बे में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील के हिसाब से कम से कम 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए तथा तीन-चौथाई जनता कृषि-कार्य में संलग्न नहीं होनी चाहिए और पर्यटक-आकर्षण के केन्द्र आदि होने चाहिएं। मगर रिज़र्व बैंक का यह मानदण्ड अन्तिम नहीं है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि जहां तक दरभंगा ज़िले का सम्बन्ध है, अखिल भारतीय आंकड़ों के हिसाब से यह बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। अखिल भारतीय औसत 70,000 व्यक्ति प्रति शाखा है, जबकि दरभंगा ज़िले का औसत 3 लाख व्यक्ति प्रति शाखा है।

जहां तक नई शाखाओं के खोलने का प्रश्न है, एक ऐसी नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक को कुछ ज़िले नियत कर दिए जाते हैं और उस ज़िले के लिए उस बैंक को "लीड बैंक" कहा जाता है। लीड बैंक का यह कार्य होता है कि वह उन ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करे और यह पता लगाए कि नई शाखाएं कहां स्थापित की जा सकती हैं।

बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का दुहरा लाभ है। किसानों, छोटे व्यापारियों और शिल्पियों को ऋण मिल सकेंगे और बैंकों में जमा राशि में भी बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा न हुआ, तो बैंकिंग सुविधाओं को उस प्रकार नहीं बढ़ाया जा सकता, जिस प्रकार से माननीय सदस्य चाहते हैं। गांवों में बैंकों की स्थापना होने से सामाजिक तनाव भी पैदा होगा, क्योंकि बैंक चपरासी को गांव के स्कूल के मुख्याध्यापक की अपेक्षा कहीं अधिक वेतन मिलेगा।

Shri Rabi Ray : If massive mobilisation and social tension is there, it would mean that no new branch could be opened in Darbhanga district.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस वजह से नई शाखाएं नहीं खोली जाएंगी।

Shri Bhogendra Jha : I want to know whether principal towns of Darbhanga district would be surveyed according to the criteria of 1961 census?

श्री प्र० चं० सेठी : ग्रामीण क्षेत्र में किसी शाखा की स्थापना इसलिए की जाती है कि किसानों आदि को ऋण-सुविधाएं प्राप्त हों और बैंकों में जमा राशि में भी वृद्धि हो। राष्ट्रीयकरण से पहले किसानों को लगभग 38.02 करोड़ रुपए की राशि ऋणों के रूप में दी गई थी, अब वह बढ़कर 103.6 करोड़ हो गई है..... **(व्यवधान)**। जून 1969 में बैंक खाते 1,71,880 थे जिनकी संख्या जनवरी, 1970 में बढ़ कर 4,21,007 हो गई। पिछले उत्तर में बिहार में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या 62 बताई गई है, परन्तु नवीनतम सूचना के अनुसार बिहार में 84 नई शाखाएं स्थापित की जाएंगी। सरैया, झंझरपुर और ताजपुर में नई शाखाएं खोलने के लिए रिज़र्व बैंक ने सैन्ट्रल बैंक को अनुमति दे दी है। मधुबनी में स्टेट बैंक पहले से ही है, इसके अलावा रिज़र्व बैंक ने सैन्ट्रल बैंक को भी वहां एक शाखा स्थापित करने की अनुमति दे दी है।

हम चाहते हैं कि दरभंगा और अन्य दो ज़िलों का "लीड बैंकों" द्वारा शीघ्रताशीघ्र सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जाए। माननीय सदस्यों की तरह हम भी चाहते हैं कि बैंकों का दक्षतापूर्ण संचलान हो और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वहां न हो। भ्रष्टाचार से तो राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। हम चाहते हैं कि रिज़र्व बैंक आवेदन-पत्र और उन पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम बनाए। मैं सदस्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह बैंकों के घेराव आदि करने का रवैया न अपनाएं।

Shri Bhogendra Jha : What else could be done, if forms are not supplied without illegal gratification?

श्री स० कुण्डु (बालासौर) : कुछ लोग 100 रु० के ऊपर 10 रु० कमीशन लेते हैं और बैंक एजेन्ट से इस बारे में बातचीत करते हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**।

श्री प्र० चं० सेठी : रिज़र्व बैंक को उपयुक्त नियम बनाने का आदेश दिया जाएगा। अगर कोई शिकायत हो, तो उसकी जांच करवा कर दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाएगा। कानून को अपने हाथ में ले लेने से समस्या सुलझने के बजाय और उलझेगी। बैंकिंग विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा था—हम प्रत्येक बैंक में एक ऐसा अनुभाग खोलने जा रहे हैं जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करेगा।

किस खाते में कितना जमा धन है, यह ज़ाहिर करना वांछित नहीं होगा; परन्तु कोई आवेदन-पत्र कब आया और उस पर क्या कार्यवाही की गई, इस प्रकार की सूचना न दिए जाने के कारणों की मैं अवश्य जांच करूंगा।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है, हम शीघ्रताशीघ्र उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 14 मई, 1970/24 बैसाख, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on thursday, May 14, 1970/Vaisakha 24, 1892 (Saka).)

MGIPRRND—5 LSS/70—25-12-70—340

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.